चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 10 अप्रैल– 16 अप्रैल 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बीसीसीएल-डीवीसी-धनबाद : कोयला घोटाला + फ़र्ज़ी विस्थापित

दो घोटालों की एक कहानी

25 साल पुराने एक घोटाले की कहानी अभी क्यों? इसलिए, क्योंकि इससे जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि सारी जानकारी दिए जाने के बाद भी सरकारें इस घोटाले की जांच करवाने से कतरा रही हैं या यूं कहें कि सरकारें इस घोटाले को सतह पर लाना ही नहीं चाहती हैं. ये कहानी इस घोटाले की सिर्फ उन्हीं परतों को खोलती है, जिन्हें सरकारी कमेटी और विजिलेंस ने अपनी जांच रिपोर्ट में खोले हैं. 1993 की रिपोर्ट पर अगर आज तक कार्रवाई नहीं होती है, तो मान लेना चाहिए कि घोटाला जारी है. इसके अलावा, इस कहानी में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानि डीवीसी के घोटाले की भी एक कहानी है, जहां 9000 फर्जी विस्थापित दिखा कर नौकरी देने से जुड़ा एक घोटाला सामने आया है. ये दोनों घोटाले झारखंड के धनबाद से जुड़े हैं. ये कहानी इन घोटालों को सामने लाने की जद्दोजहद में लगे एक व्हिसलब्लोअर की भी कहानी है.

शशि शेखर

26 लाख करोड़ या 1.86 लाख करोड़ के कोयला घोटाले के बाद एक और कोयला घोटाला हमारे सामने है. हमारे दस्तावेज बताते हैं कि ये घोटाला ही है. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) चाहे, तो ये बता कर इसे गलत साबित कर सकती है कि सैकड़ों करोड़ के कोयले और स्पेयर पार्ट्स के शॉर्टेज का मतलब क्या है? चौथी दुनिया के पास, बीसीसीएल के दस्तावेजों की विजिलेंस/सरकारी कमेटी द्वारा की गई जांच की कॉपी उपलब्ध है. विजिलेंस जांच के ये दस्तावेज साफ-साफ बताते हैं कि कैसे धनबाद में फैले सैकड़ों कोलियरी में बीसीसीएल द्वारा करोड़ों रुपए के कोयले का शॉर्टेज दिखाया गया है और करोड़ों रुपए के स्पेयर पार्ट्स खरीदे गए हैं.

बीसीसीएल में कोल शॉर्टेज का मतलब क्या है

सबसे पहले हम विजिलेंस जांच से जुड़े दस्तावेजों में दर्ज कुछ सच्चाईयों को आपके सामने रखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंटल कमेटी सेट अप टू इंवेस्टीगेट इनटू स्टॉक शॉर्टेज इन बीसीसीएल की. ये कमेटी कोयला मंत्रालय द्वारा 27 जुलाई 1992 को गठित की गई थी. 6 सदस्यीय इस कमेटी ने सबसे पहले उन 21 कोलियरी की विस्तृत जांच की, जिसने 1-4-1992 तक 50,000 टन से अधिक की कोल शॉर्टेज बताई थी. कमेटी ने कुल 31 कोलियरी की जांच की. 23 अगस्त 1993 को कमेटी ने अपनी जांच पूरी की. इस कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि 1983-84 से ले

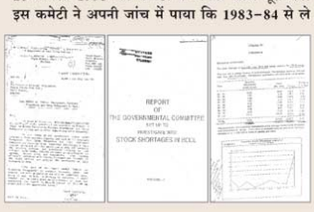

REPORT OF THE GOVERNMENTAL COMMITTEE SET UP TO INVESTIGATE INTO STOCK SHORTAGES IN BCCL

कर 1991-92 तक कुल 75.04 लाख टन कोयले की शॉर्टेज दिखाई गई. इतने कोयले की बाजार कीमत उस वक्त 233.80 करोड़ रुपए थी. कमेटी ने यह भी माना कि वास्तविक शॉर्टेज इससे भी ज्यादा हो सकती है.

नौकरी और मुआवज़ा के लिए डीवीसी के ख़िलाफ़ नग्न हो कर प्रदर्शन करते झारखंड के घटवार आदिवासी

- बीसीसीएल ने कोल शॉर्टेज दिखा कर सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगाया
- राज्य-केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए लिखा पत्र, कोई कार्रवाई नहीं
- डीवीसी ने 900 फर्जी विस्थापितों को दे दी नौकरी, असली हकदार हक से वंचित
- इस मामले में भी जांच के लिए लिखा पत्र, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई
- अर्द्ध नग्न हो कर किया था झारखंड के घटवार आदिवासियों ने प्रदर्शन
- घोटालों की सीबीआई जांच कराने से क्यों कतराती है सरकारें

कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि इस शॉर्टेज के कई कारण हो सकते हैं. मसलन, बुक स्टॉक और एक्चुअल कोल स्टॉक में अंतर, मेजरमेंट में गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है, या फिर ऐसे व्यक्ति के कारण भी हो सकता है, जिसकी पहुंच कोलियरी तक हो और उसने गैर कानूनी तरीके से ट्रक में कोयला भर कर इलीगल डिस्पैच किया हो. कमेटी ने पाया कि कुछ कोलियरी ऐसे भी रहे, जहां साल दर साल कोल शॉर्टेज दिखाया गया. इसके अलावा, बीसीसीएल की जांच एक विजिलेंस टीम ने भी की थी. इस विजिलेंस टीम के मुखिया श्री ए टी रॉय थे. विजिलेंस की जांच बताती है कि बीसीसीएल ने स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी में भी भारी अनियमितता बरती है. साल 1998 की विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने सैकड़ों करोड़ रुपए से अधिक स्पेयर पार्ट्स खरीदने पर खर्च कर दिए, जो वास्तव में खरीदे ही नहीं गए थे. विजिलेंस जांच ये भी बताती है कि बीसीसीएल धनबाद के विभिन्न कोलियरी में स्क्रैप मैनेजमेंट का भी बहुत बुरा हाल है.

बहरहाल, ये मान लेना चाहिए कि 80 के दशक से चली आ रही लूट (जांच रिपोर्ट के मुताबिक) अभी भी जारी है, क्योंकि अब तक इसकी न तो कोई मुक्कमल जांच करवाई गई है और न ही केन्द्र सरकार इस घोटाले की जांच को ले कर संजीदा दिख रही है. सिर्फ नी साल के बीच (1983-84 से 1991-92) अगर 233 करोड़ रुपए मूल्य के कोयले का शॉर्टेज दिखा कर घोटाला किया गया है, तो पिछले 25 सालों में यह रकम कितनी हो गई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. ऐसा मानने के पीछे ठोस वजह भी है. सिंदरी के सामाजिक कार्यकर्ता रामाश्रय सिंह लगातार बीसीसीएल के घोटालों से सरकार को अवगत कराते रहे. स्थानीय स्तर पर उपरोक्त जांच रिपोर्ट आने के बाद छिटपुट कार्रवाई जरूर हुई. कुछेक अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई, सजा भी मिली, लेकिन इस घोटाले की जांच आज तक सीबीआई से नहीं करवाई जा सकी है. जबकि रामाश्रय सिंह झारखंड सरकार से ले कर यूपीए सरकार और केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को इससे अवगत कराते आ रहे हैं. उन्होंने दर्जनों बार सरकारों तक अपनी बात पहुंचाई और बदले में सरकार सिर्फ एक पत्र भेज कर अपनी ड्यूटी खत्म समझ लेती है. सवाल सिर्फ लूट का नहीं है, सवाल लूट की छूट देने और जांच से कतराने का भी है. आइए, सिलसिलेवार ढंग से बीसीसीएल और डीवीसी के कारनामों (इसे आगे विस्तार से बताया जाएगा) की जांच की मांग करने और उस मांग का क्या हश्र हुआ, उसे समझते हैं. वीसीसीएल के घोटाले की जांच की मांग का क्या हुआ, इसे पहले देखते हैं.

बाबूलाल मरांडी को थी जानकारी, नहीं की कार्रवाई

बीसीसीएल में चल रहे कोयला घोटाले को ले कर रामाश्रय सिंह ने सबसे पहले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी को साल 2001 में पत्र लिख कर सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की थी. इस संबंध में उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मुख्यमंत्री को सौंपे थे. कोई कार्रवाई न होता देखकर, जब रामाश्रय सिंह ने कई बार रिमाइंडर भेजा, तो उनसे कहा गया कि दस्तावेज गुम हो गए हैं, इसलिए आप फिर से दस्तावेज भेजें. 28-4-2001 को झारखंड सरकार के सीआईडी विभाग के एक इंस्पेक्टर रामाश्रय सिंह के घर पहुंचे और उनसे उक्त दस्तावेजों की मांग की. 2-5-2001 को उन्होंने रांची जा कर उक्त दस्तावेज सरकार के पास फिर से जमा कराए. इन दस्तावेजों के आधार पर एडीजे (सीआईडी) ने भी कार्रवाई करने की अनुशंसा की, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. (शेष पृष्ठ 2 पर)

दो घोटालों की एक कहानी

पृष्ठ 1 का शेष

तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजे सबूत, नहीं हुई कार्रवाई

इसके बाद, रामाश्रय सिंह ने बीसीसीएल के घोटालों से जुड़े दस्तावेज तत्कालीन यूपीए-2 सरकार को भी भेजे. प्रधानमंत्री कार्यालय से 29-8-2012 को सारे दस्तावेज उचित कार्रवाई के लिए कोयला मंत्रालय के सचिव के पास भेज दिए गए. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक के बाद एक 4 रिमाइंडर कोल सेक्रेटरी को कार्रवाई के लिए भेजा गया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है.

कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय ने लिखा झारखंड के गृह सचिव को पत्र

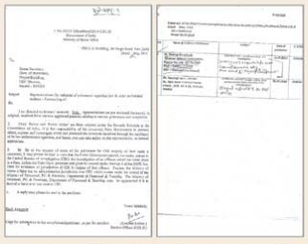

5 मई 2014 को गृह मंत्रालय ने झारखंड के गृह सचिव को एक पत्र लिखा. इस पत्र में साफ-साफ लिखा था कि याचिकाकर्ता रामाश्रय सिंह का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने डीवीसी और बीसीसीएल की सीबीआई जांच की मांग की है. यह याचिका गृह मंत्रालय के पास 11-4-2014 को पहुंची थी, जिसका सी आर नंबर 2,69,338 है. आगे इस पत्र में लिखा गया है कि जहां तक बात सीबीआई जांच के मांग की है, तो इस संबंध में ये कहना है कि जिस राज्य में कोई घटना घटी है, वहां की राज्य सरकार जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है, तब तक केन्द्र सरकार सुओ मोटो (स्वत: संज्ञान) लेते हुए अपनी तरफ से सीबीआई जांच के लिए नहीं बोल सकती है. इस पत्र में ये भी लिखा है कि आगे अगर ये केस सीबीआई को देना है, तो इसके लिए कार्मिक मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है. जाहिर है, इस पत्र की भाषा से साफ था कि राज्य सरकार चाहे, तो अपनी तरफ से सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकती है, इसमें केन्द्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी. अब सवाल है कि ये पत्र मिलने के बाद झारखंड सरकार ने क्या किया? इस दौरान हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे. इसके बाद अभी रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री हैं.

लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उल्टे, 28-4-2015 को झारखंड सरकार के अवर सचिव सह जन सूचना पदाधिकारी हरिहर मांझी की ओर से रामाश्रय सिंह को एक पत्र (पत्र संख्या-08/सू. अ. (02-30/2015 2445) भेजा गया. इस पत्र में लिखा है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-24013/1/झारखंड/2014-सीएसआर 3 दिनांक 5 मई 2014, गृह विभाग के प्राप्ति पंजी में दर्ज नहीं है. यानि, इस पत्र के मुताबिक झारखंड के गृह विभाग को गृह मंत्रालय से उक्त कोई पत्र मिला ही नहीं. अब इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. क्या ये नहीं मानना चाहिए कि सत्ता तक पैठ रखने वाले प्रभावशाली लोगों ने गृह मंत्रालय के उक्त पत्र को ही गायब करा दिया.

मौजूदा केंद्र सरकार को भी भेजी शिकायत, कार्रवाई का इंतजार है

28 सितंबर 2015 को रामाश्रय सिंह ने एक शपथ पत्र देते हुए डीवीसी और बीसीसीएल घोटाले की जानकारी सबूत सहित मौजूदा केन्द्र सरकार के प्रधान सचिव को भेजी. इस पत्र में सारी जानकारी और सबूत देते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई. प्रधानमंत्री कार्यालय से 7-10-2015 को एक पत्र (पत्र संख्या-पीएमओपीजी/डी/2015/0239100) मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को भेजा गया. इस पत्र में लिखा गया है कि रामाश्रय सिंह का 28-9-2015 का पत्र मिला और इसे आपके पास उचित कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है. लेकिन झारखंड सरकार के मुख्य सचिव ने इस पर क्या कार्रवाई की है, आज तक किसी को नहीं मालूम.

जाहिर है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से ले कर विभिन्न मंत्रालयों तक को बीसीसीएल में हुए घोटाले की जानकारी है. लेकिन आज तक कहीं से भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है. इसका सीधा सा अर्थ है कि विभिन्न सरकारें और विभिन्न स्तर के अधिकारी इस घोटाले की जांच करना ही नहीं चाहते. सार्वजनिक उपक्रम में हुए घोटाले की सीबीआई जांच करवाने से आखिर सरकारें क्यों कतराती रहीं? अगर याचिकाकर्ता रामाश्रय सिंह के दस्तावेजों और सबूतों में समाचार नहीं है, उनके आरोप अगर निराधार हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. साफ है, सरकार में बैठे बाबुओं की मंशा इस मामले को लटकाए रखने की है, ताकि एक दिन थक हार कर इस मसले को उठाने वाला व्हिसलब्लोअर अपने घर बैठ जाए और आगे भी लूट का ये खेल जारी रहे.

डीवीसी में 9000 फर्जी विस्थापितों का मामला क्या है

दरअसल, 1953 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन की नींव रखी गई थी. जनहित के नाम पर झारखण्ड के धनबाद, जामतारा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और वर्धमान जिलों के लगभग 41 हज़ार एकड़ ज़मीन के साथ ही चार हजार से ज्यादा घरों का अधिग्रहण किया गया. इस अधिग्रहण से करीब 70 हज़ार लोग प्रभावित हुए. प्रभावित परिवारों की तीसरी पीढ़ी आज भी नौकरी और मुआवजा पाने के लिए संघर्षरत है. हाल ही में प्रभावित घटवार आदिवासियों ने नौकरी और मुआवजे के लिए नंगे बदन हो कर प्रदर्शन भी किया था. अधिग्रहण के प्रावधानों के मुताबिक हरेक परिवार के एक सदस्य को डीवीसी में नौकरी दी जानी थी. लेकिन हजारों ऐसे परिवार हैं, जिन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली. प्रभावित परिवारों में से अधिकतर घटवार आदिवासी समुदाय से आते हैं. बहरहाल, इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है. सामाजिक कार्यकर्ता रामाश्रय सिंह के मुताबिक डीवीसी ने विस्थापित परिवारों को नौकरी देने के नाम पर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है. रामाश्रय सिंह बताते हैं कि डीवीसी ने तकरीबन 9 हजार लोगों को फर्जी विस्थापित बता कर नौकरी दे दी है. दूसरी तरफ, जो वास्तव में इस परियोजना की वजह से विस्थापित हुए, उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली है. सबूत के तौर पर वे बताते हैं कि शिमपाथ गांव, जिला धनबाद, जहां के 1670 घरों का अधिग्रहण हुआ था, वहां के एक भी प्रभावित व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है. इसी तरह, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर थाना के तेलकुंपी गांव के 1700 घरों का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन वहां के भी एक भी परिवार को नौकरी आज तक नहीं मिली है. रामाश्रय सिंह बताते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच के लिए वे पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और राज्य सरकार से ले कर केन्द्र सरकार तक को लगातार साक्ष्य भेजते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

कार्मिक मंत्रालय ने कहा जांच कीजिए, जांच नहीं हुई

22 जनवरी 2015 को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र (पत्रांक 261/1/2015/एवीडी 2, दिनांक 22-1-2015) लिख कर 9 हजार गैर-विस्थापितों को विस्थापित बता कर नौकरी देने के संबंध में जांच की बात कही. इसका जिक्र झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रामाश्रय सिंह और उपायुक्त बोकारो/धनबाद को भेजे अपने पत्र में किया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव पीतांबर सिंह ने उपायुक्त बोकारो/धनबाद को भेजे अपने पत्र (दिनांक 6-5-15) में लिखा है कि 'श्री रामाश्रय सिंह, सलाहकार, घटवार आदिवासी महासभा, सिंदरी, धनबाद से प्राप्त पत्र, जो मैथन और पंचेत डीवीसी में 9000 गैर विस्थापितों को विस्थापित बता कर नौकरी के संबंध में है, की मूल प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि इस पर पूर्णरूपेण जांचोपरांत नियमानुसार तुरंत कार्रवाई करने की कृपा की जाए एवं कृत कार्रवाई से विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार एवं आवेदक को अवगत कराने की कृपा की जाए.' जाहिर है, आज तक इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

नौकरी और मुआवज़ा के लिए डीवीसी के ख़िलाफ़ अर्ध नग्न हो कर प्रदर्शन करती झारखंड की घटवार आदिवासी महिला

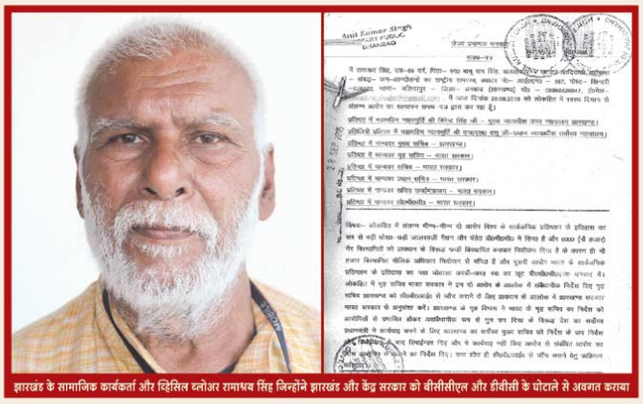

झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता और व्हिसिल ब्लोअर रामाश्रय सिंह जिन्होंने झारखंड और केंद्र सरकार को बीसीसीएल और डीवीसी के घोटाले से अवगत कराया

डीवीसी क्यों नहीं देता नियोजित विस्थापितों की सूची

रामाश्रय सिंह बताते हैं कि 9000 फर्जी विस्थापितों को नौकरी देने का उनका आरोप यदि गलत है, तो डीवीसी क्यों नहीं उन्हें नियोजित विस्थापितों की सूची उपलब्ध कराती है. वे इस तरह की सूची आरटीआई के तहत भी मांग चुके हैं, लेकिन ये सूची उन्हें आज तक नहीं मिली है. इस संबंध में अंचल कार्यालय, जामताड़ा ने भी 11-4-15 को डीवीसी, मैथन के मुख्य अभियंता को पत्र लिख कर तीन बिन्दुओं पर पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने को कहा था. इसमें पहला बिन्दु ये था कि मैथन और पंचेत डीवीसी ने जितने विस्थापितों को नियोजन दिया है, पूर्ण विवरण के साथ उन सब की सूची उपलब्ध कराएं. दूसरा ये कि मैथन और पंचेत डीवीसी ने जिन विस्थापितों का जमीन अधिग्रहित किया है, पूर्ण विवरण के साथ उनकी भी सूची उपलब्ध कराई जाए. तीसरा बिन्दु ये है कि मैथन और पंचेत डीवीसी ने 1977 और 1978 में विस्थापितों को नियोजन देने के लिए जो पैनल बनाया था, उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए. लेकिन डीवीसी ने आज तक ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई है, क्योंकि अगर ये सूची सार्वजनिक होती है, तो फिर अपने-आप सारा खेल सामने आ जाएगा.

बिना मुआवजा, जमीन कब्जा किए जाने का सबूत

अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद ने 12 फरवरी 2015 को एक पत्र धनबाद के उपायुक्त को लिखा है. ये पत्र ही इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि नौकरी तो नौकरी विस्थापितों को आज तक मुआवजा भी ठीक से नहीं मिल सका है. इस पत्र में अनुमंडल पदाधिकारी ने लिखा है कि रामाश्रय सिंह द्वारा अधोहस्ताक्षरी संपर्क कर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा डीवीसी प्रबंधन को लिखित पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए बताया गया है कि 'डीवीसी प्रबंधन द्वारा कुल 29 पंचाटियों को 39,949 रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जबकि डीजीएम, डीवीसी श्री बी नंदी द्वारा दिनांक 14-11-2014 को पत्र से सूचित किया गया है कि उपर्युक्त राशि का भुगतान भू-अर्जन पदाधिकारी को कर दिया गया है. स्पष्ट है कि डीवीसी प्रबंधन द्वारा गलतबयानी की जा रही है एवं बिना राशि भुगतान के 29 पंचाटियों की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा रखा गया है. अत: श्री सिंह से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि डीवीसी प्रबंधन पर नियमानुसार कार्रवाई हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को आदेशित करने की कृपा की जाए.' सवाल है कि क्या अनुमंडल पदाधिकारी का ये आदेश गलत है, रामाश्रय सिंह का आरोप गलत है या फिर डीवीसी का दावा? जाहिर है, इस सवाल का जवाब तक तक नहीं मिल सकता, जब तक इस पूरे मामले की समुचित जांच न करवाई जाए.

जांच से कौन और क्यों डर रहा है

दरअसल, बीसीसीएल की तरह ही डीवीसी (9000 फर्जी विस्थापितों को नौकरी देने) मामले में भी रामाश्रय सिंह ने राज्य सरकार से ले कर केन्द्र सरकार तक शिकायतें की. 5 मई 2014 को गृह मंत्रालय ने झारखंड के गृह सचिव को भेजे अपने पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था कि याचिकाकर्ता रामाश्रय सिंह का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने डीवीसी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और अगर राज्य सरकार चाहे, तो अनुशंसा कर सकती है. ये अलग बात है कि इस पत्र पर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टे राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उसे गृह मंत्रालय से कोई पत्र ही नहीं मिला है. 4-8-14 को झारखंड विधानसभा में विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने भी इस बारे में सवाल उठाया था, जिसके जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यथाशीघ्र कार्रवाई के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करने का आश्वासन दिया था. मौजूदा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करने के लिए कहा था. प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी दर्जनों बार झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेज कर रामाश्रय सिंह की शिकायत पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया. लेकिन इसे भारतीय लोकतंत्र की विडंबना ही कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश राज्य का मुख्य सचिव नहीं मानता और मुख्यमंत्री का आदेश राज्य के अधिकारियों के लिए कोई मायने नहीं रखता. गौरतलब है कि दामोदर घाटी परियोजना और बीसीसीएल, दोनों केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली संस्थाएं हैं. कोयला मंत्रालय और बिजली मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी हैं. इन दोनों संस्थाओं के कारनामों के बारे में राज्य से ले कर केन्द्र सरकार तक को पूरी जानकारी है. अब ऐसे में अगर एक याचिकाकर्ता सीबीआई जांच की मांग करता है, वो भी पूरे सबूत के साथ, तो सरकारें इस जांच से कतरा क्यों रही हैं? ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 06
10 अप्रैल- 16 अप्रैल 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

नर नहीं तो नरकंकालों की ही सुन लीजिए सरकार

आजादी के बाद से अब तक सियासी नारों में किसानों को आबाद करने की ही बात कही गई, लेकिन उनकी जमीनी सच्चाई बर्बादी ही बनी रही. हर चुनाव में सत्ता-विपक्ष के लिए किसान ही मुद्दा रहा, लेकिन किसान का जीवन मुफलिसी को मात नहीं दे सका. अपने हालात सुधारने के लिए किसानों ने कई आंदोलन किए, लेकिन कभी भी वे संगठित होकर सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा सके. हर दिन हालात के आगे दम तोड़कर किसान आत्महत्या के आंकड़ों में जुड़ते जा रहे किसान, अब जब कब्रों से निकलकर दिल्ली तक आ पहुचे हैं, तो क्या सरकार अब उनकी बात सुनेगी...

निरंजन मिश्रा

29 मार्च को जब संसद भवन परिसर में लोकसभाध्यक्ष सहित हमारे तमाम सांसद फुटबॉल को किक मारकर फीफा वर्ल्ड कप के लिए माहौल बना रहे थे, ठीक उसी समय इन्हीं की रहनुमाई में रहने वाले कुछ लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर इनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए गले में नरमुंड लटकाए जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे थे. लेकिन अफ़सोस कि उस दिन के तमाम समाचार चैनलों और अगले दिन के अखबारों में हमारे नेताओं द्वारा फुटबॉल को लात मारना तो सुर्खियां बन गया. लेकिन उन्हें ख़बरों में जगह नहीं मिल पाई जो सत्ता, सियासत व व्यवस्था की उपेक्षा के कारण बीते कई वर्षों से बदहाली में जी रहे हैं और अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने उन लोगों के नरमुंडों के साथ दिल्ली तक आ पहुंचे हैं, जिन्हें कर्ज के बोझ और मुफलिसी ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया. 12 मार्च को शुरू हुआ आंदोलन अब भी जंतर-मंतर पर जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है.

तमिलनाडु पिछले दो सालों से लगातार सूखे की मार झेल रहा है. एक तरफ कमजोर मानसून और दूसरी तरफ कावेरी जल को लेकर कर्नाटक तमिलनाडु के बीच के संघर्ष में किसान पीस रहे हैं. साल दर साल कम होती उपज और फिर अगली फसल के लिए बैंकों से लिए गए कर्ज ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी. दबाव में आकर किसान दम तोड़ने लगे. अपनी जमा पूंजी खत्म होने के बाद जब सरकारी योजनाओं ने भी साथ नहीं दिया, तब इन्होंने आवाज उठानी शुरू की. अलग-अलग गांवों से निकला आंदोलन जब चेन्नई पहुंचा, तब स्थानीय सरकार की तंद्रा भंग हुई. बैंकों के कर्ज से दबे किसानों को तब कुछ राहत मिली जब तमिलनाडु सरकार ने वहां के कॉपरेटिव बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए 5,765 करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया. लेकिन इतने भर से राहत नहीं मिली. इस बीच तमिलनाडु की राजनीति में उठापटक के बीच इन किसानों की आवाज दब गई. लेकिन अपनों की आत्महत्या, चारे के अभाव में मवेशियों की मौत और अपने लिए दाने-दाने को मोहताज हो रहे इन किसानों ने फिर से दिल्ली आने की ठानी और 100 दिनों के भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए 12 मार्च को इन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर डेरा डाल लिया. ये किसान साउथ इंडियन रिवर लिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं. इस संगठन के अध्यक्ष पी अय्याकन्नू ने चौथी दुनिया को बताया कि हम इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं. हम 100 किसान तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता. पिछले चार महीनों में चार सौ से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है. अगर सरकार अब भी हमारी सहायता नहीं करती है, तो चार लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेंगे.

अपनी मांगों को लेकर इन किसानों ने पिछले साल भी मार्च में जंतर-मंतर पर धरना दिया था. ये तब वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिले थे. उन्होंने इनकी सहायता का आश्वासन भी दिया था. लेकिन तब इनके लंबे आंदोलन को पुलिसिया कार्रवाई से दबा दिया गया. तब पुलिस की लाठी से अपना पैर तुड़वा चुके जी महादेवन अब भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं और इस बार भी जंतर-मंतर पर आंदोलन करने आए हैं. 29 मार्च को आंदोलन पर बैठे जी महादेवन मूर्छित होकर गिर पड़े. इससे पहले 16 मार्च को भी भूख हड़ताल कर रहे एक किसान रामास्वामी बेहोश हो गए थे, फिर उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा था. शुरू के कुछ दिनों तक इन सभी किसानों ने भूख हड़ताल किया, लेकिन कई लोगों की हालत बिगड़ते देखकर इन्होंने कुछ-कुछ खाना शुरू कर दिया. इन किसानों के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई हैं. इन किसानों ने नरमुंडों और हरे रंग के कपड़ों को अपने आंदोलन की पहचान बनाई है. इसके बारे में पूछे जाने पर ये कहते हैं कि ये इनके उन लोगों के नरमुंड हैं, जिन्होंने कर्ज के दबाव और खेती में घाटे से तंग आकर आत्महत्या कर ली. इनका कहना है कि हरा रंग हमारी धरती और उपज का प्रतिक है, इसलिए हम इन्हें अपने शरीर पर लपेटकर आंदोलन कर रहे हैं.

स्थानीय युवा, जो देश के दूसरे हिस्सों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी इन किसानों का साथ दे रहे हैं. साथ ही अपने इन लोगों के दर्द बयानी का माध्यम बन रहे हैं, जो अंग्रेजी बोलने में भी असमर्थ हैं. इन किसानों से उनकी भाषा में बात कर हमारे लिए अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले शिव, बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई करते हैं और साथ-साथ जॉब भी. वे इस किसानों का साथ देने वहां से दिल्ली आए हैं.

21 मार्च को जब इनके नेता पी अय्याकन्नू अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले, तो उन्होंने कहा था कि हमें दो दिन का समय दीजिए हम आरबीआई के गवर्नर से इस मामले में बात करते हैं. दो दिन क्या, दो सप्ताह बीत गए, लेकिन पता नहीं चला कि वित्त मंत्री जी की आरबीआई के गवर्नर से क्या बात हुई, या हुई भी या नहीं. ये किसान उमा भारती से भी मिले और उनसे नदियों को जोड़े जाने के मुद्दे पर अपनी बात कही. इनके आंदोलन का एक मुख्य मुद्दा नदियों को जोड़ा जाना भी है, क्योंकि इससे सूखे की समस्या पर बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है. उमा भारती ने कहा कि नदियों को जोड़े जाने के मुद्दे पर अभी रिसर्च का काम चल रहा है. हम इस दिशा में निरंतर प्रयास में लगे हैं कि नदियों के द्वारा किसानों के खेत में पानी पहुंचाया जा सके. हालांकि मंत्री जी ये नहीं बता सकीं कि ये प्रयास कब फलीभूत होगा. मंत्री जी ने इनकी उस मांग पर कुछ नहीं कहा, जो कर्नाटक सरकार की तरफ से कावेरी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध निर्माण को रोकने को लेकर था. इन किसानों का मानना है कि वो बांध बन जाने के बाद तमिलनाडु के किसानों के लिए और भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी. 22 मार्च को इनके नेता पी अय्याकन्नू अपनी समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री से मिले. कृषि मंत्री ने भी आश्वसन ही दिया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम ने सूखा ग्रस्त तमिलनाडु का दौरा कर लिया है, जल्द ही आपको राहत मिलेगी. गौरतलब है कि कृषि मंत्री ने ही 10 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु को वित्तिय सहायता दी जाएगी. हालांकि अब तक कुछ नहीं हुआ. 28 मार्च को पी अय्याकन्नू के नेतृत्व में इन किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी मांगे रखीं, जिनमें किसानों का कर्ज माफ करना और सूखा राहत पैकेज देना मुख्य रूप से शामिल है. इस प्रतिनिधिमंडल में तमिल मनीला कांग्रेस के अध्यक्ष जी के वासन भी थे. इन किसानों को तमिलनाडु के लगभग सभी दलों और नेताओं का समर्थन मिल रहा है. मशहूर अभिनेता प्रकाश राज भी इन्हें अपना समर्थन देने पहुंचे. उन्होंने कहा कि मैं आया हूं, ताकि उनकी आवाज संबंधित मंत्रालय सुन सके. इससे पहले इन्हें किसान मंच का भी समर्थन मिला. किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह ने आंदोलन के नेता पी अयकन्नू से मिलकर उन्हें इस आंदोलन में हर संभव सहयोग देने की बात कही.

चौथी दुनिया से बातचीत में पी अय्याकन्नू ने कहा कि सरकार हमारी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है. सरकारी विभाग एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं. हम इतने दिनों से जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से जुड़े किसी भी बड़े नेता ने हमारी सुध नहीं ली, समाधान तो दूर की बात है. अय्याकन्नू कहते हैं कि सरकार हमारे साथ पूरी तरफ से सौतेला व्यवहार कर रही है. हमारी कर्ज माफ़ी के लिए सरकार को आरबीआई के गवर्नर से बात करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हाल में हुए यूपी चुनावों में भी क्या सरकार ने आरबीआई के गवर्नर से पूछ कर किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा किया था. उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को और मरता नहीं देख सकते. सूखा और कर्ज की मार से हजारों लोगों ने आत्महत्या कर लिया. केवल पिछले चार महीनों में 400 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, लेकिन सरकार को ये सब दखाई नहीं दे रहा.

feedback@chauthiduniya.com

हमें हर रोज़ दाना मांझी देखने पड़ते हैं: वी राजलक्ष्मी

तिरुचिरापल्ली से आईं वी राजलक्ष्मी भी इन 100 किसानों में शामिल हैं, जो जंतर मंतर पर अपनी कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं. वे कहती हैं कि हमारी बात ना सरकार सुन रही है और ना ही मीडिया. एंबुलेंस के अभाव में अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर जाने वाले दाना मांझी की खबर पूरे देश में फैल गई, लेकिन हमें रोज ऐसे दाना मांझी देखने पड़ते हैं, जो किसी अपने के शव को कंधे पर ढोने के लिए मजबूर होते हैं. लेकिन हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है. ये पूछे जाने पर कि औरतों को दिल्ली तक क्यों आना पड़ा, केवल पुरुष भी तो प्रदर्शन कर सकते थे, राजलक्ष्मी कहती हैं कि कर्ज के दबाव या पानी के अभाव में फसलों के ना उपजने का कष्ट केवल पुरुषों को ही नहीं सहना पड़ता है. उनके साथ-साथ हम भी भूखे पेट रह रहे हैं और बच्चों को भूख से तड़पता देख रहे हैं. राजलक्ष्मी ने कहा, देश में कहीं भी बाघ मरता है, या जंगलों में कोई शिकार करता है, तो उसके लिए आवाज उठाने वाले कई संगठन हैं. सरकारों ने उसके लिए कानून भी बनाई है. लेकिन हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है. हम कई सालों से आधा पेट खा रहे हैं, अपने सामने अपने कई लोगों को फांसी के फंदे पर झूलते देख चुके हैं. हमने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी, जहां हमारी सहायता की कोई आस दिखी. लेकिन हुआ कुछ नहीं. केंद्र सरकार से सहायता की आस लेकर हम यहां आए हैं, हमारे छोटे-छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं. अनाज के अभाव में उन्हें सांप और चूहे खाने पड़ रहे हैं... ये कहते हुए राजलक्ष्मी फफक पड़ीं.

सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी

तमिलनाडु में सूखे की समस्या नई नहीं है. यहां की खेती का एक बड़ा आधार नार्थ ईस्ट मानसून है. जो इस बार पूरी तरह से दगा दे गया. राज्य में इस बार अब तक की सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई. सूखे की समस्या कितनी विकट है, ये इस बात समझा जा सकता है कि केवल कावेरी डेल्टा क्षेत्र में ही 80,000 एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले चार महीनों में 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है. वहीं, किसानों के एक स्थानीय संगठन का कहना है कि रोजाना औसतन दो किसान मौत को गले लगा रहे हैं. अक्टूबर 2016 से अब तक 250 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है. 2015 में भी तमिलनाडु में 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी. एनसीआरबी के आकड़ों पर गौर करें, तो 2011 से 2015 तक 5 वर्षों में तमिलनाडु के 2,728 किसान आत्महत्या कर चुके हैं.

किसानों की कर्जमाफी को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से गुहार लगाई है. जनवरी में ही तत्कालिन मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने प्रधानमंत्री से मिलकर 39,565 करोड़ के सूखा पैकेज की मांग की थी. इसके बाद नए मुख्यमंत्री पलानिस्वामी ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर इस मांग को दोहराया. इस बीच राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 2,247 करोड़ के सूखा पैकेज की घोषणा कर दी, लेकिन किसानों के लिए ये नाकाफी है.

ये हैं मांगें

- तमिलनाडु को रेगिस्तान बनने से रोकना
- कावेरी नदी को सूखने से रोकना
- कावेरी नदी के लिए प्रबंधन समिति का गठन
- मदुरै इंजीनियर ए.सी. कामराज के स्मार्ट जलमार्ग परियोजना द्वारा सभी नदियों को जोड़ना
- कृषि उत्पादों के लिए उचित लाभदायक मूल्य का निर्धारण

रिहाई के बाद निर्दोष क़ैदियों के लिए सब कुछ अजनबी

हारून रेशी

2005 के दिल्ली बम धमाकों के आरोप में 16 फरवरी 2017 को 12 वर्षों तक जेल में कैद रहने के बाद निर्दोष क़रार दिए गए दो कश्मीरी युवा मोहम्मद रफ़ीक़ शाह और मोहम्मद हुसैन फ़ाज़िली इन दिनों अपने घरों में बिखरी हुई ज़िंदगियों के ताने-बाने नए सिरे से बांधने की कोशिश में लगे हुए हैं. बेगुनाही साबित करने में 12 वर्षों तक अपने घरबार से दूर जेल की क़ैद में रहकर आए इन लोगों के लिए अपनी सामान्य ज़िंदगी को दोबारा शुरू करना इतना आसान भी नहीं है. मोहम्मद रफ़ीक़ शाह ने चौथी दुनिया को बताया कि एक दशक से अधिक लंबे अरसे के बाद फिर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करना कोई आसान काम नहीं है. 12 वर्षों के दौरान जेल के अन्दर हम बदल गए और बाहर यह दुनिया.

29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में तीन श्रृंखलाबद्ध बम धमाके हुए, जिसमें कम से कम 67 निर्दोष लोग मारे गए. इन बम धमाकों के बाद दिल्ली पुलिस ने धमाकों में संलिप्त होने के आरोप में कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें रफ़ीक़ और हुसैन भी शामिल थे. लेकिन पुलिस आरोप-पत्र को साबित करने में असफल हो गई और अदालत ने इन दोनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दोनों की ज़िंदगियां और उनके शैक्षणिक करियर तबाह हो चुके थे. रफ़ीक़ का कहना है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं ज़िंदगी की शुरुआत कहां से करूं? मुझे बाहर की यह दुनिया अब अजनबी सी लगती है. रफ़ीक़ कुछ दिन पूर्व रिहाई के बाद पहली बार कुछ किताबें ख़रीदने के लिए घर से बाहर निकले, जब वे शहर के लाल चौक पर पहुंचे, तो ये देखकर दंग रह गए कि उनका देखा हुआ लाल चौक एकदम बदल चुका है. उन्होंने बताया कि वहां आधुनिक तर्ज़ की दुकानें और उन पर आधुनिक वस्तुओं की ख़रीद-फ़रोख़्त होते देखकर मुझे लगा कि मैं किसी और दुनिया में हूं. बारह वर्षों में यहां सबकुछ बदल गया है. रफ़ीक़ ने अपने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब हम गिरफ़्तार हुए, उस समय इतने मंहगे फोन उपलब्ध नहीं थे, अब तो इस फोन में मानो सारी दुनिया सिमट कर आ गई है. वाट्सएप से लेकर फेसबुक तक सबकुछ एक दुनिया है. उन्होंने इस बात का भी नोटिस लिया है कि शहर में मंहगाई आसमान को छू रही है. जेल जाने से पहले वे पांच रुपए ख़र्च करके अपने घर से लाल चौक तक पहुंचते थे, लेकिन अब उसी सफ़र के लिए उन्हें 20 रुपए ख़र्च करने पड़ रहे हैं. रफ़ीक़ ने हाल ही में अपनी एक रिश्तेदार बच्ची की शादी समारोह में शिरकत की. उन्होंने बताया कि मेरे गिरफ़्तार होने से पहले यह एक छोटी बच्ची थी, आज उसकी शादी हो गई है. हमने जिन्हें बच्चों की उम्र में देखे थे, वे उम्र में बड़े हो गए हैं. जिन्हें जवान देखा था, वे बूढ़े हो गए हैं और जो उस वक़्त बूढ़े थे, वे चल बसे हैं या फिर बेहद बुज़ुर्ग हो चुके हैं. ये सब देखकर कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं सदियों तक घर से बाहर रहा हूं. कहने को तो बारह वर्ष जीवन के एक छोटे से काल होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस अरसे में ज़िंदगियां बदल जाती हैं. दुनिया बदल जाती है.

रफ़ीक़ का कहना है कि जेल में उसे अपने घर और अपने समाज की याद सताती थी, लेकिन अब रिहाई के बाद उसे जेल के साथियों की याद आती है. विश्वास करें ऐसा कोई लम्हा नहीं गुज़रता, जब मेरी आंखों के सामने जेल के वे साथी नहीं होते, जिनके साथ मैंने जेल के अन्दर बरसों गुज़ारे हैं. रफ़ीक़ की बातों से साफ़ पता चलता है कि उसकी दुनिया तितर-बितर हो चुकी है. ऐसा नहीं है कि वे कश्मीर के ऐसे एकमात्र इंसान हैं, जो इस तरह के हालात से पीड़ित हैं, बल्कि यहां उन जैसे कई और भी हैं. श्रीनगर के लाल बाज़ार में रहने वाले मोहम्मद मक़बूल शाह की ज़िंदगी में भी लगभग यही सबकुछ हुआ है, जो रफ़ीक़ और हुसैन के साथ हुआ है. 1996 में मक़बूल 16 वर्ष की उम्र के थे. उस समय उन्होंने अभी-अभी श्रीनगर के गांधी मेमोरियल कॉलेज में ग्यारवीं कक्षा की परीक्षा दी थी. वे बहुत ख़ुश थे, क्योंकि उनका अपने बड़े भाईयों के साथ पहली बार दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना था, जहां उनके भाई कश्मीरी आर्ट का कारोबार करते थे. इससे पहले वे कभी घाटी से बाहर नहीं गए थे. अप्रैल 1996 में एक दिन वे अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली के सफ़र पर रवाना हुए. घर से निकलते समय वे ख़ुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उनकी क़िस्मत को कुछ और ही मंजूर था. ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का बदतरीन और मनहूस सफ़र साबित हुआ. उनके दिल्ली पहुंचने के एक दिन बाद लाजपत नगर में बम धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोग मारे गए और 38 घायल हुए थे. धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने अंधाधुंध गिरफ़्तारियां कीं. 10 गिरफ़्तार संदिग्धों में 9 कश्मीरी थे और मक़बूल भी उनमें शामिल था. इन सब पर लाजपत नगर धमाके में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया और इन्हें जेल भेज दिया गया. चूंकि मक़बूल कम उम्र के थे, इसलिए उन्हें दो वर्षों तक बाल कारागृह में रखा गया और इसके बाद तिहाड़ जेल भेजा गया. इस घटना से मक़बूल के परिवारजनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा. उनके भाईयों को दिल्ली में अपना कारोबार समेटना पड़ा. उनके लिए मक़बूल के केस की पैरवी करने और श्रीनगर से दिल्ली तक चक्कर काटने का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया. मक़बूल की गिरफ़्तारी के एक वर्ष बाद उनके पिता अपने जवान बेटे की जुदाई के ग़म में चल बसे. घर में ग़रीबी के साये मंडराने लगे. एक बार उनकी 24 वर्षीय बहन हदीसा बानो अपने बड़े भाईयों के साथ मक़बूल से मिलने तिहाड़ जेल गईं. वहां वे अपने छोटे भाई को इस हालत में देखकर निढाल हो गईं और वापस घर लौटने के बाद बीमार पड़ गईं. एक महीने के बाद ग़म की हालत में वे भी चल बसीं. बाप और बहन के निधन की ख़बरें मक़बूल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थीं. वे मुलाक़ात के लिए आने वाले हर इंसान से कहते रहते थे कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है. वे जेल में सड़ते रहे. 14 वर्ष गुज़र गए और अंत में 8 अप्रैल 2010 को दिल्ली की एक अदालत ने मक़बूल को निर्दोष क़रार देते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए. लाजपतनगर धमाके के आरोप में गिरफ़्तार होने वालों में मक़बूल समेत चार कश्मीरियों को अदालत ने 14 वर्षों बाद बरी किया. जेल से रिहाई मिलने के बाद मक़बूल अपने परिवारजनों के बीच श्रीनगर पहुंचे. लाल बाज़ार में अपने घर जाने से पहले वे क़ब्रिस्तान गए, वहां वे अपने पिता और बहन की क़ब्रों से लिपटकर दहाड़ें मारकर रोने लगे. ये दृश्य देखकर वहां पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं. मक़बूल को मानसिक आघात पहुंचा था. उनकी शिक्षा छूट गई थी और फिर मानसिक विकास रूक गया था.

रफ़ीक़ शाह की जवानी की और जेल से वापस आने के बाद की तस्वीर

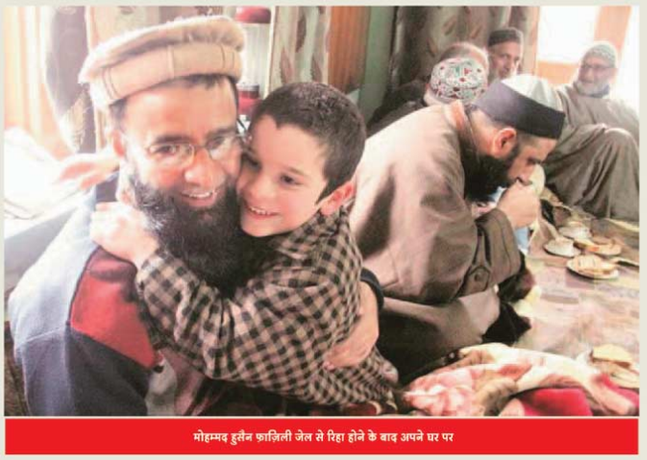

मोहम्मद हुसैन फ़ाज़िली जेल से रिहा होने के बाद अपने घर पर

मक़बूल ने चौथी दुनिया को बताया कि 14 वर्षों की क़ैद के बाद जब उन्होंने अपने घर के मुख्य द्वार के अन्दर क़दम रखा, तो एक विशाल पेड़ देखकर वे दंग रह गए. उन्हें याद आया कि यह वही अख़रोट का पेड़ है, जो उनके अब्बा और मक़बूल ने गिरफ़्तारी से कुछ दिनों पहले घर के आंगन में बोया था. 14 वर्ष एक लंबा अंतराल होता है. एक छोटा सा पौधा फलदार पेड़ हो गया था, लेकिन इस दौरान ख़ुद मक़बूल की ज़िंदगी बेरंग हो चुकी थी. मक़बूल ने बताया कि घर वापसी पर उन्हें सबकुछ बदला-बदला नज़र आ रहा है. यहां तक कि उन्हें लगता था कि उनकी अपनी मां बूढ़ी हो गई हैं. शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि 14 वर्षों तक अपने कमसिन बच्चे की जुदाई में कितनी क़यामतें टूट पड़ी होंगी. मक़बूल ने मासूमियत भरे लहजे में बताया कि यहां सबकुछ बदल चुका है. उन्हें लाल बाज़ार के उस नाई पर भी गुस्सास आ रहा था, जिसने एक दिन पहले उनके बाल काटने के बाद 35 रुपए मांगे थे. मक़बूल ने बताया कि गिरफ़्तारी से पहले वे अपने बाल कटवाने के लिए केवल 15 रुपए देते थे. इतनी मंहगाई? उन्होंने बताया कि लाल बाज़ार की अंदरूनी गलियों और लिंक रोड पर वे अपनी उम्र के लड़कों के साथ क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन आज यहां इतना ट्रैफिक है, तौबा-तौबा. यहां मकान भी ऊंचे हो गए हैं. लोग अमीर हो गए हैं. उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ़्तारी से पहले दिल्ली में रहने वाले उनके बड़े भाई घर वालों से बात करने के लिए पड़ोसियों के यहां फोन करते थे. तब यहां गिने-चुने घरों में ही टेलीफोन लगे थे. सुरक्षा कारणों से घाटी में मोबाइल फोन सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं. मक़बूल हैरान थे कि अब यहां हर जेब में एक फोन है. मक़बूल ने बड़ी मासूमियत से बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले 'पैसों की मशीन' भी देखी थी. उनके किसी दोस्त ने उन्हें दिखाया था कि एटीएम मशीन कैसे काम करती है. मक़बूल इस बात पर भी बड़े हैरान लग रहे थे कि सारे बच्चे बड़े हो गए हैं और बड़े बुज़ुर्ग.

> जेल में उसे अपने घर और अपने समाज की याद सताती थी, लेकिन अब रिहाई के बाद उसे जेल के साथियों की याद आती है. विश्वास करें ऐसा कोई लम्हा नहीं गुज़रता, जब मेरी आंखों के सामने जेल के वे साथी नहीं होते, जिनके साथ मैंने जेल के अन्दर बरसों गुज़ारे हैं. रफ़ीक़ की बातों से साफ़ पता चलता है कि उसकी दुनिया तितर-बितर हो चुकी है. ऐसा नहीं है कि वे कश्मीर के ऐसे एकमात्र इंसान हैं, जो इस तरह के हालात से पीड़ित हैं, बल्कि यहां उन जैसे कई और भी हैं.

मानवीय विडंबनाओं से जुड़ी इस तरह की कहानियों को सुनकर एक इंसानी ज़हन में कई सवाल गूंज उठते हैं. अदालत तो मक़बूल, रफ़ीक़ और हुसैन जैसे लोगों को बरसों बाद निर्दोष क़रार देकर रिहा तो कर देती है, लेकिन सवाल ये है कि इन जैसे लोगों के बचपन को कौन लौटाएगा? इन्हें इनके अपनों का वो प्यार कहां से मिलेगा, जिससे ये बरसों तक महरूम रहे हैं. इनकी ज़िंदगियां पहले जैसी कैसे हो सकती है? भारतीय न्याय व्यवस्था से ये सवाल कौन पूछेगा? ■

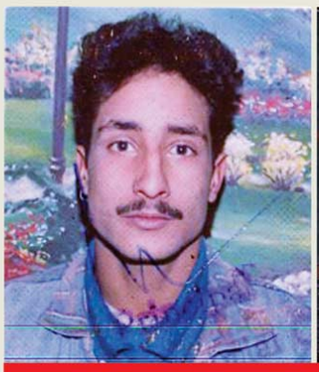

मक़बूल की जवानी की तस्वीर एवं जेल से रिहा होने के बाद की तस्वीर

feedback@chauthiduniya.com

गांधी और हमारा दायित्व

गिरिराज किशोर

गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने गोलवलकर जी को एक पत्र लिखा था, जिसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं-

औरंगजेब रोड,
नई दिल्ली,
11 सितंबर, 1948
भाई श्री गोलवलकर,

आपका खत मिला, जो आपने 11 अगस्त को भेजा था. जवाहरलाल ने भी मुझे उसी दिन आपका खत भेजा था. आप राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ पर मेरे विचार भली-भांति जानते हैं. मैंने अपने विचार जयपुर और लखनऊ की सभाओं में भी व्यक्त किए हैं. लोगों ने भी मेरे विचारों का स्वागत किया है. मुझे उम्मीद थी कि आपके लोग भी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो. वे अपने कार्यों में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर रह हैं. इस बात में कोई शक नहीं है कि संघ ने हिंदू समाज की बहुत सेवा की है. जिन क्षेत्रों में मदद की आवश्यक्ता थी, उन जगहों पर आपके लोग पहुंचे और श्रेष्ठ काम किया है. मुझे लगता है, इस सच को स्वीकारने में किसी को भी आपत्ति नहीं होगी. लेकिन सारी समस्या तब शुरू होती है, जब ये ही लोग मुसलमानों से प्रतिशोध लेने के लिए कदम उठाते हैं. उन पर हमले करते हैं. हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब, असहाय लोगों, महिलाओं और बच्चों पर हमले करना बिल्कुल असहनीय है.

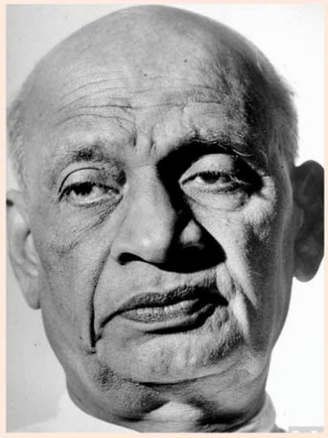

इसके अलावा देश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर आपलोग जिस तरह के हमले करते हैं, उसमें आपके लोग सारी मर्यादाएं, सम्मान को ताक पर रख देते हैं. देश में एक अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है (वही आज भी हो रहा है). संघ के लोगों के भाषण में सांप्रदायिकता का जहर भरा होता है. हिंदुओं की रक्षा करने के लिए नफरत फैलाने की भला क्या आवश्यक्ता है? इसी नफरत की लहर के कारण देश ने अपना पिता खो दिया. महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई. सरकार या देश की जनता में संघ के लिए सहानुभूति तक नहीं बची है. इन परिस्थितियों में सरकार के लिए संघ के खिलाफ निर्णय लेना अपरिहार्य हो गया था.

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ पर प्रतिबंध को छह महीने से ज्यादा हो चुके हैं. हमें वे उम्मीद थी कि इस दौरान संघ के लोग सही दिशा में आ जाएंगे. लेकिन जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं उससे तो यही लगता है, जैसे संघ अपनी नफरत की राजनीति से पीछे हटना ही नहीं चाहता. मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे जयपुर और लखनऊ में कही गई बात पर ध्यान दें. मुझे पूरी उम्मीद है कि देश को आगे बढ़ाने में आपका संगठन योगदान दे सकता है, बशर्ते वह सही रास्ते पर चले. आप भी ये अवश्य समझते होंगे कि देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है. इस समय देश भर के लोगों का, चाहे वो किसी भी पद, जाति, स्थान या संगठन में हो, उनका कर्तव्य बनता है कि वे देशहित में काम करें. इस कठिन समय में पुराने झगड़ों या दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है. मैं इस बात पर आश्वस्त हूं कि संघ के लोग देशहित में काम कांग्रेस के साथ मिलकर ही कर पाएंगे, न कि हमसे लड़कर. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपको रिहा कर दिया गया है. मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसला लेंगे. आप पर लगे प्रतिबंधों की वजह से मैं संयुक्त प्रांत सरकार के जरिए आपसे संवाद कर रहा हूं. पत्र मिलते ही उत्तर देने की कोशिश करूंगा.

आपका
वल्लभ भाई पटेल

यह पत्र उद्धृत करने का एक ही कारण है कि पटेल का सहारा लेकर संघ और अन्य हिन्दूवादी संगठन, गांधी की हत्या और सांप्रदायिकता को न्यायोचित ठहराते हैं. भले ही पटेल, डॉ. अंबेदकर की मूर्तियां बनवाकर अपनी जन विरोधी मान्यता को मज़बूत करें पर उनके द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचार यथावत रहेंगे. वैसे खेल हर तरफ़ खेला जा रहा है. गांधी के संपूर्ण चिंतन और रचनात्मक कार्यक्रमों को दरकिनार करके गांधी जी को स्वच्छता पर केन्द्रित कर दिया गया. इसी प्रकार डॉ. अंबेदकर के चिंतन को भीम एप्प में समेट दिया गया. पटेल के पूरे गैर-सांप्रदायिक चिंतन को चीन से बनकर आने वाली मूर्ति के पीछे सकेर दिया. मैं समझता हूं कि 150वां वर्ष केवल उत्सव के रूप में ही नहीं मनाया जाना चाहिए. खादी जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों पर अधिकरण हो रहा है, उसे कैसे जन से जोड़ा जाए, यह सोचा जाना चाहिए.

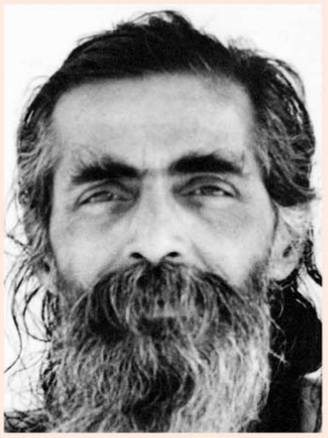

गांधी जी ने कहा था कि यह आज़ादी मात्र राजनीतिक आज़ादी है. इस आज़ादी को संपूर्ण आज़ादी में बदला जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि गांधी जी के वे उपकरण, जो आज़ादी के बाद पांडवों के हथियारों के तरह बांधकर शमी वृक्ष पर रख दिए थे, उन्हें पुनः सान पर चढ़ाना होगा. हिंसा के विरुद्ध अहिंसा को आज की ज़रूरत के अनुसार तैयार करना पड़ेगा.

गांधी को हमारी ज़रूरत नहीं है, इस विषाक्त वातावरण, से देश और जन को बचाने के लिए, गांधी के आशीर्वाद और संसाधनों की ज़रूरत है. बुद्ध को देश के एक वर्ग ने देश निकाला दे दिया था. जब वे विश्व में पूजनीय हो गए, तो विष्णु के दसवें अवतार हो गए. लेकिन राजनीतिक हथकंडो से गांधी को देश निकाला देना संभव नहीं.

गांधी जी ने जन से अपने आपको जोड़ा. जन की समस्याओं का समाधान हिन्द स्वराज में है. जब 1945 में गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा था कि हमें हिन्द स्वराज पर काम करना चाहिए और ग्रामोत्थान से जुड़ना चाहिए, तो नेहरू जी डर गए कि ये ग्राम हमें क्या देंगे. जो स्वयं अंधकार में हैं, संस्कारहीन हैं वे देश को रोशन कैसे करेंगे. अब उसका पुनिरीक्षण करना होगा. जितना काम का होगा उसे व्यवहार में लाना होगा. यह काम आसान नहीं है.

उनके रचनात्मक कार्यों के जितने लैंड मार्क हैं और जिन्हें समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें सुरक्षित और सक्रिय करना होगा. सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम उसके लिए सरकार पर निर्भर करेंगे. हमें गांधी जी की सहयोग वृत्ति को जगाना होगा और अपनी-अपनी ईमानदार को परखना होगा. जन सहयोग एकमात्र रास्ता है, जिसके कारण गांधी जी बापू बन गए.

अंत में एक बात कहना चाहता हूं. इस बात को मैंने आ. धर्माधिकारी जी के माध्यम से पहले भी उठाया था, पर हमारी पुरुषवादी प्रवृत्ति ने सकारात्मक उत्साह नहीं दिखाई. बा की 150वीं जयन्ति भी 2019 में ही बापू से छः महीने पहले अप्रैल 2019 में पड़ेगी. उसे महिला सशक्तिकरण और पुनर्जागरण के रूप में मनाया जाए. आज महिलाओं के लिए आरक्षण की दुहाई तो दी जाती है, स्वतंत्रता की बात दरी के नीचे खिसका दी जाती है. चाहे आश्रमों का संचालन हो या बिहार का किसान आंदोलन हो, बिना कस्तूरबा के सहयोग के संभव नहीं हुआ. बा विश्व की पहली महिला थीं, जो दक्षिण अफ़्रीका में सत्याग्रह करके अस्वस्थता की हालत में जेल गई थीं. मैं जानता हूं कि हमारी समृद्ध परंपरा में महिलाओं का जन्मदिन या शताब्दी मनाने के लिए कोई स्थान नहीं है. अनुसूइया, गार्गी आदि सिद्ध महिलाएं रही हैं. ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि उनसे संबंधित किसी तरह का उत्सव मनाया गया हो. कस्तूरबा उन सिद्ध नारियों में नहीं थी. वे सामाजिक विकास, देश की स्वतंत्रता से सक्रिय रूप से जुड़ी थीं. वे अनपढ़ थीं, परंतु स्वतंत्र चेता था. आज पुरुष ही सबसे अधिक जी हुज़ूर हैं. ■

उत्तराखंड में आएगा लोकायुक्त क़ानून

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में सत्तासीन हुई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत प्रदेश में अमरबेल की तरह फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त एक्ट पास करने की तैयारी में है. 2011 में भी भाजपा सरकार लोकायुक्त एक्ट लेकर आई थी. अब त्रिवेंद्र रावत सरकार ने इस एक्ट को विधानसभा के पटल पर रख दिया है. इसका पारित होना तय है. भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर कदम के वादे पर अमल के तहत भाजपा ने लोकायुक्त की पहल की है. 2012 में विजय बहुगुणा की सरकार ने लोकायुक्त एक्ट को पारित करने में महज खनापूर्ति की थी. तब सूबे के मुख्यमंत्री को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया था. मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के अधीन रखने का भाजपा सरकार ने इरादा जताया है.

लोकायुक्त के अलावा कम से कम पांच सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर की जाएगी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश स्तर के व्यक्ति ही लोकायुक्त होंगे. लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, राजकीय अधिकारी-कर्मचारी, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को छोड़कर अधीनस्थ न्यायपालिका के जज, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और सेवानिवृत्त अधिकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं आएंगी. सरकार बगैर लोकायुक्त की संस्तुति के, किसी मामले की जांच करने वाले अफसर का तबादला नहीं कर सकेगी. उल्लेखनीय है कि 2011 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी ने अन्ना हजारे के जनलोकपाल बिल के अनुरूप ही लोकायुक्त बिल पेश किया था. अन्ना हजारे ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि उत्तराखंड का लोकायुक्त कानून शत-प्रतिशत जनलोकपाल कानून जैसा ही है.■

feedback@chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश

गोंड जाति का अपमान करने वाला पाठ्यक्रम

लोरिन शर्मा

भाजपा खुद को संस्कृति का संरक्षक और विरासत को बचाने वाली पार्टी मानती है. जिन-जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां दावा किया जाता है कि सरकार स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करती है. लेकिन भाजपा शाषित मध्य प्रदेश में एक समुदाय की पहचान को ही बदनामी से जोड़ा जा रहा है और वो भी उन पाठ्यपुस्तकों के जरिए, जिनके माध्यम से बच्चों को समाज और संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता है. दरअसल, मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है कि गोंड शब्द का अर्थ होता है, गाय को मारने और खाने वाला. ये गोंड जनजाति का घोर अपमान है और इसे लेकर इस समुदाय के लोगों में बहुत रोष है. लोगों के विरोध के बाद, अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार का विरोध शुरू कर दिया है. इसे लेकर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सरकार को घेरने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों का अपमान सहन नहीं करेगी. इन्होंने मांग की कि इस गंभीर मामले में मुख्यमंत्री सदन के समक्ष स्थिति स्पष्ट करें. जो भी इसके लिए दोषी हों, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए. इसे मामले को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ. गौरतलब है कि भाजपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री जयभानसिंह पवैया की गिनती कट्टर हिंदुत्व के पैरोकारों में होती है. इसके बावजूद इनके विभाग

के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम में गाय को एक समुदाय से जोड़ते हुए विवादित टिप्पणी की गई है. चूक कहां पर हुई और दोषी कौन है, ये पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया इसका ठीकरा एक विशेष प्रकाशन और निजी विद्यालय के ऊपर फोड़ दे रहे हैं. सिर्फ विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी गोंड जाति के इस अपमान को लेकर आवाज उठ रही है. शिवराज कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य और आदिवासी नेता विजय शाह, जो स्वयं गोंड जनजाति से आते हैं, उन्होंने इसे लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि गोंड जनजाति को लेकर जिस तरह से विद्यार्थियों को गलत बातें बताई जा रही हैं, वो किसी भी तरह से सही नहीं है.

गोंड समुदाय के इतिहास की बात करें, तो जनजातीय आदिवासी वर्ग के ये लोग बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश में निवास करते हैं. गोंड जाति की लगभग 60 प्रतिशत आबादी मध्यप्रदेश में रहती है. मध्यप्रदेश के बालाघाट, रायसेन व खरगोन में गोंड बड़ी संख्या में रहते हैं. इसके अलावा ये आंध्रप्रदेश, ओडीशा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मण्डला, बस्तर और गोदावरी एवं बैनगंगा के पूर्वी घाट के बीच के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं. मध्यप्रदेश की ये सबसे अहम जनजाति प्राचीनकाल के गोंड राजाओं को अपना वंशज मानती है. यह एक स्वतंत्र जनजाति थी, जिनका अपना राज्य था. कहा जाता है कि इस जाति के 52 गढ़ थे और मध्यभारत में 14वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक देश के विभिन्न भूभागों पर इनका शासन रहा. मुगल और मराठा शासकों ने इनपर आक्रमण कर इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया. इसके बाद ये लोग प्रदेश के घने जंगलों ओर पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लेकर बसने लगे. अब शैक्षिक माध्यम के द्वारा भी इनकी विरासत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसका चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड में सीएनटी मुद्दे पर चर्च भाजपा आमने-सामने

पीसाई के ख़िलाफ़ ईसाई

प्रशान्त शरण

छोटानागपुर एवं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे संशोधन के प्रस्ताव को लेकर चर्च एवं ईसाई धर्मगुरुओं ने खुलकर विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं. ईसाई धर्मगुरु मानते हैं कि सियासत के दो पाट में रख कर ईसाइयों को पीसा जा रहा है. इस कारण झारखंड में अराजक स्थिति उत्पन्न होने और हिंसा प्रतिहिंसा की शक्ल में बदलने की आशंका घर करती जा रही है. राज्य में ईसाईयों के सर्वोच्च धर्मगुरु कार्डिनल तिलोस्फर पी. टोप्पो ने साफ तौर पर सरकार को आगाह करते हुए कहा कि इस संशोधन को राज्य सरकार नहीं लाए. इससे आदिवासियों का अस्तित्व मिट जाएगा. चर्च एवं ईसाई समुदाय इस कानून का हर संभव विरोध करेगा. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चर्च एवं उनके धर्मगुरुओं को एक तरह से चेतावनी दे डाली और उन्हें हिदायत दे डाली कि वे अपनी परिधि में ही रहें और धर्म की आड़ में राजनीति करने की कोशिश न करें. पार्टी ने चर्च पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कहा कि भोले-भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनलोगों का धर्मान्तरण भी कराया रहा है. भाजपा एवं चर्च के बीच इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप से झारखंड में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और धीरे-धीरे सुलगते हुए यह मामला विस्फोटक रूप ले सकता है. इससे पूर्व भी स्थानीयता एवं इस एक्ट को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक घटनाएं घटित हो चुकी हैं.

आमलोगों के बीच यह चर्चा आम है कि भाजपा के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते प्रभाव से ईसाई मिशनरीज की चिंताएं बढ़ गई हैं. अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चर्च अब आदिवासियों को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं एवं सरकार के विरोध में आदिवासियों को खड़ा करने में लगा हुए हैं. चर्च के द्वारा धर्मान्तरण किए जाने का विरोध भी हमेशा भाजपा एवं संघ परिवार करता रहा है. पूर्वी भारत में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है, जहां चर्च की जड़ें मजबूत हैं और लगभग पांच प्रतिशत आबादी ईसाईयों की है.

झारखंड में टकराव की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि चर्च के रुख को देखकर हुए भाजपा ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और चर्च के खिलाफ खड़ी हो गई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने तो यहां तक कह दिया कि चर्चा भोले-भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनका जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं. प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कराना ही इनका काम रह गया है. आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चर्च के नाम पर हड़प लिया गया है. इस जमीन के बदले में रैयतों को कुछ नहीं दिया गया.

दरअसल, मुस्लिम समुदाय की तरह ईसाई भी इस बात से चिंतित हैं कि अगर भाजपा का जनाधार राज्य में बढ़ा और यहां भी हमेशा बहुमत की सरकार बनी, तो चर्च को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. धर्मान्तरण के मुद्दे पर चर्च एवं संघ परिवार के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है. ईसाई शिक्षण संस्थानों के प्रसार को देखते हुए इस पर काबू पाने के उद्देश्य से संघ परिवार ने भी ईसाई वर्चस्व वाले क्षेत्रों में एकल विद्यालय एवं सरस्वती शिशु मंदीर जैसे शिक्षण संस्थान खोलना शुरू किया. इसके बाद धर्मान्तरण पर बहुत हद तक काबू पाया जा सका. लेकिन फिर भी चर्च और संघ परिवार के बीच टकराव की स्थिति बनी रही. बहुमत वाली भाजपा सरकार आने के बाद चर्च एवं उनकी गतिविधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया गया. इसके बाद आदिवासी नामधारी संगठनों ने आदिवासियों को सरकार के विरुद्ध भड़का कर गोलबंद करना शुरू किया. बहुत हद तक आदिवासी संगठन इसमें सफल भी रहे. इसके बाद भाजपा एवं संघ परिवार ने इसमें सेंधमारी की और संथाल परगना प्रमण्डल जो आदिवासी बहुल है, में कुछ पैठ बनाने में सफल रही. लेकिन जमीन के लाभ और सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में होने वाले संशोधन के फायदे के संबंध में आदिवासियों को समझाने में पूरी तरह से विफल रही. कमोबेश यही हाल पूरे राज्य का है और यही कारण है कि झारखंड सरकार बाहरी एवं स्थानीय लोगों को उद्योग के लिए जमीन देने में पूरी तरफ से विफल रही है. चर्च एवं ईसाई मिशनरीज इसी का फायदा उठाने में लग गई हैं एवं आदिवासियों को भयभीत कर गोलबंद कर रही हैं. ईसाई समुदाय के लोग जिनकी आबादी लगभग पांच प्रतिशत है, वे तो खुलकर सरकार के विरोध में उतर गए हैं और ये लोग अन्य आदिवासियों को भी गोलबंद करने में लगे हुए हैं. अगर चर्च एवं ईसाई मिशनरीज अपने इस मंसूबे में सफल रहे, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हिंसक घटनाओं का दौर शुरू हो जाएगा और इस राज्य को अशांत होने से कोई रोक नहीं पाएगा. एक तरह से यह राज्य बारुद की ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है. ■

चर्च नहीं रहेगा चुप, सरकार क़ानून नहीं थोपे : कार्डिनल

रघुवर सरकार द्वारा सीएनटी एसपीटी एक्ट में किए जा रहे संशोधन से अब धर्मगुरु भी बौखला गए हैं. पूर्वी भारत के ईसाई मिशनरीज के प्रमुख कार्डिनल तेलेस्फोर पी. टोप्पो खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं. उनका कहना है कि अगर सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन हुआ, तो आदिवासियों की पूरी जमीन चली जाएगी और इनलोगों का अस्तित्व मिट जाएगा. रोजी-रोटी की तलाश में इनलोगों का विस्थापन शुरू हो जाएगा. इसलिए हमलोग सरकार को आगाह कर रहे हैं कि कोई भी कानून लाने से पहले आदिवासी संगठनों एवं आमलोगों से सलाह मशविरा करे. धर्मगुरु ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर इस संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने का भी अनुरोध किया. कार्डिनल टोप्पो ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रघुवर सरकार जबरन आदिवासियों पर कानून थोपना चाहती है. ऐसे में कोई कैसे चुप रह सकता है. आदिवासियों की मनःस्थिति जानने के बाद ही चर्च को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा. धर्मगुरु ने कहा कि वे पहले आदिवासी हैं और बाद में धर्मगुरु. उनका मानना है कि इस कानून में संशोधन की बात से आदिवासी समुदाय में गहरा असंतोष है और वे इस बात पर अपना पक्ष रखने के लिए राज्यपाल से मिलने गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को बेवजह तूल देकर उनपर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक नागरिक होने के नाते क्या उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वे किसी बात को सरकार के समक्ष रख सकें. ऐसा करने पर बेवजह हंगामा किया जा रहा है और चर्च के कार्यों का हिसाब-किताब मांगा जा रहा है. उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई कि भाजपा के कुछ लोग चर्च पर जमीन हड़पने एवं धर्मान्तरण का आरोप लगा रहे हैं, जो दुःखदायी है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को यह बताना चाहिए कि चर्च ने कहां जमीन लूटी है और कहां धर्मान्तरण कराया है. झारखंड में तो मात्र चार प्रतिशत लोग ही ईसाई समुदाय के हैं. कार्डिनल ने राज्य सरकार पर यह भी सवाल उठाया कि सरकार बुला-बुलाकर उद्योगपतियों को जमीन दे रही है, लेकिन हमने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए जमीन मांगी, तो हमें नहीं दी गई. उद्योगपतियों को देने के लिए इनके पास जमीन है, लेकिन अस्पताल और कॉलेज के लिए नहीं है. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या मेडिकल कॉलेज में केवल ईसाई लड़के ही पढ़ते हैं और केवल उन्हीं लोगों का ईलाज होता. ■

राजनीति कर रहे हैं धर्मगुरु - लक्ष्मण गिलुवा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने ईसाई धर्मगुरुओं पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्मगुरुओं को अपने कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए न कि राजनीति में आना चाहिए. राज्य की जनता चर्च की मंशा समझ चुकी है और उस मंशा को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट की सबसे ज्यादा अवहेलना चर्च ने ही की है. आदिवासियों का हितैषी बनने का नाटक करने वाले इन्हीं धर्मगुरुओं ने आदिवासियों को उनकी मूल पारम्परिक संस्कृति से तोड़ने का काम किया है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने एक तरह से धर्मगुरुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना ये अपना स्वार्थ साधने के लिए झारखंड की जनता को बरगलाने की कोशिश न करें. उन्होंने कहा कि चर्च आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है. इस मामले को लेकर कार्डिनल द्वारा राज्यपाल से मुलाकात को भी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया. चर्च की भूमिका पर उन्होंने कहा कि आदिवासियों से मिलकर धर्मगुरुओं ने यहां दुकानें खोल रखी है. इसे चलने नहीं दिया जाएगा. क्या चर्च धार्मिक कार्यों से हटकर आंदोलन चला रहे हैं, इसके संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शुरू से ही यह आशंका थी कि चर्च ही सीएनटी-एसपीटी के संशोधन के खिलाफ आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं. आंदोलन उन्हीं क्षेत्रों में था जहां चर्च का प्रभाव है. इससे यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि इस आंदोलन के पीछे चर्च का सीधा हाथ है. उन्होंने कहा कि कार्डिनल का यह कहना सरासर गलत है कि सीएनटी-एसपीटी में संशोधन से आदिवासियों की जमीन छिन जाएगी. इस एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन उन्हीं लोगों की रहेगी और वे अपनी जमीन का व्यवसायिक उपयोग कर सकेंगे. ■

आदिवासियों के हित में है संशोधन : रघुवर

सीएनटी-एसपीटी में संशोधन के खिलाफ चर्च और धर्मगुरुओं के हस्तक्षेप से मुख्यमंत्री की नाराजगी साफ दिखाई पड़ रही है. उनका कहना है कि कार्डिनल और चर्च को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. अब जरूरत है कि लोग अपनी सोच में बदलाव लाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर यह संशोधन आदिवासियों के हित में ही किया गया है. सरकार ने रैयतों के हित में ही यह संशोधन किया है, ताकि वे अपनी जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर सकें. उद्योगपतियों एवं व्यवसायिक घरानों को जमीन लीज पर दी जाएगी, लेकिन वो जमीन रैयत के नाम पर ही रहेगी. उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने इस संशोधन के खिलाफ तीन बार झारखंड बंद बुलाया, पर जनता ने इस बंद को नकार कर यह साबित कर दिया कि वे इस संशोधन के साथ है. आदिवासी समाज से जुड़कर कई सक्रिय लोगों ने दुकान खोल ली है और भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं. पर अब ऐसी शक्तियों को परास्त करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक आदिवासी, दलित व पिछड़ा वर्ग को उनका हक नहीं मिल पाया था, सैकड़ों गांव में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं. अब इस संशोधन से आदिवासियों का विकास होगा.

आदिवासियों को न बरगलाए सरकार : बाबुलाल

झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबुलाल मरांडी ने रघुवर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार सीएनटी-एसपीटी में हुए संशोधन को आदिवासियों के हित में बता कर भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रही है. यह हसीन सपना दिखाकर आदिवासियों की जमीन पर व्यवसायिक घरानों का कब्जा करा दिया जाएगा कि जमीन रैयतों के नाम पर ही रहेगी और उद्यमी इसके उपयोग के बदले में जमीन मालिक को राशि देंगे. उनका मानना है कि अगर इस संशोधन को लागू कर दिया गया तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे. रोजी-रोटी की तलाश में राज्य से विस्थापन शुरू हो जाएगा और आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और जमीनों पर भाजपा के औद्योगिक घरानों का साम्राज्य कायम हो जाएगा. ये पूछे जाने पर कि मुख्यमंत्री रघुवर दास विपक्षी नेताओं पर ही आरोप लगा रहे हैं कि स्वार्थ सिद्धि के लिए आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम संशोधन की सच्चाई को जनता के सामने ला रहे हैं, इसलिए विपक्षी नेताओं पर तरह-तरह का आरोप लगाया जा रहा है. लेकिन सच तो सामने आएगा ही. जनता इन नेताओं को सबक सिखा कर ही रहेगी. विकास के नाम पर आदिवासियों के विनाश की साजिश हो रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष

गांधी के विचारों को आत्मसात करने के संकल्प के साथ हुआ

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का आग़ाज़

राकेश कुमार

देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण से ही सत्याग्रह का शंखनाद किया था. 10 अप्रैल 1917 को बापू बिहार आए थे और 15 अप्रैल को चंपारण के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उतरे थे. चंपारण के किसानों की बदहाली और शोषण के विरूद्ध गांधी ने अंग्रेज निलहों के खिलाफ पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया. यही कारण है कि चंपारण को सत्याग्रह का तीर्थ कहते हैं.

चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को एक समारोह के रूप में आयोजित कर महात्मा गांधी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और नई पीढ़ी को इनके विचारों से अवगत कराने का संकल्प राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने लिया है. शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सर्व सेवा संघ द्वारा मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. 23 मार्च से शुरू हुए इस कार्यक्रम में विचार गोष्ठी के साथ ही गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर भी विषद् चर्चा हुई. देश के कोने कोने से आए गांधीवादी विचारकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी, स्वामी अग्निवेश, मेधा पाटकर, जल पुरूष राजेन्द्र सिंह, गांधीवादी विचारों के विद्वान और पूर्व कुलपति व सांसद रामजी सिंह ने संयुक्त रूप से किया.

इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गांधी के विचारों को हम घर-घर तक पहुंचाएं. अगर दस फीसदी लोगों ने भी गांधी के विचारों को आत्मसात कर लिया, तो आने वाले दस-पन्द्रह वर्षों में समाज का स्वरूप बदल जाएगा. उन्होंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह पूरे साल मनाया जाएगा. घर-घर दस्तक कार्यक्रम के तहत जन-जन तक बापू के विचारों को पहुंचाया जाएगा. इसके लिए साल भर की योजना बनाई गई है. इसका शुभारंभ 10 अप्रैल को पटना में दो दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श से होगा, जिसमें देश भर से चिंतकों और गांधी दर्शन के विद्वानों को आमंत्रित किया गया है. चंपारण के चंद्रहिया गांधी आश्रम से मोतिहारी गांधी स्मारक तक स्मृति यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम है और 17 अप्रैल को देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा. देश और पूरे विश्व के वर्तमान हिंसक परिवेश पर चिंता जताते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि असहिष्णुता लगातार बढ़ रही है. देश-दुनिया में जो हो रहा है, इसका समाधान गांधी के विचारों में है. गंगा की अविरलता और पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाई. यूपीए सरकार ने भी योजना बनाई थी. लेकिन हुआ कुछ नहीं. हाल में ही पटना में आयोजित एक सेमीनार में श्री झुनझुनवाला ने कहा था कि फरक्का बांध तोड़ना संभव नहीं है. नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा मकसद फरक्का बांध को तोड़ना नहीं है, मैं तो गंगा के अविरलता की बात करता हूं. गांधी जी ने जिस प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने का प्रयास किया, उसके बारे में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व में प्राकृतिक चिकित्सा बढ़ी, लेकिन फिर विलुप्त हो गई, जिसे गांधी जी ने पुन: स्थापित किया. बापू नशा को समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानते थे. नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी के बाद अब हम बिहार को नशामुक्त करने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की. कहा कि गांधी द्वारा स्थापित विद्यालयों का कायाकल्प होगा. विद्यालयों में प्रार्थना सभा के बाद गांधी जी के बारे में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा. गांधी से जुड़े स्थलों का विकास होगा, स्मारक, स्तंभ बनाया जाएगा और जीवंत चित्र लगाए जाएंगे. सूबे के हर व्यक्ति को गांधी के विचारों से रूबरू कराया जाएगा. सौ परिवारों की बसावट तक में गांधी के विचारों की लघु फिल्में दिखाई जाएंगी.

बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भी समारोह को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि गांधी जी नशा को समाज के लिए अभिशाप मानते थे. शराबबंदी कर बिहार सरकार ने निडरता का परिचय देते हुए सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में गांधी जी के विचारों को मूर्त रूप दिया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर गांधी जी के विचारों से हम बच्चों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं. बिहार सरकार लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि किस तरह से शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाकर सरकार शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रही है.

इस मौके पर महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी ने कहा कि चंपारण आजादी के इतिहास का प्रथम तीर्थ स्थल है. इस प्रणम्य मिट्टी पर मैं कहना चाहूंगा कि जिन मुद्दों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन हुआ, वे आज भी ज्वलंत बने हुए हैं. किसानों की स्थिति अब भी खराब है. विकास के नाम पर किसानों के सपनों को कुचला जा रहा है. आज भी इन्हें इनका अधिकार नहीं मिल रहा है. बापू के पूर्ण स्वराज का सपना आज भी अधूरा है. तुषार गांधी ने कहा कि जिन गांधीवादी संस्थाओं का निर्माण सामाजिक लड़ाइयों के लिए हुआ था, वो लुप्त होती जा रही हैं. अब वो वक्त आ गया है कि सत्याग्रह की इस मिट्टी से देश में पूर्ण स्वराज के लिए जंग छेड़ी जाए. शराबबंदी के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रसंशा की. तुषार गांधी ने बापू के साथ-साथ बा को भी याद किया. उन्होंने कहा कि बा के बिना चंपारण मे बापू का महत्व अधूरा है. बापू ने कहा भी था, 'मैं महात्मा बना, तो आत्मा कस्तूरबा है.' इसलिए कोशिश की जाए कि सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में बा को भी सम्मान प्राप्त हो. विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा भूमि बिहार में मिली थी, पर बहुत कम भूमि पर ही किसान काबिज हो सके. ऐसी जमीनों पर किसानों के लिए शोध केन्द्र खोलें जाएं साथ ही उनकी समस्याओं के स्थायी निराकरण की व्यवस्था हो.

समारोह की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद और गांधी दर्शन के प्रख्यात विद्वान व पूर्व कुलपति डॉ0 रामजी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि चंपारण सत्याग्रह, किसानों पर अत्याचार, अनाचार और शोषण के विरूद्ध किया गया था, लेकिन आज इतने सालों बाद भी गांवों और किसानों के साथ भेदभाव, अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है. गांव और किसानों के साथ न्याय करना होगा और तभी बापू का स्वराज आएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

चंपारण सत्याग्रह के सौ साल बाद भी

सपना है सबके लिए अपनी ज़मीन

कुमार कृष्णन

किसानों को अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए सौ साल पहले अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे. पहली बार सत्याग्रह आंदोलन का जो रास्ता अपनाया गया, वो अब वैश्विक इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है. इससे शुरू हुई प्रक्रिया जमींदारी उन्मूलन तक गई. इसी आंदोलन ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया. चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधीजी ने आम भारतीय किसान की तरह का लिबास अपनाया और वंचित तबकों से खुद से जोड़ने की कोशिश शुरू की. सौ वर्षों के बाद आज चंपारण सत्याग्रह सौ गुणा प्रासंगिक हो गया है. आज जमीन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों के निशाने पर है. बिहार जैसे राज्य में जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि सुधार के काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. विनोबा के भूदान आंदोलन से लेकर अब तक नारे बदलते गए, लेकिन 'जमीन उसी की, जो उसको जोते' का फॉर्मूला नजरअंदाज कर दिया गया. आज जमीन का मालिक न खेत जोतता है, न उसे आबाद करता है. भूमि सुधार के लिए बना बटाईदारी कानून कागजों पर है. जमीन के मालिकाना हक की सीमा का कोई मतलब ही नहीं रह गया है. फर्जी नामों की जमीनें बड़े-बड़े जमीन मालिकों के कब्जे में हैं.

सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास के सरकारी जुमलों के बीच बिहार में छह लाख लोग भूमिहीन हैं. ये आवास के हक से वंचित हैं. ये अलग बात है कि आर्थिक सुधार और उदारीकरण के दौर में भूमि सुधार कोई प्राथमिकता ही नहीं रही. सुप्रसिद्ध गांधीवादी डॉ. एस.एन. सुब्बाराव का कहना है कि देश में भूमि का सवाल हल न होना हिंसा का कारण बन रहा है. आंकड़ों के जरिए इसे यूं समझा जा सकता है कि बिहार के कुल 1,78,29,066 परिवारों में से 54 फीसदी परिवार भूमिहीन हैं. इनमें अनुसूचित जाति के 76 फीसदी व अनुसूचित जनजाति के 57 फीसदी परिवार हैं. ये आंकड़े भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सामाजिक जाति गणना के हैं. बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को 2,32,139 दानपत्रों के माध्यम से 6,48,593 एकड़ भूमि दान में मिली. इसमें से 1,03,485 एकड़ भूमि अभी भी अयोग्य भूमि में सम्पुष्ट भूमि श्रेणी के अंतर्गत शेष बची हुई है, इसे भूमिहीनों के बीच वितरित करने की जरूरत है. ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के अंतर्गत आजादी के बाद से राज्य में अब तक 23,77,763 परिवारों को भूमि का पर्चा दिया गया था, लेकिन उनमें से मात्र 16,75,720 परिवार काबिज हो पाए, 1,47,226 परिवारों को कब्जा नहीं मिला और 5,00,564 परिवारों के बारे में रिकार्ड और भूमि की जानकारी नहीं मिली. महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एनेक्सर-1 व एनेक्सर-2 के वास भूमि रहित परिवारों का सर्वे कर उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर वास योग्य 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बसेरा-2014 अभियान प्रारंभ किया गया था. इसके अंतर्गत 1,00,268 परिवारों को चिन्हित किया गया, लेकिन इसमें भी 42,400 परिवारों को ही वास भूमि प्रदान की जा सकी, 57,868 परिवार शेष रह गए. राज्य में वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के अंतर्गत 8,022 दावे दाखिल किए गए, जिसमें से मात्र 121 दावों को मान्य करते हुए वनाधिकार दिया गया. कई गांवों में तो ठीक तरह से कार्य भी नहीं किया गया. इसलिए वनाधिकार मान्यता कानून की समीक्षा कर, निरस्त किए गए दावों पर पुनर्विचार और प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू करने की व्यवस्था होनी चाहिए. इसके बारे में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा कहते हैं कि सरकार कमजोर वर्ग की भू-समस्याओं को लेकर चिंतित है. इसलिए विगत दिनों राजस्व की धारा-45 बी को लेकर कार्रवाई की गई.

डी.बंधोपाध्याय की अध्यक्षता में वर्ष 2006 में बिहार में गठित भूमि सुधार आयोग की 2009 में आई रिपोर्ट में बटाईदारों के हित में कानून बनाने की अनुशंसा की गई थी. इसमें सुझाव दिया गया था कि बटाइदार के द्वारा उत्पादन खर्च वहन करने की स्थिति में बटाइदारों को उत्पादन का 70 से 75 फीसदी हिस्सा और भूस्वामी के उत्पादन व्यय में सहयोगी बनने की हालत में बटाईदारों को 60 फीसदी हिस्सा दिया जाय. सीलिंग कानून में सुधार की वकालत करते हुए कहा गया था कि कृषि तथा गैर कृषि भूमि के बीच अंतर खत्म किया जाना चाहिए. 5 सदस्यों वाले एक परिवार के लिए 15 एकड़ सीलिंग तथा 1950 से विद्यमान मठों, मंदिर, चर्च सहित तमाम धार्मिक संस्थानों के लिए भी 15 एकड़ की सीलिंग निर्धारित की गई थी. 15 एकड़ सीलिंग मानकर आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि बिहार सरकार अनुमानित रूप से लगभग 20.95 लाख एकड़ जमीन हासिल कर पाएगी. 2001 की जनगणना के आधार पर 2007 में गणना करने पर लगभग 56.55 लाख कृषि मजदूर थे. इनमें से 16.68 लाख लोग सबसे निचले पायदान पर हैं. यदि एक एकड़ के हिसाब से भी इनको जमीन दी जाए, तो यह आंकड़ा 16.68 लाख एकड़ तक पहुंचता है. कोई समस्या पैदा होने की हालत में इसे एक एकड़ से घटाकर 0.66 एकड़ किया जा सकता है. इसके आधार पर लगभग 10.30 लाख एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. जबकि बिहार में लगभग 6 लाख परिवार बिल्कुल आवासीय भूमिहीन हैं और इनको भूमि सुधार आयोग के द्वारा 10 डिसमिल भूमि देने की अनुशंसा की गई है.

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी की रश्म अदायगी से इतर भूमिहीनों के इसी महत्वपूर्ण मसले को लेकर सुप्रसिद्ध गांधीवादी पी.वी.राजगोपाल के नेतृत्व में एक पदयात्रा हुई. मोतिहारी में आयोजित सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान देशभर से आए वरिष्ठ गांधीवादी लोगों ने पी.वी. राजगोपाल को सत्याग्रह की पवित्र मिट्टी सौंपी. जिसे लेकर सत्याग्रहियों का दल पटना जिले के नौबतपुर पहुंचा. बिहार विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सत्याग्रह पदयात्रा को रवाना किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहचान और स्वाभिमान के लिए भूमि का मालिकाना हक जरूरी है. प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के पास भी अपना घर और अपनी जमीन हो, इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा. पी.वी.राजगोपाल का कहना है कि यह पदयात्रा गरीब भूमिहीनों को न्याय दिलाने के लिए है. सरकार बदलने से एग्रीमेंट नहीं बदलता है. 2007 और 2012 में भी इस मुद्दे को लेकर पदयात्रा निकाली गई थी. 2007 में 25 हजार व 2012 में 1 लाख की संख्या में सत्याग्रहियों ने पदयात्रा में शिरकत किया था. 2007 में राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनी. 2012 में राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम एडवाइजरी जारी की गई. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 20 मार्च 2013 को बिहार के मुख्यमंत्री को भी भूमि सुधार के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को 10 डीसिमल जमीन देने की बात कही गई थी.

भूमि अधिकार को लेकर लड़ रहे पंकज का कहना है कि बिहार भूमि सुधार कानून 1961 की उपधारा 45-बी को संशोधित कर दर्जनों सीलिंग के वादों को समाप्त कर दिया गया है. सिर्फ पश्चिमी चंपारण में ही 6,000 एकड़ भूमि वितरण के लिए तैयार है. इसमें से 5200 एकड़ हरिनगर चीनी मिल की अधिशेष भूमि है. इन सत्याग्रहियों की मांग है कि इसमें से 1200 एकड़ भूमि पर चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार राजकुमार शुक्ल के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय. शेष 4000 एकड़ भूमि में से दस-दस डिसमिल जमीन पर तीस हजार निर्धन परिवारों को बसाकर उन्हें भूमिहीनता के शाप से मुक्त किया जाय. शेष एक हजार एकड़ भूमि का उपयोग सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय, स्कूल, खेल के मैदान सहित गांवों को बसाने में किया जाय. ये गांव किसान आंदोलन के सेनानी शेख गुलाब, शीतल राय, पीर मोहम्मद मुनीश, रामानंद तिवारी और रोगी महतो के नाम पर बसाए जाएं. इनकी मांग है कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में हर बेघर परिवार को वासभूमि का कानूनी हकदार बनाने के लिए विधानमंडल से प्रस्ताव पारित कराया जाय. यहीं चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष की सार्थकता होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आधार पर फिर से विचार किए जाने की ज़रूरत है

मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ कहा है. सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल को आदेश देना चाहिए कि वे कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जो भी मंत्रालय इसमें शामिल हैं, से विचार-विमर्श करें और किसी ठोस नतीज़े पर पहुंचें कि वे वास्तव में करना क्या चाहते हैं. जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तो मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ेगा कि यह एक दोषपूर्ण प्रस्ताव (सीनिकल प्रोपोजल) है. बेशक सैकड़ों हज़ार करोड़ रुपए प्राइवेट कंसल्टेंट्स, कंप्यूटर कम्पनियों के पॉकेट में चले गए होंगे. नंदन निलेकणी यूआईडीएआई के लिए एक रुपया प्रति माह के वेतन पर काम करते हैं, लेकिन ऐसे साक्ष्य भी हैं, जो ज़ाहिर करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को लाभ मिला है. ऐसे में यदि इसका मक़सद प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना है या अमेरिका को जानकारी देना है, तो ये अलग मुद्दा है. जहां तक अपने देश का सवाल है, इस पूरे मुद्दे को फिर से देखने की ज़रूरत है.

आधार नंबर या आधार कार्ड से जुड़े विवाद का उचित समाधान होना चाहिए. आधार जारी करने की शुरुआत यूपीए शासनकाल के दौरान एक क्रांतिकारी कदम के रूप में की गई थी. इन्फ़ोसिस के नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में एक अथॉरिटी बनाई गई थी. उस समय भी बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना शक ज़ाहिर किया था, क्योंकि उस समय आधार कार्ड के समानांतर गृह मंत्रालय के तत्वाधान में एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर स्कीम चल रही थी. यूपीए सरकार के कई मंत्रियों ने देश के नागरिकों को दो समानांतर पहचान नंबर दिए जाने पर अपनी आशंका जताई थी. चूंकि आधार स्कीम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री की कृपा दृष्टि थी, लिहाज़ा यह स्कीम जारी रही. अब नई सरकार आ गई है. यह सरकार भी इस मामले में पहली सरकार से बेहतर नहीं है. इन्होंने शुरू में कहा कि ये आधार को रद्द कर देंगे, लेकिन अब आधार को और मज़बूत बनाना चाहते हैं. अब ये इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय भी आधार को अनिवार्य बना रहे हैं. इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पहले से ही पैन नंबर मौजूद है. मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री समेत सरकार में कोई है, जो ये बता सके कि वे क्या कर रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं. यदि आप आधार की बुनियाद पर इनकम टैक्स जमा करना चाहते हैं, तो फिर पैन कार्ड को समाप्त कर दीजिए.

मेरे हिसाब से आधार के संभावित लक्ष्य वे लोग थे, जो सरकार से सब्सिडी और दूसरी रियायतें लेना चाहते हैं. इसका संबंध प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण (डीबीटी) से था. यदि ऐसा था, तो हर उस व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है, उसे आधार कार्ड लेने से मना कर देना चाहिए. पैन कार्ड रखने का मतलब है कि आप देश के दो से तीन प्रतिशत लोगों में से हैं, जो इनकम टैक्स जमा करते हैं. उन्हें सरकार से सब्सिडी लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सरकार को ये अनिवार्य करना चाहिए कि जिनके पास पैन कार्ड है, वे आधार कार्ड न बनवाएं. आज यदि हमें बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो हमें आधार कार्ड चाहिए. आधार कार्ड क्यों चाहिए? मैं इनकम टैक्स जमा करने वाला व्यक्ति हूं. मैं अपने पैन कार्ड से अपना खाता क्यों नहीं खुलवा सकता? मैं गर्व से कहता हूं कि मैं इनकम टैक्स जमा करता हूं, मेरी सारी जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हैं. लिहाज़ा, मैं नहीं समझता कि आधार को लागू करने में सरकार ने सूझबूझ का परिचय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके ठीक उलट बात कही है. कोर्ट का कहना है कि गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं कर सकते. लिहाज़ा, यहां अंतर्विरोध है. आप आधार किस लिए चाहते हैं? दुर्भाग्यवश आधार का ख़राब निष्कर्ष निकल रहा है. यानी आधार जिसमें बायोमेट्रिक और दूसरी जानकारियां ली जाती हैं, उसकी वजह से व्यक्ति की गोपनीयता समाप्त हो जाएगी और जितने आंकड़े जमा किए गए हैं, वे सब अमेरिका में उपलब्ध होंगे. यदि आधार का मक़सद यही है, तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है. लेकिन यदि आप अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, तो उस पर आपकी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए. पुलिस, आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और कार्ड नंबर में अत्यधिक विश्वास ठीक नहीं है. पुलिस और आधार कार्ड, बेहतर प्रबंधन और बेहतर शासन व्यवस्था का विकल्प नहीं हो सकते. यह संभव नहीं है. जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उन्होंने भी दिल्ली के नागरिकों को एक नंबर देने का प्रयास किया था. उनके इस प्रस्ताव पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल रूप से चेतावनी जारी की थी. उन्होंने कहा था कि आप पुलिस और दूसरे सरकारी अधिकारियों पर अत्यधिक विश्वास मत कीजिए. समाज अलग चीज़ है. उसके लिए अधिक परेशानी पैदा न करें.

वही समस्या आज भी है. मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ कहा है. सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल को आदेश देना चाहिए कि वे कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जो भी मंत्रालय इसमें शामिल हैं, से विचार-विमर्श करें और किसी ठोस नतीज़े पर पहुंचें कि वे वास्तव में करना क्या चाहते हैं. जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तो मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ेगा कि यह एक दोषपूर्ण प्रस्ताव (सीनिकल प्रोपोजल) है. बेशक सैकड़ों हज़ार करोड़ रुपए प्राइवेट कंसल्टेंट्स, कंप्यूटर कम्पनियों के पॉकेट में चले गए होंगे. नंदन निलेकणी यूआईडीएआई के लिए एक रुपया प्रति माह के वेतन पर काम करते हैं, लेकिन ऐसे साक्ष्य भी हैं, जो ज़ाहिर करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को लाभ मिला है. ऐसे में यदि इसका मक़सद प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना है या अमेरिका को जानकारी देना है, तो ये अलग मुद्दा है. जहां तक अपने देश का सवाल है, इस पूरे मुद्दे को फिर से देखने की ज़रूरत है.

दूसरा मुद्दा कश्मीर से आने वाली चिंताजनक ख़बरें हैं. अब जबकि सर्दियों का मौसम समाप्त हो चुका है और गर्मी का आ गई है, एक बार फिर वहां हिंसा शुरू हो गई है. जब केंद्र सरकार ये दावा कर रही थी कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से कश्मीर में हिंसा रुक गई है, तो उसे सुन कर वहां लोग हंस रहे थे, क्योंकि हिंसा रुकने का संबंध नोटबंदी से नहीं था. जनवरी और फ़रवरी वहां सख्त महीने होते हैं. अप्रैल और मई के महीने पर्यटन के महीने होते हैं. अगर हिंसा जारी रही, तो पर्यटन का ये मौसम नष्ट हो जाएगा. अब सरकार की क्या सोच है, मुझे मालूम नहीं लेकिन जितना मैंने अपने सूत्रों से सुना है, सरकार सख्त रुख अपनाने वाली है. अब सरकार तो बहरहाल सरकार होती है, उसे अपनी मर्ज़ी का फैसला लेने का अधिकार होता है. लेकिन उन्हें मानवीय दृष्टिकोण अवश्य ज़ेहन में रखना चाहिए. नौजवान छात्र पर पैलेट नहीं चलाई जानी चाहिए. उनकी आंखें और पैर ख़राब नहीं होने चाहिए और पर्यटन का मौसम प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभावित होने से गरीबों को तकलीफ होगी.

एक अन्य चिंताजनक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में आंदोलन करने के लिए किसान फिर से लामबंद हो रहे हैं. ये लामबंदी महाराष्ट्र में किसानों की खस्ता हालत की वजह से हो रही है. विदर्भ और राज्य के दूसरे हिस्सों से किसान आत्महत्या की घटनाएं जारी हैं. हर किसान, चाहे वो गन्ना किसान हो, कपास किसान हो या आम किसान हो सभी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. मैं नहीं समझता कि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार समाधान निकालने की हालत में है. केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए. राज्य में उन्हीं की पार्टी की सरकार है. उन्हें यह समझना चाहिए कि यदि कृषि केंद्रित आंदोलन शुरू होता है, तो देश पीछे हो जायगा. ऐसा नहीं होने देना चाहिए. देखते हैं क्या होता है? ■

दूसरा मुद्दा कश्मीर से आने वाली चिंताजनक ख़बरें हैं. अब जबकि सर्दियों का मौसम समाप्त हो चुका है और गर्मी का आ गई है, एक बार फिर वहां हिंसा शुरू हो गई है. जब केंद्र सरकार ये दावा कर रही थी कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से कश्मीर में हिंसा रुक गई है, तो उसे सुन कर वहां लोग हंस रहे थे, क्योंकि हिंसा रुकने का संबंध नोटबंदी से नहीं था. जनवरी और फ़रवरी वहां सख्त महीने होते हैं. अप्रैल और मई के महीने पर्यटन के महीने होते हैं. अगर हिंसा जारी रही, तो पर्यटन का ये मौसम नष्ट हो जाएगा. अब सरकार की क्या सोच है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितना मैंने अपने सूत्रों से सुना है, सरकार सख्त रुख अपनाने वाली है. अब सरकार तो बहरहाल सरकार होती है, उसे अपनी मर्ज़ी का फैसला लेने का अधिकार होता है. लेकिन उन्हें मानवीय दृष्टिकोण अवश्य ज़ेहन में रखना चाहिए. नौजवान छात्र पर पैलेट नहीं चलाई जानी चाहिए. उनकी आंखें और पैर ख़राब नहीं होने चाहिए और पर्यटन का मौसम प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभावित होने से गरीबों को तकलीफ होगी.

feedback@chauthiduniya.com

चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर, गिलगिट-बल्तिस्तान, कश्मीर और पाकिस्तान

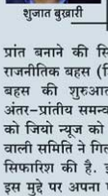

शुजात बुखारी

अभी कश्मीर ने यह समझना शुरू ही किया था कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) का मतलब क्या है और इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तभी इससे जुड़ा हुआ एक और विवादस्पद मुद्दा सामने आ गया. इस मुद्दे ने मूल बहस को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. यह मुद्दा है गिलगिट-बाल्तिस्तान को पाकिस्तान का पांचवां प्रांत बनाने की सिफारिश का. अब यह मुद्दा कश्मीर के राजनीतिक बहस (डिस्कोर्स) पर हावी होने लगा है. दरअसल, बहस की शुरुआत उस समय हुई जब पाकिस्तान के अंतर-प्रांतीय समन्वय मंत्री रियाज हुसैन पीरजादा ने 15 मार्च को जियो न्यूज को बताया कि सरताज अजीज की अध्यक्षता वाली समिति ने गिलगिट-बाल्तिस्तान को एक प्रांत बनाने की सिफारिश की है. इस बयान से न केवल दिल्ली (जिसका इस मुद्दे पर अपना एक पक्ष है) में बल्कि कश्मीर में भी भौंहे तन गईं.

सीपीईसी ने उस समय अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया था, जब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह ख्याल ज़ाहिर किया था कि कश्मीर सीपीईसी का हिस्सा बनकर क्यों लाभान्वित नहीं हो सकता है? उसके बाद से ही यह मुद्दा राजनीतिक और आम डिस्कोर्स का हिस्सा बना हुआ है. महबूबा ने दिल्ली में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का एक कॉरिडोर बन सकता है और नियंत्रण रेखा के पार चलने वाली आर्थिक गतिविधियों से देश भारी लाभ उठा सकता है. सीपीईसी जैसी परियोजनाओं से होने वाले लाभ में साझेदार बनकर हम आर्थिक विकास में भागीदार क्यों नहीं हो सकते हैं? आइए, हम अपने छोटे-मोटे झगड़ों से आगे बढ़ें. दरअसल, सीपीईसी को आर्थिक समृद्धि की कुंजी सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने ही नहीं बताया, बल्कि 11 मार्च को श्रीनगर में कश्मीर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भी इसमें गंभीर रुचि दिखाई गई. यहां विशेषज्ञों ने इस बात पर अपने विचार व्यक्त किए कि सीपीईसी कैसे कश्मीर के राजनीतिक मसले को और उसके समाधान को प्रभावित करेगा? इस तरह के विचारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीरी इसको लेकर कितने उत्सुक हैं? ये उत्सुकता केवल आम राजनीतिक प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर नागरिक समाज और बुद्धिजीवी भी शामिल हैं.

बहस आगे बढ़ाने और नीति निर्माताओं के लिए एक अंतर्दृष्टि साबित होने के बजाए, गिलगित-बल्तिस्तान के पाकिस्तान का हिस्सा बनने का मुद्दा परेशान करने वाला मुद्दा साबित हुआ है. इस पर पाकिस्तान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है. इस मुद्दे को छेड़ कर शायद वो संबद्ध पक्षों की प्रतिक्रिया देखना चाहता था. लेकिन कश्मीर के इस भाग की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र रही. गिलगित-बाल्तिस्तान पहले कभी भी किसी डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं रहा. यहां तक कि जब कश्मीर में 1989 का सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ, तो पाकिस्तान शासित कश्मीर (जिसे पाकिस्तान में आजाद जम्मू-कश्मीर और भारत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रूप में जाना जाता है) उसका अप्रत्यक्ष हिस्सा बन गया था. यहां रातों-रात हजारों कश्मीरी नौजवान मुजफ्फराबाद और अन्य जगहों पर लोगों के घरों में मेहमान बन गए थे. मिलिटेंट संगठनों ने इसे आजादी का बेस कैंप (आधार शिविर) घोषित किया था और संघर्ष में यहां के लोगों की गहन भागीदारी साफ़ दिखने लगी थी. आज भी जब कश्मीर में कुछ भी होता है, तो उस तरफ के लोग उसकी तकलीफ महसूस करते हैं.

> **गिलगित-बल्तिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का वर्णन करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की- यह हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था, अभी भी है और हमेशा रहेगा. 1947 में सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य भारत में शामिल हुआ था. पाकिस्तान द्वारा उस स्थिति में किसी एकतरफा बदलाव के कदम का कोई कानूनी आधार नहीं होगा और वो भारत के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य होगा. यह माना जा रहा है कि गिलगित-बल्तिस्तान को पांचवां प्रांत बनाने के लिए पाकिस्तान पर चीन की तरफ से दबाव था. हालांकि, बीजिंग भी मैदान में कूद पड़ा और कहा कि उसने कश्मीर पर अपने पक्ष में बदलाव नहीं किया है.**

कश्मीर के लिए गिलगित-बल्तिस्तान भी लद्दाख की तरह कोई सुदूर स्थान है. केवल 2016 की गर्मियों में भारतीय अत्याचारों के खिलाफ वहां से कुछ विरोध प्रदर्शन की खबरें आई थीं. जब दस साल पहले मैं वहां गया था, तो मुझे वहां के लोगों में कश्मीर समस्या को लेकर अधिक रुचि नहीं दिखी थी. हालांकि, वे पाकिस्तान के साथ खुश दिखे, लेकिन साथ में उनका यह भी कहना है कि उन्हें राज्य-विषय का अधिकार वापस मिलना चाहिए. हालांकि, संवैधानिक और राजनीतिक तौर पर 'आज़ाद कश्मीर' की पाकिस्तान में 1947 से ही अलग हैसियत रही, लेकिन गिलगित- बल्तिस्तान को कभी भी इसका हिस्सा नहीं माना गया. यहां 2009 में दिखावे की राजनीतिक स्वायत्तता बहाल की गई थी और इसका नाम उत्तरी क्षेत्र से बदल कर गिलगित-बल्तिस्तान कर दिया गया था.

हकीकत यह है कि गिलगित-बल्तिस्तान पूर्व के जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा है और दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के मुताबिक इसका समाधान अभी लंबित है. गिलगित-बल्तिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का वर्णन करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कुछ इस तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की- यह हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था, अभी भी है और हमेशा रहेगा. 1947 में सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य भारत में शामिल हुआ था. पाकिस्तान द्वारा उस स्थिति में किसी एकतरफा बदलाव के कदम का कोई कानूनी आधार नहीं होगा और वो भारत के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य होगा. यह माना जा रहा है कि गिलगित-बल्तिस्तान को पांचवां प्रांत बनाने के लिए पाकिस्तान पर चीन की तरफ से दबाव था. हालांकि, बीजिंग भी मैदान में कूद पड़ा और कहा कि उसने कश्मीर पर अपने पक्ष में बदलाव नहीं किया है. चीनी प्रवक्ता हुआ चुन यिंग ने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) ने कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति को प्रभावित नहीं किया है. यदि इसे ज्यों का त्यों मान लिया जाए और यदि पाकिस्तान इस पर अमल करता है, तो लंबे समय से इस मसले पर उनका जो पक्ष था, वो उसे ही नकारेगा.

हालांकि, कभी-कभी पाकिस्तान ने अपना रुख नरम किया और आउट ऑफ़ बॉक्स समाधान की बात भी की, लेकिन कश्मीर मसले के समाधान के लिए कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव उसके लिए राजनीतिक बाइबिल के समान हैं. गिलगित-बल्तिस्तान पर भी उसका पक्ष वैसा ही है. इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के लिए वैसी व्यवस्था भी नहीं की जैसी व्यवस्था 'आज़ाद कश्मीर' के लिए की थी, लेकिन इतिहास की वास्तविकताओं को बदला नहीं जा सकता है. नए प्रांत बनाने जैसा बड़ा क़दम उठा कर पाकिस्तान अपने ही उद्देश्यों को शिकस्त देगा और कश्मीर मुद्दे को समाप्त करने की नींव रखेगा, जो सीपीईसी की शुरुआत के साथ ख़त्म हो जाएगा.

कश्मीर में नागरिक-समाज और प्रतिरोधी नेतृत्व ने इस प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. हालांकि, बुद्धिजीवियों और नागरिक-समाज की चिंता को समझा जा सकता है, लेकिन संयुक्त हुर्रियत नेतृत्व, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक शामिल हैं, की प्रतिक्रिया दिलचस्प है. इस नेतृत्व ने ऐसा शायद ही कभी कुछ किया हो, जो पाकिस्तान की आधिकारिक स्थिति के खिलाफ हो. पाकिस्तान सरकार के इस प्रस्ताव पर यदि वे कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ अलग होगा. बहरहाल, ज्यादातर प्रतिरोधी नेता अब तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा सुझाए गए 4 सूत्रीय फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं. जब यह फॉर्मूला सुझाया गया था, तो केवल गिलानी इसके विरोध में थे. उन्होंने उस फॉर्मूले पर हुए किसी समाधान को मानने से इंकार कर दिया था, लेकिन शेष नेतृत्व ने उसे मान लिया था. उस पृष्ठभूमि में इस्लामाबाद के लिए चीन की मंशा के हिसाब से आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है.

अब सीपीईसी और कश्मीर पर वापस आते हैं. अब सीपीईसी का कश्मीर को क्या लाभ मिलेगा, ये महज़ एक काल्पनिक बहस होगी. हर वो चीज़ जो नियंत्रण रेखा (एलओसी) की दूसरी तरफ से संबंधित है, उसका संबंध कश्मीर के राजनीतिक मुद्दे के हल से है. यहां तक कि यदि सीपीईसी से भारत के जुड़ने की संभावना को भी देखा जाए, तब भी जम्मू-कश्मीर मसला, संघर्ष का कारण बना रहेगा. हमारे सामने एलओसी पार व्यापार का उदाहरण है, जो इसलिए जारी है क्योंकि व्यपारी इसे जारी रखना चाहते हैं. अन्यथा, यदि इसे दोनों सरकारों पर छोड़ दिया गया होता, तो यह बंद हो गया होता. एलओसी व्यापार की शुरुआत अक्टूबर 2008 में राजनीतिक मजबूरियों का नतीजा थी. इस संदर्भ में किसी भी आर्थिक समृद्धि की परिकल्पना केवल दोनों तरफ मुफ्त आर्थिक क्षेत्र के निर्माण से की जा सकती है. इसका सुझाव कश्मीर चेम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अध्यक्ष मुबीन शाह ने अपने एक विस्तृत लेख में दिया है.

अपने राजनीतिक अहंकारों को कुछ समय के लिए अलग रख कर और व्यापार को प्राथमिकता देकर भारत और पाकिस्तान, दोनों अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं, जो अंततः इस समस्या के राजनीतिक समाधान में सहायक होगा. वर्तमान स्थिति में सीपीईसी के फायदों की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है. कश्मीर के उलझे हुए मसले में गिलगित-बल्तिस्तान का मुद्दा भी शामिल हो गया है. दरअसल, जब तक भारत और पाकिस्तान गंभीर रूप से कश्मीर पर बात करने और कश्मीरी से बात करने के लिए आगे नहीं आते, तब तक कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

गाय को बचाना है तो गाय पालने वालों का लेखा-जोखा रखिए

उत्तर प्रदेश गोभक्तों का प्रदेश बन गया है और ये माना जा रहा है कि गाय की सेवा कर जीवन सफल होगा. दूसरे शब्दों में गाय का आवागमन आपसी द्वंद्व और झगड़े का भी कारण बन रहा है. गाय कार में किस तरह तस्करी द्वारा ले जाई जा रही हैं, इसकी भी कहानियां अब सामने आने लगी हैं. थोड़े दिनों में गाय को लेकर दो संप्रदायों के बीच दंगे की स्थिति भी बन सकती है.

मैं जब ध्यान से देखता हूं तो पता चलता है कि गाय खेती की वस्तु नहीं है कि कोई भी अपने खेत में गाय पैदा करे. यहां सीधे शब्दों में मैं मुस्लिम समाज का उदाहरण देता हूं. अगर गाय खेत में पैदा होती तो ये माना जा सकता था कि मुस्लिम समाज गाय की तस्करी करता है, गाय का मांस बेचता है, लेकिन ऐसा है नहीं. तब फिर गाय की तस्करी कौन कराता है, गाय का मांस कौन बेचता है और वो बूचड़खाने, जिनमें गायों का कत्ल होता है, उसके मालिक कौन हैं? ये अद्भुत संयोग है कि ज्यादातर वैध बूचड़खानों के मालिक जैन या हिन्दू संप्रदाय के लोग हैं. देश के जितने बड़े कत्लगाह हैं, बूचड़खाने हैं, उनके मालिक मुसलमान नहीं हैं, उनके मालिक गैर मुस्लिम हैं. भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसदों की हिस्सेदारी इन बूचड़खानों में है. जो अवैध बूचड़खाने हैं, जिनमें गायों का कत्ल होता है, उनका ठेका उत्तर प्रदेश के राजनेताओं ने पुलिस द्वारा अवैध ढंग से दे रखा है. इतना ही नहीं, वे उसकी उगाही की अवैध हिस्सेदारी में भी शामिल हैं.

यदि ऐसी स्थिति है, तो क्या ऐसा कोई इलाज हो सकता है कि गाय कटे भी न, गाय को माता मानने वाले सचमुच उसे मां मानें और गायों की तस्करी भी न हो. दूसरे शब्दों में प्रदेश और देश में कोई भी दंगा न हो. इसके लिए मेरा एक सुझाव है. आज से एक महीने के भीतर, जिनके-जिनके पास गायें हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए. गाय अगर बीमार होती है, तो उसकी सूचना जिले के जिलाधिकारी को देनी होगी. यदि सरकार चाहे तो हर जिले में एक गोरक्षक, गोपालक अधिकारी नियुक्त कर सकती है. उसके पास ये सूचना देनी चाहिए कि मेरी गाय बीमार है या मेरी गाय मर गई है या मैं गाय

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कह दिया हो कि जो अपने मां-बाप को नहीं देखेगा, वो दंड और भर्त्सना का भागी हो सकता है. उससे ज्यादा कड़ी सजा गायों की न देखभाल कर पाने की, न करवाने वाले की होनी चाहिए. ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि गाय को लेकर हमारे समाज में धारणा बनी हुई है कि गायों को मुसलमान काटते हैं. जबकि मुस्लिम समाज के उस वर्ग को, जो मांस के धंधे में लिप्त हैं, उन्हें गाय बेचने वाले यही गोमाता के सुपुत्र होते हैं. जो कुछ पैसे में अपनी गोमाता का सौदा कर लेते हैं.

बेच रहा हूं तो किसे बेच रहा हूं. इससे एक तो प्रदेश में गायों की गिनती हो जाएगी और दूसरे हर उस व्यक्ति की, जिसके पास गाय है, पहचान हो जाएगी. गाय चोरी होने की स्थिति में पुलिस उसकी वैसे ही तलाश करे, जैसे किसी जिंदा आदमी के गायब होने की स्थिति में उसकी तलाश की जाती है. गाय बीमार हुई, गाय का इलाज हुआ या नहीं, ये सब जानकारी अगर जिले के गोपालक अधिकारी के पास होगी, तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में गायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी. इसके बाद अगर कोई अपनी गाय को भगाता है, गाय से पीछा छुड़ाना चाहता है, तब उसे जवाबदेह होना पड़ेगा. इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी गायें मुसलमानों के पास हैं और कितनी गायें गैर मुस्लिमों के पास हैं या दूसरे शब्दों में हिन्दुओं के पास हैं.

उत्तर प्रदेश में आम रिवाज है कि घर का बुजुर्ग 70 साल का होने पर अनाथ की स्थिति में आ जाता है. कोई बेटा उसे नहीं रखना चाहता, कोई बेटी उसे नहीं रखना चाहती है. उसके खाने और दवाइयों की आमतौर पर लाले पड़ जाते हैं. बहुत सारे पढ़े-लिखे और पैसे वाले लोग उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देने की योजना बना लेते हैं. घर में वो बेकार की वस्तु हो जाते हैं. उनकी जगह सीढ़ियों के नीचे चारपाई पर होती है. जिन्हें हम जीवित मां कहते हैं, जब उन्हीं की इज्जत घर में नहीं होती है, तो गाय जिसे भी हम मां कहते हैं, उसकी इज्जत कैसे होगी? जब तक गाय दूध देती है, तभी तक उसकी इज्जत घर में होती है. उसके बाद गाय से छुटकारा पाने के तमाम आसान तरीके तलाश लिए जाते हैं. इन आसान तरीकों को बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश में तत्काल हर जिले में एक गोपालक अधिकारी बनाया जाना चाहिए, जो अपने जिले में तमाम गायों की सूची रखे, उनके मालिकों के नाम रखे और उनके मालिकों की कोताही पर उसे दंड दे. सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कह दिया हो कि जो अपने मां-बाप को नहीं देखेगा, वो दंड और भर्त्सना का भागी हो सकता है. उससे ज्यादा कड़ी सजा गायों की न देखभाल कर पाने की, न करवाने वाले की होनी चाहिए. ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि गाय को लेकर हमारे समाज में धारणा बनी हुई है कि गायों को मुसलमान काटते हैं. जबकि मुस्लिम समाज के उस वर्ग को, जो मांस के धंधे में लिप्त हैं, उन्हें गाय बेचने वाले यही गोमाता के सुपुत्र होते हैं. जो कुछ पैसे में अपनी गोमाता का सौदा कर लेते हैं. इससे दंगा भड़कने का माहौल भी वही बनाते हैं, जो अपनी गोमाता को बेचते हैं. एक सकारात्मक सुझाव ये है कि हर उस व्यक्ति का लेखा-जोखा, जो गाय पालता है, जो गोशाला चलाता है या जो गाय से फायदा उठाता है, सरकार के पास होना चाहिए. उत्तर प्रदेश में ये कानून बनाया जा सकता है कि जो गाय बेचेगा, उसे सजा मिलेगी क्योंकि जब तक गाय दूध देती है, तब तक गाय काम की है और जब दूध नहीं देती तो बेकाम की है.

इससे उलट एक नजरिया ये विकसित होना चाहिए कि गाय हमारी कृषि व्यवस्था का केंद्र है. गाय का मूत्र, गोबर सब कुछ खेती के काम आ सकता है. इसे लेकर और सकारात्मक रवैया अपनाना हो तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का प्रचार करना चाहिए कि गाय सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं है. गाय पूरी खेती के केंद्र में एक बीज है, जिसे अगर बड़े पैमाने पर पाला जाए तो हम खेती को रसायन और उर्वरक से मुक्त कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार क्या ये करेगी या दंगों के परंपरागत कारण को बनाए रख सिर्फ गाय का नाम चुनाव जीतने के लिए लेगी. ■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार सुरक्षित गर्भपात का अधिकार

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून में लंबे समय से जिन संशोधनों की मांग की जा रही है, उन्हें अब करने का वक्त आ गया है. हाल के दिनों में सर्वोच्च अदालत में कई ऐसे मामले पहुंचे हैं, जिनमें 20 हफ्ते से अधिक के गर्भ का गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई. इससे साफ है कि वैध तरीके से गर्भपात कराने से संबंधित 1971 के कानून में संशोधन की कितनी जरूरत है. ये मामले उच्चतम न्यायालय तक इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि 20 हफ्ते से अधिक का गर्भ होने पर गर्भपात की अनुमति सिर्फ तब है, जब मां की जान को खतरा हो. अगर भ्रूण में कोई दिक्कत हो या उसे किसी गंभीर बीमारी का खतरा हो तब भी कानून इसे मां के लिए खतरा नहीं मानता. कई बार ऐसा होता है कि पेट में पल रहे भ्रूण में गंभीर दिक्कत का पता 20 हफ्ते के बाद ही लगता है. इस स्थिति में गर्भपात के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और अदालत को डॉक्टरों की सलाह पर केस के आधार पर निर्णय देना होता है.

इस कानून में प्रस्तावित संशोधन 2014 से ही अधर में लटका है. संशोधन कर यह प्रावधान किया जाना है कि गर्भपात कभी भी किया जा सकता है, बशर्ते पैदा होने वाले बच्चे को कोई गंभीर समस्या होने की आशंका हो या मां की जान को खतरा हो. इसमें गंभीर दिक्कतों की एक सूची बनाने का प्रस्ताव भी है. अगर ये संशोधन पारित हो जाते हैं तो इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि, तब गर्भपात किसी पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मी की सलाह पर किया जा सकेगा.

प्रस्तावित संशोधन में पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मी के दायरे में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक के डॉक्टरों और नर्स व अन्य ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों को भी शामिल किया गया है. एलोपैथ के डॉक्टर इस प्रस्ताव का यह कह कर विरोध कर रहे हैं कि ऐसा करने से कई तरह की मेडिकल गड़बड़ियां हो सकती हैं. हालांकि, सरकार उन्हें गर्भपात करने का अधिकार, जरूरी प्रशिक्षण और प्रमाणन के बाद ही देगी. कई अध्ययनों ने यह साबित किया है कि मध्य स्तर के स्वास्थ्यकर्मी

> **औसतन हर रोज 10 महिलाएं भारत में असुरक्षित गर्भपात की वजह से जान गंवा देती हैं. अनुमान है कि भारत में दो-तिहाई गर्भपात असुरक्षित तरीके से बगैर नियंत्रण वाले अनधिकृत अस्पतालों में होते हैं. इसकी कई वजहें हैं. सही अस्पताल तक लोगों की पहुंच नहीं होने या अधिकृत डॉक्टरों द्वारा सेवा देने से इनकार करना आदि कई वजहें है. इसके अलावा इसकी सामाजिक वजहें भी हैं. साथ ही जागरूकता का अभाव भी एक बड़ी वजह है. इन दिक्कतों के कारण महिलाएं असुरक्षित गर्भपात का विकल्प चुनने को मजबूर हैं.**

ऐसे प्रशिक्षण के बाद सफलता से काम कर पाते हैं.

अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो इससे गर्भपात और इससे संबंधित देखरेख की सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ जाएगी. लेकिन ये सुधार हवा में नहीं होने चाहिए. औसतन हर रोज 10 महिलाएं भारत में असुरक्षित गर्भपात की वजह से जान गंवा देती हैं. अनुमान है कि भारत में दो-तिहाई गर्भपात असुरक्षित तरीके से बगैर नियंत्रण वाले अनधिकृत अस्पतालों में होते हैं. इसकी कई वजहें हैं. सही अस्पताल तक लोगों की पहुंच नहीं होने या अधिकृत डॉक्टरों द्वारा सेवा देने से इनकार करना आदि कई वजहें है. इसके अलावा इसकी सामाजिक वजहें भी हैं. साथ ही जागरूकता का अभाव भी एक बड़ी वजह है. इन दिक्कतों के कारण महिलाएं असुरक्षित गर्भपात का विकल्प चुनने को मजबूर हैं. गर्भपात में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं जैसे मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का इस्तेमाल महिलाएं बगैर किसी डॉक्टरी सलाह के कर लेती हैं. भारत उन गिने-चुने देशों में है, जहां 46 साल पहले गर्भपात को कानूनी वैधता मिलने के बावजूद सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाई है. अगर इससे संबंधित कानून में संशोधन कर इसका विस्तार किया जाता है तो ऐसे प्रावधान भी किए जाने चाहिए, जिससे सुरक्षित गर्भपात सुविधाओं तक लोगों की पहुंच स्थापित हो सके.

1971 में यह कानून जनसंख्या नियंत्रण और असुरक्षित गर्भपात की वजह से बड़ी संख्या में जान गंवा रही महिलाओं को देखते हुए लागू किया गया था. प्रस्तावित संशोधनों में उस वक्त के उपेक्षित बिंदुओं, जैसे महिलाओं की आजादी और निर्णय लेने के अधिकार की रक्षा की कोशिश की जा रही है. संशोधनों के बाद 12 हफ्ते तक गर्भपात अपनी इच्छा के अनुसार कराया जा सकता है. गर्भवती महिला और भ्रूण की समस्याओं को देखते हुए गर्भपात की जो 20 हफ्ते की सीमा थी, उसे बढ़ाकर 24 हफ्ते किया जाना है. एक और स्वागतयोग्य बदलाव प्रस्तावित है कि अब गर्भनिरोधक के काम नहीं करने के आधार पर गर्भपात कराने के लिए वैवाहिक स्थिति की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा. 1971 के बाद से अब तक सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं, इसलिए उस वक्त का कानून भी जड़ नहीं बना रह सकता.

ये संशोधन सही दिशा में सही कोशिश जरूर हैं, लेकिन कई सवालों का समाधान इसके बाद भी करना होगा. कई महिलाओं को गर्भनिरोधक के इस्तेमाल की भी जानकारी नहीं है और कइयों को तो ये भी नहीं पता कि गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार उनके पास है. इस दिशा में महिलाओं को जागरूक करने में स्वास्थ्यकर्मियों की अहम भूमिका है. गर्भपात की सुविधा और गर्भनिरोधकों तक पहुंच जनस्वास्थ्य से जुड़े मसले हैं और इनका समाधान उसी स्तर पर होना चाहिए. महिलाओं को अपने अधिकारों के मामले में स्वतंत्र मानकर उन्हें अपने शरीर, सेक्सुएलिटी और प्रजनन आदि के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए.

प्रस्तावित संशोधनों वाले कानून को संसद में पेश किया जाना है. अब समय आ गया है कि हमारे देश में कानून बनाने वाले और आम लोग गर्भपात पर खुलकर बातचीत करें. ■

(साभार: इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली)

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में गठबंधन दलों में तनातनी के बाद भी अटूट है रिश्ता

प्यार भी और तकरार भी

पिछले दिनों मीडिया के एक हिस्से में खबर आयी कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के तख्ता पलट की योजना बना ली थी. लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की हार के बाद उनकी योजना धरी की धरी रह गयी. इस खबर में तख्ता पलट के लिए आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया था. यह बताया गया था कि कैसे और किन दलों के विधायकों को साथ लेकर लालू प्रसाद, नीतीश कुमार का तख्ता पलटने वाले थे. यह भी बताया गया था कि तख्ता पलट के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना तय था. हैरत की बात है कि इस खबर के सार्वजनिक होने के बाद भी कोई सियासी तूफान नहीं मचा. ना राजद के खेमे ने इस पर कोई सफाई दी और न ही जदयू ने इस मामले में अपना कोई पक्ष रखा. दोनों दलों के नेता इस मुद्दे पर चुप रहे.

इर्शादुल हक feedback@chauthiduniya.com

बिहार की गठबंधन सरकार के बारे में एक वक्त दो विरोधाभासी बातें पूरी निश्चिंतता के साथ कही जा सकती हैं. पहली- सरकार ठीक-ठाक तरीके से चल रही है. गठबंधन के तीनों दलों यानी राजद, जद यू व कांग्रेस के बीच ताल-मेल में कोई कमी नहीं है और दूसरी- राजद व जद यू के बीच पारस्परिक अविश्वास की लकीरें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती रहती हैं. दोनों दलों के नेताओं के बीच समय-समय पर तनातनी देखने को मिलती है. लालू-नीतीश के बीच यह कई बार मनमुटाव के रूप में सामने आता है, लेकिन आखिर में दोनों नेता यह बयान देते हैं कि गठबंधन अटूट है और इस पर कोई खतरा नहीं है.

वैसे, यह सब जानते हैं कि राजनीति विरोधाभासों से भरी है और एक दिवसीय क्रिकेट मैच की तरह परिणाम की सटीक भविष्वाणी राजनीति में नहीं की जा सकती है. बल्कि यूं कहें कि राजनीति, क्रिकेट से इस मामले में दो कदम आगे है. यहां कौन किसका, कब सारथी और कब प्रतिद्वंद्वी बन जाये, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. ऐसे में अगर बात राज्य की गठबंधन सरकार की आंतरिक राजनीति की हो, तो इन पंक्तियों के लेखक की राजनीतिक समझ यह कहती है कि इस सरकार के सफर के दौरान आपसी तनातनी भी चलती रहेगी. सफर इसलिए चलता रहेगा क्योंकि लालू और नीतीश दोनों के पास एक साथ बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं. हालांकि, अलग राह चुनने का विकल्प तो है, पर वह एक साथ बने रहने से ज्यादा जोखिम भरा है. दूसरे शब्दों में कहें तो अलग राह अपनाने का विकल्प एक तरह से दोनों नेताओं के भविष्य की राजनीति के लिए आत्मघाती है. यूपी के चुनाव परिणाम ने इस बात का एहसास नीतीश और लालू दोनों को करा दिया है. अगर एक कदम पीछे मुड़ कर देखें तो पता चलता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत ने ही लालू-नीतीश को एक साथ आने पर मजबूर किया था. अब चुनाव परिणाम ने, जिसमें भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, लालू-नीतीश की एक साथ बने रहने की विवशता को और मजबूत किया है. सवाल ये है कि जब लालू और नीतीश एक हैं ही और एक रहने की संभावना भी है, तो उनके अलग होने या उनके बीच मनमुटाव पर बहस ही क्यों की जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि यह चर्चा जरूरी है. लिहाजा इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कंफ्यूजन दूर करना मुनासिब है.

पिछले दिनों मीडिया के एक हिस्से में खबर आयी कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के तख्ता पलट की योजना बना ली थी. लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की हार के बाद उनकी योजना धरी की धरी रह गयी. इस खबर में तख्ता पलट के लिए आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया था. यह बताया गया था कि कैसे और किन दलों के विधायकों को साथ लेकर लालू प्रसाद, नीतीश कुमार का तख्ता पलटने वाले थे. यह भी बताया गया था कि तख्ता पलट के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना तय था. हैरत की बात है कि इस खबर के सार्वजनिक होने के बाद भी कोई सियासी तूफान नहीं मचा. ना राजद के खेमे ने इस पर कोई सफाई दी और न ही जदयू ने इस मामले में अपना कोई पक्ष रखा. दोनों दलों के नेता इस मुद्दे पर चुप रहे. लिहाजा अन्य मुद्दों पर बात करते हुए दोनों दलों की तरफ से कहा जाता रहा कि गठबंधन में कोई गांठ नहीं है और यह भी कि गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करेगा. हालांकि अनौपचारिक बातचीत में राजद के एक विश्वस्त सूत्र ने बताया कि नीतीश खेमे की तरफ से इस खबर को प्लांट कराया गया होगा. जबकि जद यू के एक सूत्र ने दोहराया कि राजद ने तख्ता पलट की योजना जरूर बनाई होगी. मीडिया में आई तख्ता पलट की खबर और उसके बाद राजद व जद यू के सूत्रों की टिप्पणियों की प्रमाणिकता के बारे में कोई ठोस सूचना तो नहीं है, पर ऐसी खबरों से यह तो तय है कि राजद और जद यू के बीच आपसी अविश्वास की गहरी लकीरें खींची हैं. अविश्वास की लकीर का नवीनतम उदाहरण मार्च के चौथे सप्ताह में आयोजित होने वाले बिहार दिवस समारोह में दिखा. इस भव्य आयोजन के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ घटक दल के कांग्रेसी सहयोगी अशोक चौधरी तो मौजूद थे लेकिन राजद के प्रतिनिधि तेजस्वी यादव गायब थे. उस आयोजन से तेजस्वी का गैर मौजूद रहना मीडिया के लिए बड़ी खबर बन गई और इस पर मीडिया की कयासबाजी शुरू हो गई. सुबह के एक अखबार ने तेजस्वी के हवाले से लिखा कि उनकी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए वे आयोजन में शरीक नहीं हो सके. वहीं राजद खेमे के एक महत्वपूर्ण सूत्र ने यह बताया कि तेजस्वी उस आयोजन में तब जाते, जब उन्हें निमंत्रण दिया गया होता. तथ्य यही था कि तेजस्वी को आमंत्रित नहीं किया गया था. बिहार दिवस औपचारिक रूप से बिहार सरकार का कार्यक्रम था. इस आयोजन में बिहार सरकार में शामिल गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता, जो उपमुख्यमंत्री हैं, को आमंत्रित न किया जाये तो इस मामले को टाला नहीं जा सकता. स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी को आमंत्रित नहीं किए जाने की पीड़ा राजद खेमे में दिखनी थी और दिखी भी. पर यह पीड़ा सामने नहीं आई. राजद खेमे की तरफ से औपचारिक तौर पर यही कहा गया कि तेजस्वी किन्हीं कारणों से नहीं जा सके, लेकिन उनके दल की तरफ से दीगर मंत्री तो कार्यक्रम में मौजूद थे. गोया राजद ने इस पीड़ा को अपने अंदर पचा लेने की सफलता-पूर्वक कोशिश की. यहां याद रखना जरूरी है कि बिहार दिवस का आयोजन कोई पहला आयोजन नहीं था, जिसमें राजद को अपने गठबंधन सहयोगी से पीड़ा मिली हो. बीते वर्ष के अंतिम महीने में आयोजित प्रकाश पर्व में भी राजद को इस तरह के पीड़ादायक अनुभव से गुजरना पड़ा था. इसका आयोजन घोषित तौर पर बिहार सरकार ने सिखों के धार्मिक संगठन के साथ मिल कर किया था. उस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक हुए थे, लेकिन मंच पर राजद के किसी प्रतिनिधि को जगह नहीं दी गई. मंच के सामने फर्श पर बिछी कालीन पर आम लोगों की तरह लालू प्रसाद को अपने दोनों मंत्री पुत्रों के साथ बैठना पड़ा. इस मामले ने तब बहुत तूल पकड़ा था. हालात यहां तक पहुंच गए कि राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की. लेकिन दूसरे ही दिन लालू प्रसाद ने इस मामले को कूल डाउन करते हुए कहा कि ये जमीन से जुड़े नेता हैं और प्रकाश पर्व जैसे धार्मिक आयोजन में जमीन पर बैठना कोई बुराई नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को तूल देने की कोई जरूरत नहीं है.

तो सवाल यह है कि आखिर इन दोनों दलों के बीच हो क्या रहा है? क्या यह दोनों दलों द्वारा जब भी समय मिले, एक दूसरे को उनकी औकात दिखाने का खेल है? भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ऐसा ही मानते हैं. पिछले दिनों पथ निर्माण विभाग ने अनेक योजनाओं के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा. यह आयोजन तेज प्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र में था. करोड़ों रुपये की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन उसमें न तो नीतीश कुमार शामिल हुए और न ही होर्डिंग या अखबार के विज्ञापनों में नीतीश की तस्वीर या नाम ही छपा. ऐसे तमाम घटनाक्रमों की खास बात यह है कि इसके बाद भी न तो जद यू और न ही राजद के टॉप नेतृत्व की तरफ से किसी गुस्से या किसी नाराजगी का इजहार किया गया. समय-समय पर दोनों दल यह कहते रहते हैं कि गठबंधन में कोई समस्या नहीं है और गठबंधन मजबूत है. वहीं दूसरी तफ दोनों दलों के सेकंड लाइन के नेता अपनी भड़ास जरूर निकालते हैं. राजद की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह तो जद यू की तरफ से उनके दो प्रवक्ता नीरज कुमार व संजय सिंह मिलकर रघुवंश पर वार करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद अपनी तलवारें अपने अपने मयानों में समेट लेते हैं.

उधर मीडिया राजद-जद यू के ऐसे कारनामों पर कयास और तुक्केबाजी में लग जाता है, लेकिन दोनों दलों के खट्टे-मीठे इन संबंधों को मीडिया सटीक तौर से न तो परिभाषित कर पाता है और न ही ऐसे संबंधों का स्पष्ट नामकरण कर पाता है. तो क्या यह राजद और जद यू द्वारा शह मात का खेल है, क्या यह एक दूसरे को समय-समय पर नाथने और चेक एंड बैलेंस की कोशिश है. क्या यह अपने-अपने ईगो के सटिस्फेक्शन के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते रहने की कोशिश है? कुछ तो जरूर है.■

मीडिया में आई तख्ता पलट की खबर और उसके बाद राजद व जद यू के सूत्रों की टिप्पणियों की प्रमाणिकता के बारे में कोई ठोस सूचना तो नहीं है, पर ऐसी खबरों से यह तो तय है कि राजद और जद यू के बीच आपसी अविश्वास की गहरी लकीरें खींची हैं. अविश्वास की लकीर का नवीनतम उदाहरण मार्च के चौथे सप्ताह में आयोजित होने वाले बिहार दिवस समारोह में दिखा. इस भव्य आयोजन के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ घटक दल के कांग्रेसी सहयोगी अशोक चौधरी तो मौजूद थे लेकिन राजद के प्रतिनिधि तेजस्वी यादव गायब थे. उस आयोजन से तेजस्वी का गैर मौजूद रहना मीडिया के लिए बड़ी खबर बन गई और इस पर मीडिया की कयासबाजी शुरू हो गई. सुबह के एक अखबार ने तेजस्वी के हवाले से लिखा कि उनकी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए वे आयोजन में शरीक नहीं हो सके. वहीं राजद खेमे के एक महत्वपूर्ण सूत्र ने यह बताया कि तेजस्वी उस आयोजन में तब जाते, जब उन्हें निमंत्रण दिया गया होता. तथ्य यही था कि तेजस्वी को आमंत्रित नहीं किया गया था. बिहार दिवस औपचारिक रूप से बिहार सरकार का कार्यक्रम था. इस आयोजन में बिहार सरकार में शामिल गठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता, जो उपमुख्यमंत्री हैं, को आमंत्रित न किया जाये तो इस मामले को टाला नहीं जा सकता.

निकाय चुनाव की घोषणा को लेकर विरोध जता रहे मधेसी

फिर सुलगने लगा है मधेस

वाल्मीकि कुमार

पड़ोसी देश नेपाल की सरकार ने संविधान में संशोधन किए बगैर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है. सरकारी घोषणा के बाद नेपाल का तराई क्षेत्र एक बार फिर आंदोलन का केंद्र बनने लगा है. सप्तरी जिले के राज विराज में एमाले के कार्यक्रम के विरोध के दौरान पुलिस की कार्रवाई में सज्जन मेहता, दिगंबर यादव, पितांबर लाल, मंगल प्रसाद व आनंद साह की गोली लगने से मौत हो गई. घटना के विरोध में मधेसी मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है. मोर्चा द्वारा दो दिवसीय बंदी के आह्वान का व्यापक असर मधेस में दिखा, वहीं राज विराज में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया. वहां के सीडीओ व एसपी को भी काठमांडू बुला लिया गया है. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गयी कि मधेस मोर्चा ने प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया. वहीं मधेसी नेता व कार्यकर्ता सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतर गए. मधेसियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक नेपाल सरकार मधेसियों के हक में संविधान संशोधन नहीं करती है, तब तक वे चुनाव का समर्थन नही करेंगे. परंतु नेपाल सरकार ने फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी. यही वजह है कि जब भी किसी एमाले नेता का मधेस में आगमन होता है, तो उसका विरोध किया जाता है. इसी क्रम में सप्तरी में एमाले एवं मधेसी दल आमने-सामने हो गए. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने बल प्रयोग कर आंदोलनकारियों को भगाना चाहा तो आंदोलन में शामिल लोग भड़क गए. नेपाल की तराई में मधेस क्षेत्र की दुकानों में ताला लटक गया. कहीं-कहीं आंदोलनकारियों व नेपाली पुलिस के बीच झड़प हुई. इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया. इससे पूर्व मोर्चा के आह्वान पर वीरगंज बाजार में टायर जलाकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. तब मोर्चा नेता प्रदीप यादव ने नेपाल सरकार की मनमानी पर रोष जताया. वहीं रौतहट का सदर मुकाम गौर भी बंद रहा. रौतहट के सीडीओ ऑफिस के समक्ष पूर्व सभासद बबन सिंह ने प्रधानमंत्री प्रचंड, नेकमा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा का पुतला दहन किया. इस दौरान बबन सिंह ने साफ कहा कि नेपाल सरकार की मंशा मधेसियों की मांगों को नहीं मानना है. वहीं संघीय लोकतांत्रिक फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने किशोरी यादव, रेबंत झा व पुनीत पटेल समेत अन्य की मौजूदगी में कहा कि एक बड़ी कुर्बानी के बाद संविधान तो बना, मगर यह संविधान एकपक्षीय, जातिगत, समुदायगत व कुछ लोगों के हित में बनाया गया. यह संविधान संघीयता, विभिन्न समुदायों की राष्ट्रीय पहचान, समानुपातिक सहभागिता व प्रतिनिधित्व, गणतंत्र, मूलभूत समावेशी लोकतंत्र को प्रतिबिंबित करने में असफल रहा है. संविधान में व्यापक परिवर्तन कर संशोधन किए जाने की जरूरत है. इसके अभाव

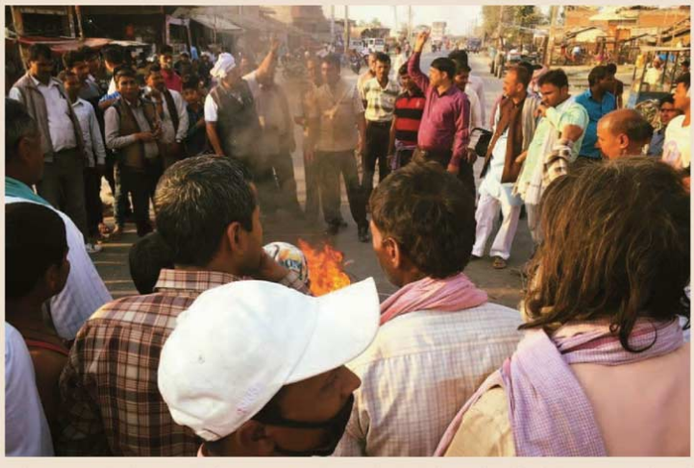

में देश अस्थिरता की ओर जा रहा है. निकाय चुनाव की घोषणा को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि संघीय प्रणाली में काठमांडू की सरकार को मधेस अथवा किसी प्रदेश का चुनाव कराने का अधिकार नहीं है. स्थानीय चुनाव कराने का अधिकार केवल प्रादेशिक सरकार का होता है.

वहीं नेपाल सरकार का संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा को चुनाव में शामिल कराने का प्रयास भी विफल हो गया. सरकार व मोर्चा के बीच गठित कार्यदल की 19 मार्च 2017 को हुई बैठक बिना किसी नतीजा के समाप्त हो गई. सरकार की तरफ से सीमांकन की मांग सरकार द्वारा गठित संघीय आयोग के माध्यम से चुनाव बाद पूरा करने व शेष मुद्दों पर सहमति के लिए परामर्श कराने का प्रस्ताव दिया गया. मोर्चा ने इसे अस्वीकार कर बिना सीमांकन के चुनाव में नहीं जाने की बात कही. मोर्चा के सह संयोजक व तमलोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत ठाकुर का कहना है कि मांग पूरी कराने के लिए अनौपचारिक वार्ता के दृष्टिकोण से सरकार व मोर्चा का संयुक्त कार्यदल बनाया गया है. इसके माध्यम से संविधान संशोधन कर मांग संबंधी विधेयक पारित कराने के लिए बातचीत चल रही है. लेकिन सरकार न केवल सीमांकन बल्कि जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र निर्धारण किए बिना ही निकाय चुनाव कराना चाहती है. नेपाल में 744 गांव पालिका हैं, जिनमें से 264 मधेस क्षेत्र में हैं. हालांकि मधेसियों की आबादी 60 प्रतिशत है. पहाड़ी मूल सहित अन्य जातियों की आबादी मात्र 40 प्रतिशत है. निर्वाचन क्षेत्रों के गलत निर्धारण से मधेसियों का प्रतिनिधित्व कम होता है. अगर जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बने, तो मधेसियों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा. लेकिन पहाड़ी शासक वर्ग ऐसा नहीं होने देना चाहता है. बताया जाता है कि काठमांडू स्थित सिंह दरबार में कार्यदल की बैठक में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री कृष्ण बहादुर महरा, पूर्व गृहमंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता व मंत्री दीपक बोहरा और मोर्चा से संघीय समाजवादी फोरम के सह राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टी के सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण व तराई मधेस सद्भावना पार्टी के पेशल ढकाल मौजूद थे. मधेस आंदोलन के कारण सरकारी व गैरसरकारी संस्थानों में काम-काज प्रभावित हो रहा है. वहीं बाहर से नेपाल पहुंचने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है. मार्च में तब बाहरी लोगों में अफरा-तफरी मच गई, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाहन में तोड़-फोड़ व आगजनी की खबर फैली थी. राज विराज के भूमि सुधार कार्यालय में तोड़-फोड़ की गई. कंचनपुर, हनुमान नगर, रूपनी, भरदाह, शंभूनाथ कल्याणपुर व विष्णुपुर में दर्जनों वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया. इस दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद रहीं, वही आंदोलनकारियों के डर से एमाले कार्यकर्ता तराई क्षेत्र से पलायन कर गए.

अब सरकार व मधेसियों के बीच तनातनी से नेपाल की अर्थव्यवस्था एक बार फिर चरमराने लगी है. आंदोलन के कारण नेपाल के लोगों को पिछली बार से अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही भारत-नेपाल के पुराने रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं. भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलग-अलग जिलों के हजारों गांव के निवासियों का संबंध नेपाल के ग्रामीण परिवारों से है. आंदोलन व सरकारी दबाव के दौरान इन रिश्तों पर असर पड़ना तय है. संभव है कि नेपाल का मधेस आंदोलन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी होने लगे. अगर ऐसा होता है तब भारत सरकार के लिए एक नयी समस्या उत्पन्न हो सकती है. बताते चलें कि पिछले आंदोलन के दौरान जब नेपाल में आंदोलनकारियों ने पूर्णतः नाकाबंदी कर दी थी, तब वहां के आम लोगों को आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा था. इसके साथ ही भारतीय क्षेत्र में भी मधेस आंदोलन का समर्थन जोर पकड़ने लगा था.

खाल में नेपाल के आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होने की चर्चा थी. तकरीबन आधा दर्जन देशों की कंपनियों ने 13.5 अरब डॉलर के निवेश की बात कही थी. इसमें सबसे ज्यादा चीन द्वारा 8.3 अरब डॉलर निवेश किया जाना है जो कुल निवेश का 61 प्रतिशत है. वहीं भारतीय कंपनियां 31.7 लाख डॉलर निवेश करेंगी. इसके अलावा बांग्लादेश, जापान, ब्रिटेन व श्रीलंका की कंपनियों ने भी निवेश के लिए हामी भरी थी. नेपाल के उद्योग मंत्री नवींद्र राज जोशी ने बताया कि बांग्लादेश की हिमाद्री फूड्स ने 2.4 अरब डॉलर तो जापान व ब्रिटेन ने एक-एक अरब डॉलर के निवेश का संकल्प जताया है. अब नेपाल के बढ़ते आंतरिक संकट व असंतोष के दौरान विदेशी निवेशकों के छिटकने की आशंका जताई जा रही है. इधर भारतीय कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक नेपाल के हालात अभी चिंताजनक हैं. भारत की लगातार कोशिश है कि नेपाल की प्रचंड सरकार संविधान संशोधन प्रक्रिया पर ज्यादा सक्रिय हो. पिछले तकरीबन एक माह के दौरान भारत सरकार की तरफ से नेपाल को मदद देने संबंधी फैसले को देखने से साफ होगा कि भारत अपने हर वादे को पूरा करने के प्रति गंभीर है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल में नेपाल यात्रा के दौरान कई तरह की वित्तीय मदद देने की घोषणा की थी. भारत ने आर्थिक मदद बढ़ाकर यह जताने का प्रयास किया है कि वह नेपाल को हर संभव मदद देने को लेकर गंभीर है. लेकिन नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड स्थानीय चुनाव को लेकर नरमी के मूड में नहीं हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था व विकास के लिए घातक है. कुल मिलाकर कहें तो नेपाल में शांति कायम करने को लेकर सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी होगी. वहीं भारत सरकार को भी नेपाल में अमन बहाली के साथ रोटी-बेटी के रिश्ते को बचाने का प्रयास करना होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

एसईसीसी रिपोर्ट : आख़िर कब रुकेगी ग़रीबों की हक़मारी

एसके गांधी

सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना-2011 में डाटा इंट्री के दौरान प्रशासनिक अनदेखी व अनियमितता के चलते एसईसीसी की प्रकाशित सूची से वाजिब गरीबों के नाम गायब कर दिए गए हैं. फलतः गरीब लाभुक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से पूर्णतः वंचित हो गए हैं. इस बीच आनन-फानन में गरीब लाभुकों के नामों को सूची से हटाकर अमीर लोगों को इस रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया है. परिणामतः बीपीएल एवं एपीएल के बीच कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हो सका है. अतएव गरीबों के नाम से संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दौलतमंदों को मिल रहा है. गौरतलब है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सूची में दावा/आपत्ति व सुधार को लेकर ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के निवासियों के लिए अलग-अलग मानक तैयार किए थे. इसके लिए प्रखंड व जिला स्तर पर निगरानी एवं अनुश्रवण कोषांग बनाने के भी निर्देश दिए गए थे. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक मोहन प्रसाद ने लाभुकों के चयन के लिए आवश्यक मार्ग दर्शन दिए थे. इसी क्रम में राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों को दूर करने व लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. इस दौरान लाभार्थियों की पहचान कर राशन कार्ड की छपाई करवाने, राशन कार्ड को आधार, मोबाइल व बैंक खातों से जोड़ने, अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद डाटा इंट्री के लिए आईटी ऑपरेटर एवं अनपढ़ संविदा आधारित सरकारी कर्मियों को लगाकर संपूर्ण प्रतिवेदन को तहस-नहस कर दिया गया.

एसईसीसी के सभी प्रारूपों की भाषा अंग्रेजी है. ऐसे में एक अनपढ़ व्यक्ति से अंग्रेजी भाषा को समझना और फॉर्म भरना टेढ़ी खीर प्रतीत होता है. यही कारण है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की अज्ञानता ने इस महत्वपूर्ण कार्ययोजना का बंटाधार कर दिया. संबंधित अपूर्ण सूची के भौतिक सत्यापन के बाद उसे ग्रामसभा एवं वार्ड सभा से अनुमोदित कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया. इसी आधार पर जिला प्रशासन ने पीडीएस एवं एवाईवाई के लाभार्थियों की सूची के आधार पर नीला राशन कार्ड जारी कर दिया. इसमें जिलावार हजारों वाजिब गरीब लाभार्थियों के नाम सूची से हटवा दिए गए. विदित हो कि राज्य सरकार की ओर से इन कार्यक्रमों को जनवरी 2013 में समाप्त किया गया था.

इस बीच जनसामान्य को देखने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के प्रारूपों को पंचायतवार सार्वजनिक भवनों अथवा स्थलों पर प्रकाशित तक नहीं कराया गया. जबकि जिला प्रशासन को स्थानीय अखबारों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए थे.

एसईसीसी के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर करने वाले परिवारों के लिए मनरेगा योजना के तहत रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, पशुपालन, रोजगारपरक बैंकिंग ऋण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हेल्थ बीमा, राजीव गांधी ग्रामीण बिजली योजना के अलावा कई कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. विदित हो कि 2011 की जनगणना में सामाजिक आबादी का सर्वेक्षण तो किया गया, लेकिन आर्थिक गणना के कार्यों को जैसे-तैसे अंतिम स्वरूप दे दिया गया. फलतः लखीसराय जिले में कुल आबादी के विपरीत मात्र एक लाख 26 हजार 181 पीएचएच एवं 15 हजार 921 अंत्योदय योजना के जनवितरण प्रणाली दुकान के उपभोक्ता बनाए गए हैं. बाकि साढ़े आठ लाख आबादी के आर्थिक हालातों का कोई लेखा-जोखा इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में नहीं है. इस बीच ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने भी एसईसीसी के त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन की बातों को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के साथ हकमारी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने बिना गरीबों की पहचान किए आर्थिक सर्वेक्षण के कार्यों को अंजाम दिया है. इससे राज्य भर में वाजिब गरीबों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

व्यस्त जीवन शैली में भी खुद को समय दें
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
DR. RAMESHWR SINGH (Ortho, MS DNB, MCH)
SHREE SAI HOSPITAL & TRAMA CENTRE (SIWAN)
URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

चुनौतियों को पार कर ले गए तो उत्तर प्रदेश में याद किया जाएगा

योगी का युग

के. विक्रम राव

विगत सत्तर वर्षों में बीसों मुख्यमंत्री यूपी में आए-गए. मगर उनके नाम से उनका दौर जुड़ नहीं पाया. महंत योगी आदित्यनाथ का योगफल जुदा है और निराला भी. इसीलिए उनका जमाना योगीयुग कहलाने वाला है. कारण तलाशने के लिए गहन शोध की दरकार नहीं है. पहचान अलग हो तो विशिष्टता आ ही जाती है. मात्र परिधान, ललाट, गात्रक इत्यादि से ही नहीं. बात अंदर की है. वैचारिक, अतः मस्तिष्कीय है. नतीजन योगी की तुलना पिछले मुख्यमंत्रियों से नहीं की जा सकती है. कुछ मायनों में तीसरे मुख्यमंत्री चन्दुभानु गुप्त से संभव है. प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की अनिच्छा के बावजूद गुप्ताजी मुख्यमंत्री बन गए थे. हालांकि लखनऊ पूर्व तथा मोहदा (महोबा) से वे विधानसभा चुनाव लगातार हार गए थे. पार्टी के भीतरी शत्रुओं तथा खुद मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द कारक बने थे. फिर भी अपने आत्मबल से गुप्ताजी 1960 में सीधे शीर्ष पद पर जा पहुंचे, बिना विधानसभा पहुंचे. फिर उन्हें हटाने के लिए नेहरू कामराज योजना लाए. पार्टी काम हेतु गुप्ताजी को सरकार छोड़ना पड़ा.

योगी जी का भी सत्ता तक सफर सरल नहीं था. भाजपाई महाबलियों को ठेलकर वे रेस जीते. ऐसा उदाहरण कुछ मायनों में मौर्यराज में विप्र सेनापति पुष्यमित्र शुंग का मिलता है, जिसने शासकीय अहिंसा के कारण हिन्दुओं पर हो रहे म्लेच्छ हमलों का खात्मा किया था. अब विश्लेषण कर लें कि योगी क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? पदारूढ़ होते ही योगी ने गाय को अहमियत दी. सही भी है. गोरक्षधाम के मुखिया रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है. यूं भी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर सत्ता पाने की राजनीति करती रही. ठोस कुछ किया नहीं. लखनऊ की सड़कों पर 1953 में युवा अटल बिहारी वाजपेयी नारा लगाते रहे, 'कटती गौएं करें पुकार, बन्द करो यह अत्याचार'. अटलजी सत्ता के सोपान पर आरोहित होते रहे. उधर गायें भी कटती रहीं. गोरक्षा पर राष्ट्रीय कदम नहीं उठा सके. सत्ता के केन्द्र लोकभवन में प्रवेश करते ही योगी ने गोकशी कानून पर सख्ती की. बूचड़खानों पर ताला डलवा दिया. सवा सौ साल पुराने टुंडे कबाब की दुकान के मालिक मोहम्मद उस्मान ने कहा कि वे गोश्त अन्य जिलों से आयात करेंगे, क्योंकि लखनऊ में एक भी वैध वधशाला नहीं है. सोचें जरा इतने वर्षों से राजधानी में अलग रंग की सरकारें आईं और बूचड़खाने बिना लाइसेंस के पनपते रहे. मायावती राज में कानून बना था कि सचिवालय में पान और गुटखा प्रतिबंधित हो. मनभावन कदम था. संगमरमर से निर्मित फर्श और चमकती दीवारें चन्द महीनों बाद इतनी विकृत हो गईं कि मानो पीक नहीं पेंट हो और कलाकृतियां चित्रित हो रही थीं. अब वे चित्रकारी घिसकर, रगड़कर मिटाई जा रही है.

कुछ ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों को यह कार्य छोटा लगेगा. वहीं आरोप कि प्रधानमंत्री अब वैश्विक समस्याओं पर ध्यान न देकर स्वच्छ भारत पर केंद्रित हैं. झाड़ू थामे हैं. सत्ता मोह से कभी भी न अघानेवाले सोनियावादी कांग्रेसियों ने कोयला, रेत का खनन, टूजी ठेका, बैंक से उधारी, हेलिकॉप्टर खरीदी आदि को प्राथमिक योजनाएं बनाई थीं. इधर यूपी में मायावती द्वारा

अगर मोदी शासन की तर्ज पर योगी ने भी स्वच्छ प्रदेश का संकल्प लिया है तो यह सीख महात्मा गांधी से ही मिली है. बापू ने नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद आदि से सेवाग्राम आश्रम में पहले संडास साफ करवाया था. घमंड तोड़ने का यह रामबाण है. बापू भारत की आत्मा को भली-भांति पहचानते थे. गुजराती का प्रभाव मोदी पर पड़ना तार्किक रहा. ठीक भी है. अर्थात योगी के गुटखामुक्त सचिवालय की योजना को इसी नजरिए से देखना चाहिए.

राजकोष की लूट पहला कार्यक्रम रहा. उनके मुख्यमंत्री काल में वर्तनी ही बदल गई थी दौलत तथा दलित के बीच.

अगर मोदी शासन की तर्ज पर योगी ने भी स्वच्छ प्रदेश का संकल्प लिया है तो यह सीख महात्मा गांधी से ही मिली है. बापू ने नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद आदि से सेवाग्राम आश्रम में पहले संडास साफ करवाया था. घमंड तोड़ने का यह रामबाण है. बापू भारत की आत्मा को भली-भांति पहचानते थे. गुजराती का प्रभाव मोदी पर पड़ना तार्किक रहा. ठीक भी है. अर्थात योगी के गुटखामुक्त सचिवालय की योजना को इसी नजरिए से देखना चाहिए.

बड़ी-बड़ी विकास योजनाओं का दम भरनेवाले जब आमजन की दैनिक आवश्यकताओं और समस्याओं को टाल देते हैं, तो वही हश्र होता है जो काम बोलनेवालों का हुआ. काम उनका टें बोल गया. मसलन योगी ने सरकारी नौकरों को साढ़े नौ बजे कार्यस्थल पर आने का आदेश दिया है. अब दूरदराज गांव से देहातीजन लखनऊ सचिवालय आएं और बड़े साहब मीटिंग में, पूजा में, बाथरूम में आदि जगहों पर व्यस्त रहें तो वही संदेशा जाएगा कि 27 साल से बेहाल यूपी. इसीलिए योगी ने सुशासन की शुरुआत पुलिस थानों से की है. प्रधानमंत्री कहते रहे कि सभी थाने सपा कार्यालय हो गए हैं. जिला प्रशासन ही पूर्णतया यादवमय हो गया था. गोरक्षक योगी अब इन यदुवंशियों को हटा रहे हैं. उनका पहला आदेश तो था कि सैफई गांव में चार घंटे बिजली सप्लाई कम कर दी गई. सैफई समानान्तर राजधानी थी. योगी के सत्तारूढ़ होते ही नवरात्रि आ गई, बिजली में भेदभाव की नीति नकार दी गई. कुछ श्मशान, कुछ कब्रिस्तान की तर्ज पर. भेदभाव तो कम होता बखूबी दिख रहा है. हद पार कर गया था, जब अखिलेश यादव का राज था. उदाहरणार्थ उर्दू को तरजीह और संस्कृत अध्यापकों को वेतन न मिलना. गोरखधाम में वेद शिक्षा के प्रबंधक योगी ने विकृति खत्म कर दी है. सरकारी वाहनों पर से हटर हटवाया है. इससे भी कम से कम ध्वनि प्रदूषण दूर हो. मगर इससे राजमद भी टूटेगा. तीन तलाक से मुक्ति दिलाने के आश्वासन पर त्रस्त मुस्लिम महिलाओं का बहुमत पाने वाले योगी अब मनचलों से बेटियों को निजात दिलाने के लिए क्रियाशील हो गए हैं. हिरासत में रोमियों की संख्या बढ़ रही है.

खनन माफिया तो सपा सरकार में सत्ता पर सवार थे, सुरक्षित थे. योगी ने एक महिला को खनन राज्य मंत्री नियुक्त किया है. खुद मंत्री हैं. नदियों का संरक्षण (बालू अब चोरी नहीं किया जाएगा). ये सब तो अल्पकालीन काम योगी ने एक आंचलिक पद्धति पर किया है. उनका सबसे बड़ा काम, यदि सफल हुआ तो, वह है 'जाति तोड़ो'. वही नारा जो राममनोहर लोहिया तथा दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था. लोहिया के नारे को सपाइयों ने घुमा-फिरा कर एक ही जाति के लिए प्रगति का मार्ग बना दिया. योगी ने इसे सुधारने का वादा किया है. इसका आधारभूत कारण भी है. यादव और जाटव के अलावा यूपी में मानो कोई पिछड़ा और दलित है ही नहीं. ये दोनों जातिवाले कुलश्रेष्ठ बना दिए गए थे. उन्हें समतल बनाकर जाति तोड़ो के अभियान की दिशा में एक सम्यक शुरुआत होगी. याद कीजिए जब 1963 के लोकसभाई उपचुनाव में जौनपुर से जनसंघ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हार गए थे, क्योंकि उन्होंने विप्रसभा को संबोधित करने से इंकार कर दिया था. वही उपाध्याय जी आज योगी के प्रथम मार्गदर्शक हैं. उनका एकात्म मानववाद चिन्तन है, प्रकाश स्तंभ है.

पड़ोसी बिहार के पुरोधाओं से वैचारिक मतविषमता भले ही हो, पर योगी उत्तर प्रदेश में भी शराबंदी के इच्छुक हैं. यूं भी अखिलेश यादव सरकार ने अत्यंत अनैतिक कार्य किए. शराब व्यापारियों को अगले वर्ष तक का ठेका दे डाला जो गैरकानूनी है. संसाधन के नाम पर खुली लूट हुई. शराब माफिया, दिवंगत पोन्टी चड्ढा के मायावती और अखिलेश यादव खास मित्र रहे. नियम ताक पर थे. सिद्धांतों का तो सवाल ही नहीं उठता था. उनपर अब योगी की कोपदृष्टि पड़ने की प्रतीक्षा है. लेकिन योगी पर अभी राजनीतिक कठिनाई आशंकित है. करीब छह मंत्री हैं, जिन्हें विधानमंडल का सदस्य बनना है. किस क्षेत्र से भेजेंगे? स्वयं भी चुनाव लड़ेंगे. फिर दो लोकसभाई उपचुनाव होंगे. अपना गोरखपुर से तथा केशव मौर्य का फूलपुर से. दोनों सीटों पर प्रधानमंत्री की साख दांव पर लगी होगी. योगी की प्रथम छमाही की भी परीक्षा होगी. लेकिन सबसे बड़ा वही प्रश्न होगा मुसलमानों के बीच सहजता बनाए रखने का. विगत तीन दशकों से मुस्लिमपरस्त तुष्टिकरण वाली राजनीति से मुसलमान वोट बैंक बड़ा सौदागर बन गया है. मगर मोदी ने साबित कर दिया कि बिना मुस्लिम वोट के भी सत्ता जीती जा सकती है. मोदी की इसी अद्भुत सफलता को योगी को बलवती बनाना होगा ताकि मजहब के नाम पर लामबंदी और सियासत खत्म हो. फिलहाल किसानों का कर्जा माफ करना तथा गोरखपुर से सटे हुए नेपाल की नदियों से पूर्वांचल में आनेवाले बाढ़ से त्रस्त क्षेत्र का परित्राण करना नए मुख्यमंत्री की तात्कालिक चुनौती है. तब योगी का योगफल फलीभूत होता दिखेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

मायावती ने उत्तर प्रदेश में फेल कर दी दलित-हित की राजनीति

काम नहीं, बस नाम भुनाया

एसआर दारापुरी

हाल में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने दर्शाया है कि दलित राजनीति एक बार फिर बुरी तरह से विफल हुई है. इस चुनाव में बहुमत से सरकार बनाने का दावा करने वाली दलितों की तथाकथित बहुजन समाज पार्टी (बसपा) 403 में से केवल 19 सीटें लेकर तीसरे नंबर पर रही. यद्यपि 2009 (लोकसभा) और 2012 (विधानसभा) चुनाव में इस पार्टी का अवसान दिखाई दे रहा था, परन्तु 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका पूरी तरह से सफाया हो गया था और इसे एक भी सीट नहीं मिली थी. इसी तरह 2007 के बाद बसपा के वोट प्रतिशत में भी लगातार गिरावट आई जो 2007 में 30 प्रतिशत से गिरकर 2017 में 23 प्रतिशत पर पहुंच गई. यद्यपि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी चतुराई से इस विफलता का मुख्य कारण ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी बताकर अपनी जिम्मेदारी पर पर्दा डालने की कोशिश की परन्तु उनकी अवसरवादिता, भ्रष्टाचार, तानाशाही, दलित हितों की अनदेखी और जोड़तोड़ की राजनीति के हथकंडे किसी से छिपे नहीं हैं. बसपा के पतन के लिए आज नहीं तो कल उन्हें जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी.

दलित राजनीति की विफलता का यह पहला अवसर नहीं है. इससे पहले भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया इसी प्रकार की विफलता का शिकार हो चुकी है. जब तक यह पार्टी डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा का अनुसरण करती रही तब तक यह फलती-फूलती रही, परन्तु जैसे ही यह नेताओं के व्यक्तिवाद, अवसरवाद और मुद्दा-विहीनता की शिकार हुई, इसका पतन शुरू हो गया और अब यह खंड-खंड हो चुकी है. पूर्व में उत्तर प्रदेश में भी इस पार्टी की शानदार उपलब्धियां रही हैं. 1962 में उत्तरप्रदेश में इस पार्टी के चार सांसद और आठ विधायक थे तथा 1967 में इसके एक सांसद और 10 विधायक थे. उसके बाद इसका विघटन शुरू हो गया. उस दौरान पार्टी का एक प्रगतिशील एजेंडा था और यह संघर्ष और जनांदोलन में विश्वास रखती थी. इस पार्टी ने ही 1964 में 6 दिसंबर से देशव्यापी भूमि आन्दोलन शुरू किया था. इस आन्दोलन में तीन लाख से अधिक आन्दोलनकारी गिरफ्तार हुए थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इसकी सभी मांगें माननी पड़ी थीं, जिसमें भूमि आवंटन मुख्य मांग थी. इसके बाद कांग्रेस ने इसके नेताओं की व्यक्तिगत कमजोरियों का लाभ उठाया. उन्हें पद और अन्य लालच देकर तोड़ना शुरू कर दिया. परिणामस्वरूप 1970 तक आते-आते यह पार्टी कई टुकड़ों में बंट गई और आज इसके नेता व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अलग-अलग पार्टियों से समझौता कर अपना पेट पाल रहे हैं.

अब अगर उत्तर भारत ख़ास कर उत्तर प्रदेश में बसपा के उत्थान को देखा जाए तो यह एक तरीके से आरपीआई के पतन की प्रतिक्रिया का ही परिणाम था. कांशीराम ने आरपीआई के अवशेषों पर ही बसपा का नवनिर्माण किया था. शुरू में आरपीआई के अधिकतर कार्यकर्ता ही इसमें शामिल हुए थे और दलितों के मध्यवर्ग का इसे बड़ा सहयोग मिला था. 1993 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से इसे बड़ी सफलता मिली थी और सपा बसपा की सरकार बनी थी. उस समय दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का एक शक्तिशाली गठबंधन बना था और इसका सन्देश पूरे भारत में गया था. परन्तु दुर्भाग्य से कुछ निजी स्वार्थों के कारण यह गठबंधन जल्दी ही टूट गया. इस परिघटना की सबसे घातक बात यह थी कि इसमें दलितों की घोर विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लिया गया था. इसी प्रकार दो बार फिर भाजपा से गठजोड़ किया गया जो मायावती के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो ठीक था, परन्तु दलित हितों के लिए घातक था. इससे दलितों में एक दिशाहीनता का विकास हुआ और वे दोस्त और दुश्मन का भेद करना भूल गए. जिस ब्राह्मणवादी विचारधारा से उनकी लड़ाई थी उसी से उन्हें दोस्ती करने के लिए आदेशित किया गया. बाद में मायावती ने दलित राजनीति को उन्हीं गुंडों, बदमाशों, माफियाओं

जब तक यह पार्टी डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा का अनुसरण करती रही तब तक यह फलती-फूलती रही, परन्तु जैसे ही यह नेताओं के व्यक्तिवाद, अवसरवाद और मुद्दा-विहीनता की शिकार हुई, इसका पतन शुरू हो गया और अब यह खंड-खंड हो चुकी है.

और दलित उत्पीड़कों के हाथों बेच दिया जिनसे उनकी लड़ाई थी. यद्यपि बसपा चार बार सत्ता में आई, परन्तु उसने कभी भी अपना दलित एजेंडा घोषित नहीं किया. इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि तथाकथित दलित सरकार तो बनी परन्तु दलितों के सशक्तिकरण के लिए कोई भी योजना लागू नहीं की गई. इसके फलस्वरूप दलितों का भावनात्मक तुष्टिकरण तो हुआ और उनमें कुछ हद तक स्वाभिमान भी जाग्रत हुआ, परन्तु उनकी भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया. सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में 56 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं जिनमें लगभग 73 प्रतिशत दलित तथा 79 प्रतिशत आदिवासी परिवार हैं. ग्रामीण दलित परिवारों में से 45 प्रतिशत तथा आदिवासियों में 30 प्रतिशत परिवार केवल मजदूरी करते हैं. इसी प्रकार ग्रामीण दलित परिवारों में से 18.35 प्रतिशत तथा आदिवासी परिवारों में 38 प्रतिशत खेतिहर हैं. इस जनगणना से एक यह बात भी उभरकर आई है कि हमारी जनसंख्या का केवल 40 प्रतिशत हिस्सा ही नियमित रोज़गार में है और शेष 60 प्रतिशत हिस्सा अनियमित रोज़गार में है जिस कारण वे अधिक समय रोज़गार विहीन रहते हैं. सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना से यह भी उभरकर आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों की दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं. एक है भूमिहीनता और दूसरी है केवल हाथ का श्रम. यह बड़े खेद की बात है कि यद्यपि मायावती उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने 1995 के काल को छोड़कर दलितों को न तो भूमि आवंटन किया और न ही जमीनों पर कब्ज़े ही दिलवाए. इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण दलित आज भी भूमि मालिकों पर मजदूरी, दैनिक क्रिया कलाप तथा जानवरों के लिए घास-पत्ती के लिए आश्रित हैं. इस कमजोरी के कारण वे अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारों का भी प्रभावी ढंग से प्रतिकार नहीं कर पाते. ऐसा लगता है कि शायद दलितों को कमज़ोर तथा आश्रित बनाकर रखना मायावती की राजनीति का हिस्सा रहा है.

यह देखा गया है कि जबसे देश में नवउदारवादी नीतियां लागू हुई हैं, तबसे दलित इसका सबसे बड़ा शिकार हुए हैं. कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश की कटौती का सबसे बुरा असर दलितों पर ही पड़ा है. देश में रोज़गार सृजन की गति में गिरावट भी दलितों के लिए घातक सिद्ध हुई है. निजीकरण के कारण सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी निष्प्रभावी हो गया है. परन्तु मायावती ने दलितों पर पड़ने वाले इन दुष्प्रभावों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया है. दरअसल मायावती भी दलितों के साथ उसी प्रकार की राजनीति करती रही हैं, जैसी मुख्यधारा की पार्टियां करती आई हैं. मायावती ने भी दलितों को स्वावलंबी बनाने तथा उनका सशक्तिकरण करने के बजाय केवल प्रतीकों की राजनीति करके अपने वोटबैंक के तौर पर ही देखा है. मायावती के इस रवैये के कारण भी दलितों का उनसे मोहभंग हुआ है.

बसपा की जाति की राजनीति ने हिंदुत्व को कमज़ोर करने के बजाय उसे मज़बूत किया है, जिसका लाभ भाजपा ने उठाया है. इसी कारण वह दलितों की कई उपजातियों को हिंदुत्व में समाहित करने में सफल हुई है. यह भी विदित है कि जाति जोड़ने की नहीं, बल्कि तोड़ने की प्रक्रिया है. अतः जाति की राजनीति की भी यही परिणति होना स्वाभाविक है. बसपा के साथ भी यही हुआ है. एक तरफ जब यह बात जोर-शोर से प्रचारित की गई कि बसपा मुख्यतः चमारों और जाटवों की पार्टी है तो दलितों की अन्य उपजातियों का प्रतिक्रिया में जाना स्वाभाविक था. पिछले कई चुनावों से यही होता आया है. उत्तर प्रदेश में दलितों की अधिकतर उपजातियां बसपा से अलग होकर भाजपा, सपा तथा कांग्रेस की तरफ चली गईं. कुछ हद तक जाटव और चमार वोट भी बसपा से अलग हो गए.

स्पष्ट है कि उत्तर भारत में बसपा की जाति की राजनीति अवसरवादिता, सिद्धान्तहीनता, दलित हितों की उपेक्षा और भ्रष्टाचार का शिकार होकर पूरी तरह विफल हो चुकी है. इस परिप्रेक्ष्य में दलितों के अब एक नए रैडिकल राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है. यह विकल्प जाति-हित से ऊपर उठकर वर्ग-हित पर आधारित होनी चाहिए ताकि इसमें सभी वर्गों के समान परिस्थितियों वाले कुदरती दोस्त लोग बिना किसी जाति भेद के शामिल हो सकें. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने इस दिशा में पहल की है.■

feedback@chauthiduniya.com

किसानों की ऋण-माफी और गन्ना बकाये का भुगतान हो न हो

छेड़खानी और बूचड़खाना बंद होना चाहिए

ऋण माफी को लेकर मौजूदा सरकार बहाने बनाए या चाहे जो पेशबंदियां करे, प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को जमीन पर उतरता हुआ देखना है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया जाएगा'. यह भी विचित्र विडंबना है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों का ऋण माफ करने का वादा करके जाते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के मातहत वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ किया जाना असंभव है. जेटली ने कहा कि राज्य सरकार अगर किसानों का कर्ज माफ करती है तो उसे खुद इसका खर्च उठाना पड़ेगा.

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के मुताबिक प्रदेश के किसानों का ऋण माफ करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मोदी ने चुनाव के दरम्यान कहा था कि सरकार आते ही पहली बैठक में ही किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय हो जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. सरकार ने इस मामले को सियासी-वित्तीय शब्दावली में फंसा कर रख दिया. प्रदेश के लोगों को छेड़खानी और बूचड़खाना रोकने के तौर-तरीकों में उलझा दिया गया और मूल मसला दरकिनार हो गया.

किसानों की ऋण माफी के मसले पर राज्य सरकार अपना रुटीन डायलॉग दोहराने लगी है कि ऋण माफी के विभिन्न प्रस्तावों पर राज्य सरकार विचार कर रही है और इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकार लगातार बैठकें कर रही है. ऋण माफी से पड़ने वाला वित्तीय भार उठाने के लिए वित्त मंत्रालय के 'ट्रांसफर-टू-स्टेट' मद से सहयोग प्राप्त करने का राज्य सरकार प्रयास करने का उपक्रम कर रही है. अगर किसानों का ऋण माफ हो गया तो माफ की गई धनराशि का भुगतान राज्य सरकार बैंकों को करेगी. ऐसा सरकार द्वारा कहा जा रहा है. इस मसले पर योगी सरकार क्या कह रही है, इसे भी सुनते चलें. सरकार के प्रवक्ता ने इस मसले पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल राज्य के सभी लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा बैंकों से लिए गए फसली ऋण को माफ करने के मुद्दे पर सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं. अगर किसानों के ऋण माफ किए गए तो उस धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बैंकों को किया जाएगा. सरकार यह रोना भी रो रही है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के कारण राज्य सरकार पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त बोझ आ गया है. साथ ही, लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 (भाजपा का घोषणा पत्र) में शामिल घोषणाओं को लागू करने के लिए भी वित्त प्रबंध करना है. प्रदेश के वित्त विभाग का कहना है कि किसानों के फसली ऋण की माफी से पड़ने वाले वित्त भार को वहन करने वाले अनेक प्रस्तावों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुदान संख्या-32 के तहत 'ट्रांसफर-टू-स्टेट' मद से सहयोग प्राप्त करना और राज्य सरकार द्वारा ऋण लिया जाना प्रमुख है. लेकिन एफआरबीएम एक्ट के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा ऋण लिए जाने की सीमा निर्धारित है. साथ ही यह भी प्रावधान है कि उक्त ऋण राशि का इस्तेमाल राज्य सरकार विकास के कार्यों पर ही करेगी. यानि, ऋण माफी के मसले पर प्रदेश सरकार अभी से किनाराकशी करने लगी है. सरकार का यह भी कहना है कि किसानों का ऋण माफ करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता होगी. इसके लिए राज्य सरकार निर्धारित सीमा को शिथिल करने का केंद्र से अनुरोध करेगी.

उल्लेखनीय है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण माफ करने का भाजपा ने संकल्प ले रखा है. राज्य में लगभग 2.30 करोड़ किसान हैं. प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों की कुल संख्या 2.15 करोड़ है.जिसमें सीमान्त कृषक 1.85 करोड़ और लघु कृषक 0.30 करोड़ हैं. प्रदेश में वर्ष 2013-14 के रबी मौसम से 2015-16 के रबी मौसम तक लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता अत्यधिक प्रभावित रही है, जिसके कारण प्रदेश के कृषक विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा अत्यन्त गम्भीर हो गई है. 92121 करोड़ रुपये का फसली ऋण किसानों के लिए घोर चिंता का कारण बना हुआ है. इसी कर्ज की वजह से बैंकों ने उनके खेत जब्त कर लिए और कर्जदार किसानों को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा. किसानों के कर्जे से सम्बन्धित विभिन्न बैंकों के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीमांत और लघु किसानों पर 92212 करोड़ रुपये का फसली ऋण है. यह आंकड़ा सितम्बर 2016 तक का है. इस ऋण को चुकाने के लिए भाजपा सरकार को अपने वार्षिक बजट का एक तिहाई हिस्सा देना होगा. किसानों की आत्महत्याएं और उनकी त्रासदी रोकने के लिए यह अनिवार्य है. खुद केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि देश में 2014 से 2016 के अंत तक करीब ढाई लाख किसानों ने आत्महत्या की. इनमें उत्तर प्रदेश में मरने वाले किसानों की संख्या करीब एक लाख है. 2014 एँ 2015 में खराब मौसम की मार सबसे अधिक पड़ी थी. कर्ज में फंसा किसान बुरी तरह मारा गया. बैंकों ने कोई राहत नहीं बरती और तत्कालीन प्रदेश सरकार ने 70 और सौ-सौ रुपये के राहत चेक देकर उनके साथ भीषण बुरा बर्ताव किया था.

बहरहाल, ऋण माफी को लेकर मौजूदा सरकार बहाने बनाए या चाहे जो पेशबंदियां करे, प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को जमीन पर उतरता हुआ देखना है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया जाएगा'. यह भी विचित्र विडंबना है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों का ऋण माफ करने का वादा करके जाते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के मातहत वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ किया जाना असंभव है. जेटली ने कहा कि राज्य सरकार अगर किसानों का कर्ज माफ करती है तो उसे खुद इसका खर्च उठाना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि एक राज्य के किसानों का कर्ज माफ कर दे और दूसरे राज्य का नहीं. वित्त मंत्री के बयान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बयान दे डाला कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा.

गन्ना किसानों का बकाया जस का तस

किसानों के हित का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता ग्रहण करते ही पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न हो और गन्ना किसानों के बकाये के त्वरित भुगतान के लिए भी सख्त निर्देश जारी किया. मुख्यमंत्री का कड़ा रुख देखते हुए ही पेराई सत्र 2015-16 की बकायेदार चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे किसानों के सम्पूर्ण बकाये का भुगतान एक माह के अंदर कर दें. मौजूदा पेराई सत्र 2016-17 के तहत उन चीनी मिलों के मालिकों को भी एक महीने के अंदर भुगतान करने निर्देश दिया गया जिन्होंने निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किसानों को भुगतान नहीं दिया. योगी ने इस बारे में मुख्य सचिव राहुल भटनागर को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का समय से भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. सरकार ने कहा कि निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर सम्बन्धित मिल मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गन्ना आयुक्त विपिन कुमार द्विवेदी का कहना है कि वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 में प्रदेश की चीनी मिलों पर 22 मार्च तक 4160 करोड़ रुपये बकाया हैं. इसके पहले के पेराई सत्र (2015-16) का भी 223 करोड़ रुपये बकाया है, यानि चीनी मिलों पर किसानों का 4383 करोड़ रुपये का बकाया है. मुख्यमंत्री के आदेश जारी हुए भी एक पखवाड़ा बीत चुका लेकिन गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की कोई सुगबुगाहट चीनी मिलों में दिखाई नहीं पड़ रही है.

बकाया न मिले, पर तीर्थ के लिए मिलेंगे एक लाख

गन्ना किसानों का अरबों रुपये का बकाया चाहे जब मिले, किसानों की ऋण-माफी चाहे जब हो, लेकिन राज्य सरकार उत्तर प्रदेश से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को प्रति यात्री एक लाख रुपये का आर्थिक अनुदान जरूर देगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को मिलने वाला अनुदान 50 हजार रुपये से बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दिया. इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के निकट कैलाश मानसरोवर भवन का भी निर्माण होगा. ■

गंदी गोमती से आ रही सपा सरकार के भ्रष्टाचार की बदबू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में सपा सरकार द्वारा बनाए गए गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया और गोमती की गंदगी देख कर बहुत नाराज हुए. योगी ने गोमती की सफाई का निर्देश दिया और उसे नमामि-गंगे परियोजना से जोड़ने का फरमान दे डाला. केंद्र के तीन वर्ष के शासनकाल में गंगा की गंदगी वैसी ही की वैसी बनी हुई है. नमामि-गंगे परियोजना भी फेल ही होने पर है. कानपुर में गंगा मृत हो चुकी है. नदी मृत हो जाने के बाद उसका पानी री-साइकिल नहीं हो सकता. लेकिन सरकार ने कानपुर की तरफ आंख मूंदे हुए गोमती की सफाई पर प्राथमिकता जताते हुए उसे नमामि-गंगे परियोजना के साथ जोड़े जाने का निर्णय सुना दिया. गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर सपा के कार्यकाल में बड़ा घपला हुआ है. करोड़ों रुपये खर्च हो गए, फिर भी काम अधूरा ही पड़ा है. इस परियोजना को मई 2017 में पूरा हो जाना था, लेकिन आधा काम बाकी ही पड़ा है. करीब 1500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गोमती रिवर फ्रंट की कार्यदायी संस्था को 1433 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके थे. संस्था बताती है कि उसमें से 1427 करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके. अब इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुपये और मांगे जा रहे हैं. अब यह परियोजना योगी सरकार के गले की हड्डी है, उसे गले के नीचे उतारने के लिए रुपये और झोंकने ही होंगे, परियोजना को ऐसे अधूरा छोड़ा भी नहीं जा सकता.

गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के दौरान नदी से निकाली गई सैकड़ों टन मिट्टी भी बेच डाली गई और इस बारे में कोई जानकारी देने वाला भी नहीं है. करीब तीन किलोमीटर तक गोमती की ड्रेजिंग की गई थी. इसके साथ ही गोमती नदी के दोनों पाटों पर कंकरीट की पक्की दीवाल (रिटेनिंग वॉल) भी बनाई गई थी.इसके लिए हुई खोदाई से मिट्टी के बड़े बड़े टीले जमा हो गए थे. लेकिन वह मिट्टी कहां चली गई? सिंचाई विभाग के अफसरों के पास इसका कोई जवाब नहीं है. मिट्टी के धंधे में करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा हुआ.गोमती रिवर फ्रंट परियोजना कुड़ियाघाट से लेकर ला-मार्टीनियर तक के लिए बनी है.परियोजना पर काम होता रहा लेकिन गोमती नदी वैसी ही गंदी बनी रही. 26 नाले सीधे गोमती में गिर रहे हैं. तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब गोमती रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया था तो गोमती के गंदे पानी को फव्वारा चला दिया गया था. गोमती की उसी गंदगी और बदबू पर नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर कड़े हुए. मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दरम्यान ही पता चला कि तीन साल में मात्र एक नाले का गोमती में गिरना बंद कराया जा सका. जीएच कैनाल नाले को अब ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जा रहा है. बाकी 26 नाले सीधे गोमती नदी में ही गिर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने सभी नालों को गोमती में गिरने से रोकने का तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया और इसके लिए अधिकारियों को मई महीने तक का समय दिया. लेकिन गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण से जुड़े इंजीनियरों का कहना है कि इतनी जल्दी यह काम असंभव है. ■

राजेन्द्र यादव होने की चाहत

अनंत विजय

कई साल से यह कहा जाता रहा है कि दिल्ली देश की साहित्यिक राजधानी भी है. चंद साल पहले तक यह भी कहा जाता था कि नामवर सिंह, राजेन्द्र यादव, अशोक वाजपेयी इस राजधानी के सत्ता केंद्र हैं. इन्हीं चर्चाओं के बीच रवीन्द्र कालिया नया ज्ञानोदय के संपादक बनकर दिल्ली आए तो वो भी एक सत्ता केंद्र के तौर पर पर देखे जाने लगे थे, हालांकि वो इस बात से लगातार इंकार करते थे. राजेन्द्र यादव और रवीन्द्र कालिया का निधन हो गया. नामवर सिंह अपनी बढ़ती उम्र की वजह से उतने सक्रिय नहीं हैं और अशोक वाजपेयी की सत्ता से दूरी उनको केंद्र से उठाकर परिधि तक पहुंचा चुकी है. ऐसी स्थिति में देश की कथित साहित्यिक राजधानी में कोई सत्ता केंद्र रहा नहीं, छोटे–छोटे मठनुमा केंद्र बचे हैं लेकिन वो लेखकों के बड़े समुदाय को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं. सेमिनार, गोष्ठियों में बुलाकर उपकृत भर कर सकने की क्षमता इन मठाधीशों के पास है. हिंदी में जो तीन चार साहित्यिक पत्रिकाएं निकल रही हैं, उनमें से भी सत्ता केंद्र बनने की ललक किसी संपादक में दिखाई नहीं देती है. नया ज्ञानोदय के संपादक लीलाधर मंडलोई पत्रिका को संजीदगी से निकाल रहे हैं और विवाद आदि से दूर ही रहते हैं. कथादेश के संपादक हरिनारायण जी पत्रिका के शुरुआती दौर से ही पत्रिका की आवर्तिता को लेकर संघर्षरत रहे हैं और वहां जो भी लोग जुड़े हैं वो सभी लगभग मध्यमार्गी रहे हैं, लिहाजा वे पत्रिका नियमित निकालकर ही संतुष्ट नजर आते हैं. अब रही साहित्यिक पत्रिका हंस की बात, तो राजेन्द्र यादव के निधन के बाद संजय सहाय ने उसका जिम्मा संभाला. अपने संपादकीय में वो लगातार हमलावर और आक्रामक दिखते हैं लेकिन अमूमन सभी संपादकियों में उनकी पसंद और नापसंदगी दिखने लगती है, विचारधारा के स्तर पर विरोध कम दिखता है. इसके अलावा संजय सहाय की अगुवाई में जो अंक निकल रहे हैं, उसमें ज्यादातर में योजना का अभाव दिखता है. सामान्य कहानी, कविता, लेख, स्तंभ आदि आते रहते हैं और छपते रहते हैं. संजय जी के सामने यादव की विरासत एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है और उस चुनौती से मुठभेड़ करना आसान नहीं है, इस बात को वो स्वीकार भी कर चुके हैं. अभी हंस का एक विशेषांक निकला है रहस्य रोमांच, भूत–प्रेत आदि पर. संपादकीय संयोजन में कोई खास छाप यह अंक नहीं छोड़ पाई.

प्रेम भारद्वाज के संपादन में पाखी में बहुधा एक स्पार्क दिखता है, यादव जी की तरह साहित्य की जमीन पर विवाद उठाने की ललक भी

दिखाई देती है. कई बार तो विवाद उठाने में सफल भी होते रहे हैं. हाल में अल्पना मिश्र के साक्षात्कार पर साहित्य जगत में काफी हलचल दिखी. जिस तरह के प्रश्न और उत्तर थे, वो पत्रिका की विवाद उठाने की मंशा को साफ कर रहे थे. पाखी में इस तरह के प्रयोजनों से यह सवाल उठता है कि क्या कोई साहित्य में राजेन्द्र यादव होना चाहता है. फेसबुक पर इस बारे में सवाल और कई दिलचस्प उत्तर भी पोस्ट किए जा चुके हैं. इस सिलसिले में मुसाफिर कैफे जैसी चर्चित कृति के युवा लेखक और दिल्ली की साहित्यिक राजनीति से दूर मुंबई में रहने वाले दिव्य प्रकाश दुबे की बात का स्मरण हो रहा है. मुंबई में एक साहित्यिक बैठकी के दौरान दिव्यप्रकाश जी ने कहा था कि हिंदी में कई लेखक इस वक्त राजेन्द्र यादव होना चाहते हैं. ज्यादातर लेखकों के मन के कोने–अंतरे में ये ख्वाहिश पलती रहती है और वो हमेशा राजेन्द्र यादव होने की फिराक में लगे रहते हैं. संभव है दिव्य ने ये बातें मजाक में कही हों, लेकिन दिल्ली के कई लेखकों पर यह बात लागू होती है. लेखक राजेन्द्र यादव तो होना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर वो आग, वो साहस, वो सक्रियता, वो आकर्षण, वो नवाचारी स्वभाव कहां हैं. इसके अलावा नए लोगों को आगे बढ़ाने की कला भी तो नहीं है.

राजेन्द्र यादव के छिहत्तरवें जन्मदिन पर जब

भारत भारद्वाज और साधना अग्रवाल के संपादन में हमारे युग का खलनायक नाम की पुस्तक का प्रकाशन हुआ था तब उसके शीर्षक पर हिंदी जगत चौंका था लेकिन यादव जी ने खूब मजे लिए थे. यह राजेन्द्र यादव का जिगरा था कि उन्होंने इस शीर्षक को भी इंज्वाय किया था. इस पुस्तक के संपादक भारत भारद्वाज ने लिखा था– राजेन्द्र यादव के लेखन का रेंज ही बहुत बड़ा नहीं है, उनकी दिलचस्पी और रुचि का रेंज भी. इन्होंने विश्व साहित्य का अधिकांश महत्वपूर्ण पढ़ रखा है, ठीक है कि वो सार्त्र भी होना चाहते हैं और अपनी दुनिया में अपने लिए एक सिमोन भी तलाश करते रहते हैं. घर–बार भी इन्होंने छोड़ा, यह छोटी बात नहीं है. हमें देखना यह है कि अपनी जिंदगी में कितनी छूट इन्होंने ली. अब इसमें सिमोन और सार्त्र वाली बात ही यादव जी के बाद की पीढ़ी के लेखकों को आकर्षित करती है. राजेन्द्र यादव होने की चाहत पालने वाले कई लेखक सार्त्र तो होना चाहते हैं, सिमोन की तलाश में मंडी हाउस से लेकर साहित्यिक गोष्ठियों में नजर भी आते हैं, लेकिन उनमें यादव जी वाला साहस नहीं है. राजेन्द्र यादव जी ने जो किया वो खुल्लम खुल्ला किया, प्यार किया तो डंके की चोट पर, फ्लर्ट तो वो खुले आम करते ही रहते थे. जब मन्नू जी ने उनको घर से निकाला था तब भी उन्हें किसी तरह का कोई मलाल नहीं था, बल्कि वो उस अप्रिय प्रसंग को भी अपनी

आजादी के तौर पर देखते थे.

उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब एक अप्रिय प्रेम–प्रसंग आया तो भी वो डरे नहीं, लड़ाई–झगड़े के बाद जब पंचायत बैठी तो हंस के दफ्तर में उन्होंने अपनी पुत्री और वकीलों के सामने स्वीकार किया कि वो प्रेम में हैं और उसी लड़की से प्रेम करते हैं. किस शख्स में इतनी हिम्मत होती है कि वो बुढ़ापे में सार्वजनिक तौर पर समाज के सामने अपने प्रेम को स्वीकार करने का साहस दिखा सके. यहां तो लोग जवानी में अपने प्रेम को छिपाते घूमते हैं. सार्त्र बनने के लिए इसी तरह के साहस और समाज से टकराने के जज्बे की जरूरत होती है. लेकिन दिल्ली में मौजूद हिंदी के लेखक बगैर इस साहस और जज्बे के राजेन्द्र यादव बनना चाहते हैं. मुझे यह आता है कि करीब दस–बारह साल पहले एक पत्रिका में राजेन्द्र यादव के पंज प्यारे के नाम से किसी ब्रह्मराक्षस का लेख छपा था, जिसमें उनके शिष्यों की सूची थी. जिसमें संजीव, शिवमूर्ति, प्रेम कुमार मणि, भारत भारद्वाज आदि के नाम थे. इस सूची का भी कोई लेखक यादव जी वाला साहस नहीं दिखा पाया. अगर हम राजेन्द्र यादव की शख्सियत पर विचार करें तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह उनके व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो उनकी ही वजह से प्रचारित हुआ और उनको बदनामी भी दिलाया. लेकिन राजेन्द्र यादव को अपना छपा हुआ नाम और फोटो देखकर बहुत खुशी होती थी और वो इसके लिए कई तरह की जोखिम उठाने को तैयार रहते थे.

राजेन्द्र यादव बनने के लिए समकालीन साहित्यिक परिदृश्य पर पैनी नजर होनी चाहिए. ऐसी नजर जो नए से नए और पुराने से पुराने लेखकों से बेहतर लिखवाने का उपक्रम कर सके. यादव जी को यह भी मालूम होता था कि किस लेखक में क्या लिखने की क्षमता है और एक संपादक के लिए इस दृष्टि का होना बेहद आवश्यक है. इसके अलावा एक संपादक के तौर पर राजेन्द्र यादव ने कई घपले भी किए. उन्होंने कहानीकारों की खूबसूरत तस्वीरें छापनी शुरू की, खासकर महिला कथाकारों की. उनको लगता था कि पाठक कहानीकारों की तस्वीरों को देखकर हंस खरीद लेंगे. यह परंपरा आज भी कायम है. हंस के माध्यम से यादव जी ने लेखकों को उठाने और गिराने का खेल भी खूब खेला. जैसे मैत्रेयी पुष्पा और संजीव की कृतियों की कई–कई समीक्षाएं एक साथ छापकर उसको स्थापित करने की चाल चलते थे. इतना ही नहीं वो तो समीक्षाओं में लेखक को बगैर बताए अपनी तरफ से जोड़ भी देते थे. यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब उन्होंने मेरे एक लेख के अंत में कुछ ऐसा जोड़ दिया जो बिल्कुल वांछित नहीं था. गिराने का खेल इस तरह होता था कि जिसको वो पसंद नहीं करते थे या जो उनके दरबार में मत्था नहीं टेकता था, उसकी नोटिस भी नहीं लेते थे. यहां सिर्फ एक अपवाद काम करता था कि रचना अगर उनको पसंद आ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनते थे. राजेन्द्र यादव बनने की चाहत रखने के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा, तभी सार्त्र की सिमोन की तलाश पूरी होगी. ■

anant.ibn@gmail.com

केशर

परिचय

यह मूलतः दक्षिणी यूरोप में प्राप्त होता है. भारत में जम्मू एवं कश्मीर में इसकी खेती की जाती है. यह कश्मीर में अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे संस्कृत में काश्मीरज कहा जाता है. इसके पुष्प के स्त्री केसर से केसर निकलता है, जिसका उपयोग विभिन्न औषधियों तथा खाद्य पदार्थों में किया जाता है. श्रेष्ठता की दृष्टि से निम्न तीन प्रकार के केशर का वर्णन प्राप्त होता है.

1. **काश्मीरज–** कश्मीरी केसर जो रक्ताभ, सूक्ष्म तन्तुओं से युक्त, कमल जैसे गंध वाला होता है. यह उत्तम श्रेणी का होता है.
2. **बाल्हीकज–** बलख–बुखारा देश का सूक्ष्म तन्तुयुक्त पांडुवर्ण एवं मधु जैसे गंध वाला केसर निकृष्ट माना गया है.
3. **पारसीकज–** पारस–ईरान देश का स्थूल तन्तुयुक्त, ईषत् पांडुवर्ण एवं मधु जैसे गंध वाला केसर निकृष्ट माना गया है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

❖ **शिरो रोग–** केशर चूर्ण तथा शर्करा डालकर पकाए हुए घृत को 1–2 बूंद नाक में डालने से वात तथा रक्त विकृति से उत्पन्न शिरः शूल में लाभ होता है. अर्धावभेदक, नेत्रशूल, सूर्यावर्त आदि में वेदना का शमन होता है.

❖ समभाग मात्रिच एवं केशर से तेल का पाक करके शिर का मालिश करने से रूसी नष्ट होती है.

❖ मिश्री तथा केशर को मिलाकर पीसकर, गुनगुना कर मस्तक पर लेप करने से शिरःशूल में शीघ्र लाभ होता है.

❖ **नजला/जुकाम–** 65 मिग्रा केशर को पान में रखकर खिलाने से नजला/जुकाम में लाभ होता है.

❖ **हृदय रोग–** हृदय को बल देने वाली दूसरी औषधियों के साथ केशर को मिलाकर देने से हृदय रोगों में लाभ होता है.

❖ **उदर रोग–** 10–15 मिली केशर क्वाथ का सेवन करने से उदावर्त में लाभ होता है.

❖ **उदरशूल–** 500 मिग्रा दाल चीनी

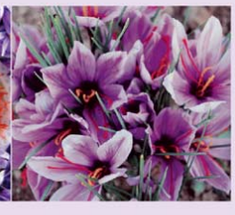

चूर्ण में 65 मिग्रा केशर मिलाकर, 65 मिग्रा की गोलियां बनाकर 1–1 गोली प्रातः सायं खाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है.

❖ 5 मिली नींबू रस में थोड़ी–सी केशर मिलाकर चटाने से विसूचिका में लाभ होता है.

❖ **यकृत विकार–** 10 मिली करेले के रस में केशर बुरक कर पिलाने से यकृत–विकारों में लाभ होता है.

❖ 10–15 मिली केशर के फाण्ट में अल्पमात्रा में लवण मिलाकर जल के साथ सेवन करने से मूत्राघात में लाभ होता है.

❖ केशर को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह उसे मसलकर पानी में शहद मिलाकर पिलाने से मूत्र विकारों में लाभ होता है.

❖ **जोड़ों का दर्द–** केशर के पत्तों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है.

❖ **त्वचा रोग–** केशर के पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है.

❖ **मानस विकार–** ब्राह्मी के 15–30 मिली क्वाथ में केशर डालकर पिलाने से चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है तथा मानसिक रोगों में लाभ होता है.

❖ **सर्वशरीर रोग–** केशर, अगरू, कस्तूरी, इलायची, देवदारू आदि को अलग–अलग या एक साथ बारीक पीसकर लेप करने से शीत नष्ट होता है.

❖ **रक्तपित्त–** केशर को वकरी के दूध में मिलाकर पिलाने से रक्तपित्त में लाभ होता है.

❖ **बालकों की सर्दी–** छोटे बच्चों को होने वाली सर्दी में केशर को गर्म दूध के साथ पीसकर छाती पर लेप करने से सर्दी ठीक हो जाती है.

प्रयोज्यांग : वर्तिका एवं वर्तिकाग्र.

मात्रा : 0.5–1 ग्राम या चिकित्सक के परामर्शानुसार.

❖ **विषाक्तता :** इसके शल्ककन्द जानवरों के लिए विषाक्त एवं वर्तिकाग्र की अधिक मात्रा सेवन करने से मादक होता है.

❖ केशर की 1.5 ग्राम की मात्रा निरापद है. 5 ग्राम या इससे अधिक मात्रा विषाक्त, 10 ग्राम गर्भस्रावक एवं 20 ग्राम की मात्रा घातक होती है.

शुद्धता परीक्षण

❖ शुद्ध केशर को ईथर या पेट्रोलियम स्पिरिट में डालने पर उसमें बहुत कम रंग आता है.

❖ इसका 0.1 ग्राम 50 मिली जल में डालने पर वही रंग होना चाहिए, जो क्रोमिक एनहाइड्राइड 0.275 ग्राम को उतने ही जल में डालने पर होता है. ■

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

नदी से सागर तक

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

ईश्वर को भिन्न–भिन्न व्यक्ति–समूहों द्वारा भिन्न–भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है. चूंकि अदृष्ट ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप या आकार नहीं है, इसी कारण लोग उन्हें अलग–अलग रूपों में सम्बोधित करते हैं. उनके लाखों–करोड़ों व्यक्त रूप हैं, चाहे मानव–दृष्टि इन्हें देखने में सक्षम हो या ना हो. ईश्वर के अनेक स्थूल, सूक्ष्म, विचार, अनुभूति एवं ऊर्जा रूप हैं किन्तु ईश्वर का मूल रूप अदृष्ट ही है, जिसे किसी ने भी नहीं देखा. यहां तक कि अनेक धर्मों, पंथों एवं संतों ने उसे एक विशाल, कालातीत स्थिति–विहीन, कारणातीत परम शून्य तक कहा है.

ईश्वर के व्यक्त रूप के बारे में मनुष्य उतना ही जान पाता है, जितना कि उसे अपनी इंद्रियों या अनुभूतियों द्वारा समझ पाता है. मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्रजातियों के प्राणी मानसिक स्तर पर इतने विकसित नहीं हैं, जो यह कल्पना कर सकें कि उनके अंदर की आत्मशक्ति एवं इस ब्रह्मांड में होने वाली समस्त गतिविधियों के मूल में ईश्वर–शक्ति होती है. 'होमोसेपियन' (मानव का वैज्ञानिक नाम) की श्रेष्ठता एवं विशिष्टता इसी में निहित है. मनुष्य सिर्फ ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना करने की क्षमता ही नहीं रखता अपितु उसने चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में ईश्वर को अनुभव करने के तरीके भी हासिल किये हैं. जबकि अन्य धर्मों में ईश्वर के प्रतीक–रूपों की कल्पना अत्यंत सीमित संख्या में की गयी है, परन्तु हिन्दू धर्म में, जो कि इस पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म है, अनंत ईश्वर के लाखों पक्षों को लेकर हजारों प्रतीक स्थापित किये गये हैं. यह सब एक दिन या एक साल में नहीं हुआ बल्कि यह अपने पूरे जीवन को अध्यात्म के अभ्यास में लगा देने वाले अनेक लोगों के हजारों वर्षों के अनुभवों का निष्कर्ष है.

ईश्वर को अनुभव करने के सर्वमान्य सिद्धांत की व्याख्या, नदियों के समुद्र में विलीन होने के उदाहरण द्वारा की जा सकती है. सभी नदियां विभिन्न स्थानों एवं स्रोतों से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों तथा मार्गों से होते हुए, अंततोगत्वा समुद्र में विलीन हो जाती हैं. तत्पश्चात् नदी समुद्र का एक हिस्सा होती है, पर वह अपनी पूरी पहचान खोकर समुद्र में विलीन हो चुकी होती है. जब हम बंगाल की खाड़ी के बारे में सोचते हैं, तो उस समय हम उसकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसी प्रकार की अन्य नदियों एवं जलस्रोतों के संगम के रूप में कल्पना नहीं करते, जो उसमें जाकर मिलते हैं. यही बहुवाद एवं द्वैतवाद से अद्वैतवाद की ओर जाने का सिद्धांत है. चूंकि इनमें से

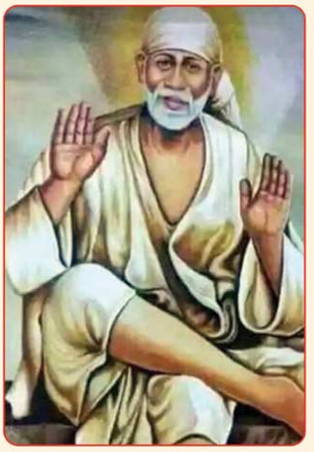

प्रत्येक नदी अलग–अलग क्षेत्रों, पहाड़ियों, जंगलों एवं प्रपातों से होकर आती है, अतः अलग–अलग नदियों द्वारा लाये गये जल के गुण–यथा जलतत्व, घनत्व, गति एवं मात्रा आदि समान नहीं हो सकते. हालांकि एक बार समुद्र में विलीन होने के पश्चात् उसके अपने गुण समुद्र के गुणों में विलीन हो, समुद्री जल के गुणधर्मों से एकाकार हो जाते हैं.

लोगों द्वारा विभिन्न धर्मों एवं पंथों का अनुकरण भी इन विभिन्न नदियों की जीवन–धारा की भांति ही है. अतः व्यक्ति को किसी भी मार्ग को स्वेच्छा से चुनने तथा अनुकरण करने की स्वतंत्रता तो है, पर उसे किसी अन्य धर्म या पंथ की निन्दा करने की स्वतंत्रता किसी भी समाज के नैतिक मूल्य नहीं देते.

श्री साईंनाथ महाराज ने भी अपने आचरण एवं उपदेशों द्वारा अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी. 'श्री साईं सच्चरित्र' में शिरडी की कुछ घटनाओं का संदर्भ लेकर बाबा की इसी सार्वभौमिकता का विस्तृत विवरण मिलता है. अतः साईं–भक्तों को भी, गुरु का अनुकरण करते हुए उच्चकोटि की धार्मिक सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए. जैसे कि बाबा कहा करते थे कि सभी तो ईश्वर की ही सन्तानें हैं और ईश्वर ही तो एकमात्र सबका परम पिता है. ■

चौथी दुनिया स्पूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

विराट दल ने किया कंगारुओं का शिकार

टेस्ट में बेस्ट टीम इंडिया

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय प्रचंड फॉर्म में चल रही है. टेस्ट क्रिकेट में उसका कोई सानी नहीं दिख रहा है. भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया को हराना अब दूसरी टीमों के लिए सपने जैसा रहा गया है. विराट की सेना अपनी धरती पर लगातार जीत का डंका बजा रही है. हाल के दिनों में भारतीय टीम ने दुनिया की कई टीमों को चारों-खाने चित किया है. इंग्लैंड से लेकर न्यूजीलैंड तक की टीम को पछाड़ने में भारत को देर नहीं लगी. अब टीम इंडिया ने कंगारुओं का गुरूर भी तोड़ दिया है. दरअसल विराट की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो इस टीम को चैम्पियन बना रहे हैं. हाल के दिनों में टीम इंडिया क्रिकेट के सबसे मजबूत फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट में अव्वल साबित हुई है. बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी दोनों विधाओं में टीम इंडिया चमक कर उभरी है. स्पिनरों की शानदार कामयाबी और तेज गेंदबाजों का हौसला देखते ही बनता है. टीम ने श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश को हराकर टेस्ट में बेस्ट होने का सबूत दिया है. इसके बाद अब कंगारुओं को धूल चटाई. विश्व क्रिकेट में कंगारुओं का खेल अच्छा माना जाता रहा है, लेकिन भारत पहुंचते ही हालात बदल गए. मेहमान टीम पहले टेस्ट में जीत दर्ज कर अपने को बेहतर साबित करने में जुटी रही, लेकिन बाद में टीम इंडिया ने ऐसा पलटवार किया कि कंगारुओं को संभलने का मौका नहीं मिला. इस तरह से स्मिथ की सेना के दांव भारत में उलट गए. भारतीय टीम ने कंगारुओं को 2-1 से पराजित

कर 19 महीनों में लगातार सातवीं श्रृंखला जीतकर भारतीय खेल प्रेमियों को खुशी की सौगात दे दी. भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम की टक्कर पर विश्व क्रिकेट की नजर बनी हुई थी. दरअसल दोनों टीमों के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो दुनिया जीतने का हौसला रखते हैं. विराट और स्मिथ दोनों ही क्रिकेट के सबसे बेजोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं. हालांकि इस सीरिज में कोहली का बल्ला शांत रहा, जबकि स्मिथ लगातार अपने बल्ले से दहाड़ते रहे. यह दुनिया की दो बेहतरीन टीमों के बीच मुकाबला खेल के साथ-साथ जुबानी जंग भी था. मेहमान टीम भारत पहुंचते ही भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश में लग गई थी. भारतीय टीम को लगातार मैदान के बाहर ऑस्ट्रेलिया टीम चुनौती देती दिखी, लेकिन टीम इंडिया ने इसका जवाब मैदान पर अपने खेल से दिया.

ऑस्ट्रेलिया टीम ने यहां कूच करने से पहले मजबूत तैयारी की थी. भारत में स्पिनरों का बोलबाला देखकर टीम में कई स्पिनरों को शामिल किया था, लेकिन यही दांव उल्टा पड़ गया. तेज गेंदबाजों की नाकामी और भारतीय बल्लेबाजों के करिश्माई खेल के आगे कंगारुओं को पस्त होते देर नहीं लगी. इस सीरीज में एक बात तो साफ हो गई कि टीम के पास विराट के अलावा अन्य बल्लेबाज भी मौजूद हैं जो किसी भी हालात में बल्लेबाजी करने का हुनर रखते हैं. पुजारा ने एक बार फिर साबित किया कि वह भारतीय जमीन पर टीम इंडिया की दीवार हैं, जबकि केएल राहुल ने भी शानदार ओपनर के तौर पर अपने को पेश किया. गेंदबाजी में टीम की ताकत भले ही स्पिनर रहे हों लेकिन इस सीरीज में उमेश यादव भी अलग अंदाज में नजर आए. उनकी गेंदों में गजब की तेजी देखी गई. क्रिकेट के जानकारों की मानें तो ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक की तुलना में भारतीय तेज गेंदबाजी आगे दिखी. दूसरी ओर रहाणे की भी तारीफ करनी होगी जो पहली बार चोटिल विराट की जगह कप्तानी कर रहे थे. धर्मशाला टेस्ट जीतने के बाद सीरीज विजय के मामले में अब वे सातवें नम्बर पर हैं. भारत से पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें आगे हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने अपनी धरती पर जीत का रिकॉर्ड भी कायम रखा है. भारतीय टीम ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया. विराट की टीम 90 के दशक में अजहर की टीम की याद दिला रही है. दरअसल 90 के दशक में अजहर ने भी स्पिनरों के सहारे कई जीतों का सेहरा बांधा था. उस जमाने में अनिल कुम्बले, राजू और चौहान की तिकड़ी की बदौलत भारतीय टीम दूसरी टीमों के लिए खौफ का सबब हुआ करती थी. विराट की इस टीम में भी यही बात देखने को मिल रही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि मौजूदा समय में जो भी गेंदबाज हैं, वे बल्लेबाजी में भी अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं. अश्विन गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं, जबकि जडेजा तो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी प्रदर्शन की बदौलत उन्हें विश्व के सबसे खतरनाक ऑलरांउडर खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सामने जडेजा का प्रदर्शन बेहद खास रहा है. उनकी फिरकी में कंगारुओं की मजबूत बल्लेबाजी संघर्ष करती दिखी, जबकि कई अहम मौकों पर जडेजा ने ऐसे रन बनाए, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदा साबित हुआ. रवींद्र जडेजा ने इस सीरीज में 25 विकेट झटकने के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी अहम रोल अदा करते हुए 127 रन बनाए. उनके दूसरे साथी आर अश्विन का प्रदर्शन भी ठीक-ठाक रहा. उन्होंने 21 विकेट चटकाए. हम भले ही इस जीत में स्पिनरों को ज्यादा महत्व दें लेकिन तेज गेंदबाजी भी इस सीरीज में आला दर्जे की दिखी. खासकर उमेश यादव की गेंदों में रफ्तार देखते ही बनती थी. उनकी खतरनाक बांउसर का कंगारुओं के पास भी कोई जवाब नहीं था. उन्होंने अपनी रफ्तार और गजब की स्विंग के जरिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जमीन पर ला खड़ा किया. उमेश यादव ने इस सीरीज में कुल 17 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. यह प्रदर्शन इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय जमीन पर तेज गेंदबाजी करना कोई आसान काम नहीं है. कई अहम मौकों पर भुवी ने अच्छी गेंदबाजी की है. इन गेंदबाजों ने मोहम्मद शमी की कमी खलने नहीं दी. बात अगर बल्लेबाजी की जाए तो इसमें पुजारा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा. टीम इंडिया में इस समय नई दीवार के रूप में देखे जाने वाले पुजारा ने अपने बल्ले की धमक से कंगारुओं को पस्त कर दिया. पुजारा ने सीरीज में 405 रन बनाए. इसमें दोहरा शतक भी शामिल है, जिसकी बदौलत टीम इंडिया को संकट से निकलने का मौका मिला. सलामी बल्लेबाजों में केएल राहुल ने भी टीम इंडिया को कई मौकों पर अच्छी शुरुआत दी. लोकेश राहुल ने 393 रन बनाए जिसमें छह अहम पचासे भी शामिल हैं. मध्यक्रम में रहाणे भले ही कमजोर साबित हुए हों लेकिन बंगलुरु में पुजारा के साथ उनकी साझेदारी बेहद अहम साबित हुई. इस सीरीज में विराट का बल्ला खामोश ही रहा और अंतिम टेस्ट में भी वे चोट के चलते खेल नहीं सके. कुल मिलाकर टीम इंडिया का अगला लक्ष्य होगा चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने का. भारत की टीम सर्वश्रेष्ठ टीम कही जा सकती है, जिसके पास जीतने का हुनर मौजूद है. ■

feedback@chauthiduniya.com

धमक पुजारा और कुलदीप की

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में कांटे की टक्कर देखने को मिली. दोनों ही टीमों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया लेकिन भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. पुजारा ने अपने बल्ले की धमक दिखाई जबकि गेंदबाजी में भारत के नए उभरते हुए चाइनामैन के नाम से मशहूर यूपी के कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी की बदौलत कंगारुओं की नाक में दम कर दिया. कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में चार विकेट चटका कर कंगारुओं की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी. दूसरी ओर विराट के चोट लगने से अंतिम टेस्ट में रहाणे को कप्तानी करने का मौका मिला. एक वक्त था जब टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की बल्लेबाजी राहुल द्रविड़ के मजबूत कंधों पर हुआ करती थी. सलामी बल्लेबाजों के बाद तीसरे नम्बर पर राहुल द्रविड़ जैसे मजबूत बल्लेबाज लगातार रन बनाने की जुगत में लगे रहते थे. शुरुआती दौर में भले ही राहुल द्रविड़ मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते रहे हों लेकिन बाद में वह तीन नम्बर के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में क्रिकेट जगत में छा गए थे. उनके संन्यास के बाद अब यही जिम्मेदारी चेतेश्वर पुजारा निभा रहे हैं. ठीक राहुल द्रविड़ की तरह पुजारा में भी रनों की भूख देखी जा सकती है. भारतीय पिचों पर उनका बल्ला रनों का अम्बार लगा रहा है. इतना ही नहीं पुजारा लम्बी पारी खेलने में भी माहिर दिखते

हैं. हाल की सीरिज में उनका बल्ला कुछ मौकों पर नाकाम रहा, लेकिन कंगारुओं के खिलाफ रांची टेस्ट में उनका दोहरा शतक भारत के लिए अहम साबित हुआ. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी संघर्ष करती दिखी, लेकिन पुजारा का खेल मेहमान टीम पर भारी रहा. पुजारा के हाल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इतना तो कहा ही जाएगा कि वह भारतीय पिचों पर सबसे असरदार साबित होते हैं. पुजारा ने रांची टेस्ट में दोहरा शतक जमाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. इससे पहले यह रिकॉर्ड वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर के नाम था. पुजारा ने द्रविड़ के 495 गेंद खेलने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 500 से ज्यादा गेंदें खेलीं. धर्मशाला टेस्ट में भी पुजारा का बल्ला रनों का अम्बार लगाता रहा. उन्होंने उस टेस्ट में शानदार पचासा जड़ते हुए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने इस सीजन में अब तक 65.8 की बेमिसाल औसत की बदौलत 1316 रन बनाते हुए गंभीर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. राजकोट का सितारा पुजारा आठ साल की उम्र से ही क्रिकेट खेल रहा है. पुजारा के पिता अरविंद पुजारा भी क्रिकेटर रह चुके हैं. सौराष्ट्र की तरफ से खेलने वाले पुजारा ने घरेलू क्रिकेट में 144 मैचों में 11791 रन बनाकर एक अलग पहचान बनाई. पुजारा ने अब तक 47 टेस्ट मैचों में 3741 रन बनाए हैं. इसमें 11 शतक भी शामिल हैं. ■

अक्षय कुमार का ये रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल

बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार उन सुपरस्टार्स में हैं, जो एक साल में तीन-चार फिल्में कर लेते हैं. 2017 में अक्षय 4 फिल्मों में नज़र आने वाले हैं. जॉली एलएलबी 2 के बाद इस साल वह फिल्म 2.0, टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन में नज़र आएंगे. बहरहाल, कोई शक नहीं कि अक्षय कुमार की ये सभी फिल्में 100 करोड़ी साबित होंगी. गौरतलब है कि साल 2016 में अक्षय कुमार की तीनों फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई थीं. अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने एक ही साल में तीन 100 करोड़ी फिल्में दी हैं. वह भी बैक टू बैक, जबकि 2017 में वह खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक के बाद एक 4 फिल्में देने वाले हैं, जो 100 करोड़ी होगी. इसमें कोई शक नहीं है कि अक्षय कुमार ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो शायद न ही सलमान खान तोड़ पाएं, ना ही शाहरूख खान और ना ही कोई अन्य सुपरस्टार.■

आ गया बॉलीवुड का नया सुपरस्टार वरुण धवन

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

कम लोग ही जानते होंगे कि वरुण धवन ने 2010 में फिल्म *माई नेम इज़ खान* के दौरान करण जौहर के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया था. लेकिन इसके बाद करण ने ही वरुण को बॉलीवुड का स्टूडेंट बना दिया. जी हां, बॉलीवुड का स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब पाने वाले वरुण धवन अब स्टूडेंट नहीं रहे. वह अब बॉलीवुड के नए स्टार बन चुके हैं. वरुण धवन की हाल में आई फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ से ज्यादा कारोबार किया है और फिल्म हिट रही. वरुण के फैंस को जानकर खुशी होगी कि अब तक उनकी एक भी फिल्म ने असफलता का मुंह नहीं देखा है, जिसके चलते वरुण धवन दिन ब दिन सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं. वरुण ने अपने छोटे से करियर में अब तक 8 फिल्में की हैं और ये सभी फिल्में सफल रही हैं या फिर औसत दर्ज की रहीं. इसके अलावा वरुण की इन आठों फिल्मों ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 640 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवसाय किया है. इस लिहाज से वरुण को अगला सुपरस्टार कहना गलत नहीं होगा.

वरुण की फिल्में अब बड़े स्टार्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग लेने लगी हैं. कहने वाले कह रहे हैं कि रणबीर कपूर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है. सलमान, शाहरुख, आमिर, ऋतिक,

फिल्म	कमाई (लगभग)
दिलवाले	148 करोड़
एबीसीडी-2	107 करोड़
बद्रीनाथ की दुल्हनिया	108 करोड़
हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया	78 करोड़
स्टूडेंट ऑफ ईयर	70 करोड़
ढिशूम	70 करोड़
मैं तेरा हीरो	55 करोड़
बदलापुर	53 करोड़

अक्षय और अजय जैसे 6 स्टार्स के बाद सातवें नंबर पर उनका नाम लिया जा सकता है. युवाओं, बच्चों और महिलाओं में वे काफी लोकप्रिय हैं और हर तरह के रोल वे बख़ूबी निभा रहे हैं. वर्ष 2012 में स्टूडेंट *ऑफ द ईयर* से वरुण ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था. इस फिल्म ने लगभग 70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही. इसके बाद 2014 में पिता डेविड धवन ने वरुण को लेकर फिल्म *मैं तेरा हीरो* का निर्माण किया. डेविड और वरुण की ये जोड़ी लोगों को ख़ूब भाई और फिल्म हिट रही. 2014 में ही वरुण धवन की पहली सुपरहिट फिल्म आई *हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया* जिसमें आलिया भट्ट ने उनका बख़ूबी साथ दिया.

वर्ष 2015 वरुण धवन के लिए शानदार रहा. इस वर्ष वरुण की 3 फिल्में आईं और इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा कमाया. साल की शुरुआत में ही वरुण धवन का एक नया अवतार देखने को मिला. फिल्म *बदलापुर* में वरुण धवन ने एक गंभीर किरदार निभाकर यह साबित कर दिया कि वह कॉमेडी के साथ साथ गंभीर किरदार को भी अच्छी तरह से निभा सकते हैं. फिल्म में वरुण धवन और नवाजुद्दीन सिद्दकी दोनों ने ही शानदार अभिनय किया था. बदलापुर 2015 की हिट फिल्मों में से एक थी. इसके बाद जून माह में ही वरुण की फिल्म *एबीसीडी-2* ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और देखते ही देखते फिल्म ने सौ करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली. रेमो डिसूज़ा की अगुवाई में बनी यह फिल्म सुपरहिट रही थी. साल के अंत में रोहित शेट्टी की बहुचर्चित फिल्म *दिलवाले* आई, जिसमें वरुण धवन के साथ-साथ शाहरुख खान और काजोल मुख्य भूमिका में थे. इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद फिल्म को जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली. बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बाज़ीराव मस्तानी से दिलवाले को कड़ी टक्कर मिली. ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ रिलीज हुई थीं, जिसका ख़ामियाजा दिलवाले को भुगतना पड़ा. फिल्म ने भले ही भारत में सौ करोड़ से ज्यादा की कमाई की हो लेकिन यह एक बड़ी हिट साबित ना हो सकी. दिलवाले को सेमी हिट से ही काम चलाना पड़ा. 2016 में *ढिशूम* का भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा ही हाल रहा और फिल्म औसत रही.

यानि वरुण धवन ने कुल मिलाकर अभी तक करियर में 8 फिल्में की हैं, जिसमें उनकी एक भी फिल्म असफल नहीं हुई है. इन सभी फिल्मों की कमाई जोड़ दी जाए तो वरुण की इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 640 करोड़ रुपए तक का व्यवसाय किया है. इस साल वरुण की फिल्म *बद्रीनाथ की दुल्हनिया* हिट हो चुकी है और वे अपने अगले प्रोजेक्ट पर भी जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं. उनकी इस साल जुड़वां-2 भी रिलीज होगी, जिससे बॉलीवुड को बेहद आशाएं हैं. हम तो वरुण के लिए यही दुआ करेंगे कि वह इसी तरह हिट फिल्मों से अपने फैंस का मनोरंजन करते रहें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें.■

> "वरुण धवन की 8 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 640 करोड़ रु. से ज्यादा का कलेक्शन किया है और उनकी एक भी फिल्म अभी तक असफल की लिस्ट में शामिल नहीं है."

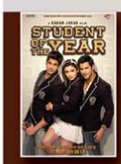

एक ही छत के नीचे आए अजय-करण!

बॉलीवुड की दुनिया दिखने में जितनी शानदार लगती है, अंदर से वैसी है नहीं. यहां पर बहुत कम लोग ही हैं जिनके रिश्ते दूसरों के साथ बेहतर बने रहते हैं. यहां एक बार आपसी मतभेद होने पर सितारे एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हैं और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझते हैं. भले ही आप किसी को पसंद नहीं करते हों, लेकिन अवॉर्ड नाइट्स, इवेंट्स, पार्टीज या अन्य कार्यक्रमों में आमना-सामना हो ही जाता है. हाल में मोस्ट स्टाइलिश अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया. इसमें अजय देवगन और काजोल को भी बुलाया गया था. इसके अलावा करण जौहर भी इस आयोजन में आमंत्रित थे. आयोजक जानते थे कि ये एक-दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं. लिहाजा सख्त आदेश दे दिए गए थे कि किसी तरह से भी इनका आमना-सामना न हो. अजय-काजोल और करण की कार्यक्रम में एंट्री और जाने का समय अलग-अलग रखा गया था. सीट भी ऐसी दी गई कि एक इस छोर पर बैठा तो दूसरा दूसरे छोर पर. आदेशों का सख्ती से पालन हुआ और एक छत के नीचे होने के बावजूद आमने-सामने की टकराहट नहीं हुई. कार्यक्रम में रानी मुखर्जी भी मौजूद थीं. रानी मुखर्जी और काजोल वैसे तो रिश्ते में चचेरी बहन हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते कभी मधुर नहीं रहे. अजय-काजोल को अवॉर्ड मिला तो वे सभी से मिले. उन्हें सभी ने बधाई भी दी, लेकिन रानी मुखर्जी अपनी जगह पर बैठी रहीं. रानी से भी अजय-काजोल नहीं मिले. जब रानी को अवॉर्ड मिला तो उसी समय अजय-काजोल वहां से चल दिए. अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि आज की तारीख में ये सब एक दूसरे को कितना नापसंद करते हैं.■

बॉडीगार्ड सलमान को सिर्फ इनसे लगता है डर

सलमान ने कहा कि जब कोई इंसान शिखर पर पहुंच जाता है तो उसके आसपास वाले जी-हुजूरी करने लगते हैं लेकिन जब भी मैं कुछ गलत करने वाला होता हूं तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मुझे जमीन पर ले आते हैं.

आपको ये तो पता ही होगा की बॉलीवुड में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सलमान से पंगा ले सके. सभी उनसे खौफ खाते हैं लेकिन क्या आपको यह पता है कि अपने दबंग सुल्तान भी किसी से बहुत डरते हैं. सलमान खान के सामने अच्छे-अच्छों की बोलती बंद हो जाती है लेकिन ऐसा कोई है जिसके सामने सलमान की भी बोलती बंद हो जाती है. वास्तव में सलमान को अपने माता पिता से बहुत डर लगता है.

सलमान फेसबुक, ट्विटर के अलावा अपने एप के जरिए अपने प्रशंसकों से बात करते हैं और वहीं एक फैन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अभी तक अपने माता-पिता से बहुत डरता हूं. मुझे अब भी इस बात का डर रहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, उससे मेरी मॉम और डैड की छवि को चोट पहुंच सकती है या मेरे भाई-बहन परेशान हो सकते हैं. सलमान ने कहा कि जब कोई इंसान शिखर पर पहुंच जाता है तो उसके आसपास वाले जी-हुजूरी करने लगते हैं, लेकिन जब भी मैं कुछ गलत करने वाला होता हूं तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मुझे जमीन पर ले आते हैं. बता दें कि सलमान इस समय फिल्म *टाइगर जिंदा है* की शूटिंग में बिजी हैं, जिसे अली अब्बास ज़फ़र निर्देशित कर रहे हैं. सलमान की फिल्म *ट्यूबलाइट* ईद पर रिलीज होने वाली है जिसे कबीर खान ने निर्देशित किया है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com